रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18—सितम्बर 24, 2010 (भाद्रपद 27, 1932)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18—SEPTEMBER 24, 2010 (BHADRA 27, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 2010

सं. सी.-ई एक्स/ई-III/16 (7)/2000/डब्ल्यू बी/सीई/ई ज़ैड--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उप धारा (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. चटर्जी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या ई-102 (19) ई/ए दिनांक 17.10.1957 द्वारा मैसर्स जय जूट एवं इंडस्ट्रीज लिमिटेड इकाई नुडिया जूट मिल्स, डब्ल्यू बी/36 एवं 47, जिनका पंजीकृत कार्यालय कंथाल पाड़ा, पोस्ट ऑफिस नैहाती, जिला 24 परगना (उत्तर), पिन कोड 743165 में स्थित है, मेरे समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पर्याप्त कारणों से जोकि मैं उचित समझता हूँ, को प्रदत्त छूट इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से निरस्त करता हूँ।

एस. चटर्जी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टॉफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं संबंधी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अंतर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर, आयोग द्वारा नियमन-2010

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफ़र मार्ग

नई दिल्ली-110002, दिनांक 30 जून 2010

सं. एफ 3-1/2009--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3-वर्ष 1956) के अनुभाग 26 की धारा (ई) एवं (जी)-जोकि इस अनुभाग (i) के अंतर्गत है-तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय अधिसूचना संख्या एफ-1-1/2008 आई.सी. दिनांक 30 अगस्त, 2008 के अनुसार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1--32/2006 यू.-II/यू.-I(1) जो 31 दिसम्बर, 2008 को जारी की गई तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी वे नियमन (जो कि विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध संस्थानों में स्थित शिक्षकों की नियुक्तियों एवं कैरियर पदोन्नति के लिए) वर्ष 2000 और जो नियमन सं. 3-1/2000 (पी.एस.) दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का है--और जिनमें समय-समय पर जो भी संशोधन किए जाते रहे हैं-इन समस्त को और इन समस्त के प्रतिस्थापन के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित नियमों का गठन किया गया है। इनका निम्नलिखित स्वरूप है :--संक्षिप्त उपाधि, अनुप्रयोग एवं प्रारम्भ

1.1 यह नियमन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन 2010 के रूप में जाने जाएंगे। (जिनके अंतर्गत उच्च शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण एवं वे समस्त उपाय सम्मिलित हैं जोकि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिणिक स्टॉफ की नियुक्ति से सम्बद्ध, न्यूनतम अर्हताओं से जुड़े हुए हैं।)

1.2 ये समस्त नियमन, ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे, जोकि केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत् अथवा प्रादेशिक नियम के तहत् अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा निगमित हुआ है-अथवा ऐसा संस्थान, जिसमें कि कोई भी संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालय जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य है तथा यह समस्त नियमन उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श एवं धारा (एफ) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुभाग-2 अधिनियम, 1956 के अनुसार, ऐसे प्रत्येक संस्थान पर लागू होंगे जोकि उपरोक्त अधिनियम के अनुभाग-3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय के रूप में विद्यमान है।

1.3 ये समस्त नियमन तुरन्त प्रभावी रूप से लागू होंगे :--

बशर्ते कि एक ऐसी स्थिति में जिसमें कि ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जोकि कैरियर पदोन्नति योजना के अंतर्गत इन नियमनों के अनुरूप, 31 दिसम्बर, 2008 को अथवा इसके पश्चात् प्रोन्नति का पात्र हो जाता है-तो उस दशा में ऐसे अभ्यर्थी की प्रोन्नति इन नियमनों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी।

और भी, बशर्ते कि इन नियमनों में सम्मिलित प्रावधानों के होने के बावजूद भी, यदि किसी स्थिति में कोई अभ्यर्थी कैरियर पदोन्नति योजना के अंतर्गत, 31 दिसम्बर, 2008 से पूर्व ही पात्र बन जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की कैरियर पदोन्नति योजना के अंतर्गत होनी वाली प्रोन्नति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमन, 2000 (जो नियमन अनिवार्यत: आवश्यक हैं-ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियों एवं कैरियर पदोन्नति के लिए जोकि विश्वविद्यालय में अथवा संबद्ध संस्थनों में स्थित हैं।), जोकि इस संदर्भ में समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के द्वारा संशोधित किए जाते रहे हैं, उनको साथ मिलाकर इन नियमनों का अवलोकन करें।

2. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों, लाइब्रेरियनों, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के निदेशक के लिए जो नियुक्तियों से जुड़ी न्यूनतम अर्हताएं हैं तथा जो अन्य सेवा शर्तें हैं-उन सबको उच्च शिक्षा के अनुरक्षण के साधन रूप में माना जाएगा और ये सारी शर्तें-इन नियमनों के संलग्नक में उल्लिखित के अनुसार होंगी।

3. यदि किसी स्थिति में विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसाओं का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है-तो उसके परिणामत: जो स्थिति आएगी उसका स्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुभाग (14) के प्रावधानों के अनुसार तय होगा :--

यदि, कोई विश्वविद्यालय, अनुभाग (12-ए) के उल्लिखित प्रावधानों के उल्लंघन द्वारा किसी महाविद्यालय को किसी, अध्ययन वाले पाठ्यक्रम के लिए सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान करता है अथवा किसी भी उपयुक्त अन्तराल के भीतर, अनुभाग-12 अथवा अनुभाग-13 जोकि आयोग द्वारा निर्धारित अनुशंसाओं के प्रावधान हैं-उनका अनुपालन करने में यदि असमर्थ रहता है, अथवा उपधारा (2) के अंतर्गत लगाई गई शर्त जोकि इन अनुभागों के अंतर्गत उपधारा (1) के तहत् निर्मित किसी भी नियम की अवहेलाना करने वाली हैं-तो आयोग द्वारा उस अवहेलना के कारण पर विचार करने के पश्चात्-जिस कारण से विश्वविद्यालय नियमों के पालन में असमर्थ रहा है अथवा उसकी अवहेलना हुई है-तो उस स्थिति में आयोग द्वारा ऐसे किन्हीं अनुदानों को रोक दिया जा सकता है-जन्हें आयोग की निधि में से प्रदान किए जाने का पूर्व में प्रस्तावित किया गया था।

एन. ए. काज़मी
सचिव

परिशिष्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विनियम, जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षको एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ की न्यूनतम अर्हताओं के लिए तथा उच्च शिक्षा–2010 के मानकों की देखरेख के उपायों के संबंध में हैं।

इन विनियमों को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों, लाइब्रेरियनों, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद निदेशकों की नियुक्तियों के संबंध में उनकी न्यूनतम अर्हताओं एवं अन्य सेवाशर्तों के लिए तथा उच्च शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण करने और वेतनमानों के संशोधनों के लिए जारी किया गया है।

1.0 **कवरेज**

1.1.1 जो शिक्षक–कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान संकायों में हैं, उनके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मानदण्ड/नियमन लागू होंगे, चिकित्सा, नर्सिंग और आयुष के संकायों में स्थित शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के मानदण्ड/नियमन लागू होंगे; शिक्षा संकाय के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के परामर्श से निर्मित मानदण्ड/नियमन लागू होंगे।

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, फार्मेसी एवं प्रबन्धन/व्यवसाय प्रशासन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के परामर्श से मानदण्ड/नियमन लागू होंगे; और पुनर्वास के क्षेत्र में, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री–पी.जी. डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अर्हताएँ, मानदण्ड/नियमन –जिनका परामर्श अखिल भारतीय पुर्नवास परिषद् द्वारा किया जाएगा–वे ही लागू होंगे।

2.0.0 वेतनमान, वेतन निर्धारण फार्मूला एवं सेवानिवृत्ति आयु आदि

2.1.0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, जिन संशोधित वेतनमानों के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में अनुरक्षित एवं/अथवा निधियन किया जाता है जिनमें अन्य सेवा शर्तें जिनमें सेवानिवृत्ति आयु की शर्त भी शामिल है–यह पक्की तौर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार ही लागू होगा। (**परिशिष्ट–I** में सम्मिलित)

2.2.0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित "वेतन निर्धारण सूत्र" जिसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है (जैसा कि परिशिष्ट–II में सम्मिलित है।), वह वेतनमान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों मे लागू रहेगा।

2.3.0 समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एवं उनके अधीनस्थ महाविद्यालयों में तथा ऐसे समस्त सम विश्वविद्यालय, जिनका अनुरक्षण व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उठाया जाता है–वहाँ पर स्थित पुस्तकालयों में तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभागों में स्थित शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण का वही फ़ार्मूला लागू रहेगा जो फ़ार्मूला अन्य सामान्य शिक्षकों के लिए है।

2.3.1 जैसा कि धारा 2.1.0 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है–संशोधित वेतनमान एवं सेवानिवृत्ति आयु–इन शर्तों को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयो एवं उच्च शिक्षण संस्थानों तक विस्तारित किया जाएगा–ऐसे संस्थान जो कि राज्यों के विधानों के विचार क्षेत्र में आते हैं–बशर्ते कि इस योजना को संयुक्त रूप से लागू किया जाए–जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचनाओं के समर्थन में हों। इन अधिसूचनाओं को परिशिष्ट–I में एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं0 1–7/2010–यू.–II दिनांक 11.05.2010 में उल्लिखित है–और जो समस्त शर्तें प्रस्तुत नियमनों व अन्य दिशा–निर्देशों में विशिष्टीकृत हुई हैं।

2.3.2 कुछ शिक्षक, जो सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें अनुबन्धात्मक नियुक्ति पर पुनः सेवारत किया जा सकता है–जो कि सम्बद्ध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान के नियमानुसार होगा–और ऐसी नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक सीमित होगी। ये समस्त नियुक्तियाँ, रिक्त स्थानों की उपलब्धता एवं ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों की शारीरिक स्वस्थता पर निर्भर होंगी।

बशर्ते कि ऐसी समस्त पुनः नियुक्तियाँ, तथ्यात्मक तौर से, उन समस्त दिशा–निर्देशों के अनुसार होंगी–जो कि समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते रहे हैं।

2.3.3 ऐसे कुछ आयाम जो कि इन नियमनों में सम्मिलित नहीं हुए हैं–जैसे अनुप्रयुक्तता, वित्तीय सहायता, संशोधित वेतन एवं भत्तों को लागू करना तथा शेष बकाया रकम का भुगतान किया जाना आदि–ऐसी समस्त बातों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचनाओं में अभिव्यक्त (परिशिष्ट–I) के तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या 1–7/2010–यू.–II दिनांक 11.05.2010 के समान ही होंगे।

3.0.0 सेवाओं में भर्ती किया जाना एवं अर्हताएँ

3.1.0 सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाना–यह बात, उस विज्ञापन पर जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है तथा नियमित रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर रहेगा–साथ ही इन नियमनों के अधीनस्थ होगा, जो नियमन उस सम्बद्ध

विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/नियमों में समाविष्ट किए जाने हैं। इस प्रकार की समितियों का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियमनों में निर्धारित किया गया है।

3.2.0 इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही मानी जाएँगी जिन्हें इन नियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है—इन पदों का नाम है— सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूल के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियनों, उप–लाइब्रेरियनों, लाइब्रेरियनों के लिएँ

3.3.0 एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुकरण; किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो) स्नातकोत्तर स्तर परं और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) अथवा किसी एक मान्यता पात्र परीक्षा में योग्यता (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/सेट परीक्षा) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए रहेंगे।

3.3.1 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए, नेट/स्लेट/सेट ही पात्रता के लिये न्यूनतम अर्हताएँ मानी जाएँगी।

बशर्ते कि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें या तो पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है तथा पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के लिए हैं) जो कि 2009 के नियमनों के अनुसार हैं, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता शर्तों से छूट होगी जो शर्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं।

3.3.2 ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा–अनिवार्य नहीं होगी–जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।

3.4.0 ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थानों से हैं ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर, सहायक प्रोफेसरों, सहायक लाइब्रेरियनों, सहायक निदेशकों जो सब शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र से हैं–उनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइन्ट स्केल में हो–उसमें) अंक अनिवार्य होंगे।

3.4.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलबध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है—वे अनुमत होंगी—जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी—और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

3.5.0 ऐसे पीएच0डी0 धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए—55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

3.6.0 ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो—वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जाएगी।

3.7.0 प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं इन पदों पर प्रोन्नति के लिए पीएच0डी0 डिग्री अनिवार्य होगी।

3.8.0 ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्हें सीधे तौर से सह प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है, उनके लिए पीएच0डी0 डिग्री अनिवार्य होगी।

3.9.0 अपनी एम.फिल. अथवा/पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो समयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगाया गया है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रूप में प्रस्तुत दावे के रूप में पेश नहीं की जा सकती।

4.0.0 सीधे तौर से भर्ती

4.0.0 प्रोफेसर

(अ)

(i) एक प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पीएच0डी0 में अर्हता अपने राम्बद्ध/समवर्गी/प्रासंगिक विषय में प्राप्त है, जिनकी प्रकाशित रचना बहुत उत्कृष्ट कोटि की है, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रन्थ

का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएँ हों--पुस्तकों एवं/अथवा शोध/एवं विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र हैं।

(ii) किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो; अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच0डी0 स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशा निर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो।

(iii) शैक्षिक नवोन्मेष, नूतन पाठ्यक्रम तथा विषयों का विस्तार एवं प्रौद्योगिकी--माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया।

(iv) शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) में निर्दिष्ट न्यूनतम प्राप्तांकों पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) जो कि इन नियमनों के परिशिष्ट–III में व्यक्त की गई है।

अथवा

ब. एक उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाएँ

4.2.0 प्रिंसिपल

(i) स्नातकोत्तर की डिग्री–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (तथा जहाँ पर भी श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता हो, उसके अनुसार समतुल्य श्रेणी जो कि पॉइन्ट स्केल में हो) किसी भी मान्य विश्वविद्यालय से प्राप्त हो।

(ii) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक समतुल्य श्रेणी जो कि पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत--जहाँ पर भी श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो)।

(iii) कोई भी व्यक्ति जो सह प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद पर रहा हो–जिसका उच्च शिक्षा से जुड़े किन्हीं विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों अथवा अन्य संस्थानों में कुल 15 वर्षों का अध्यापन/शोध/प्रशासन का अनुभव हो।

(iv) जैसा कि इन नियमनों के अंतर्गत परिशिष्ट–III में, महाविद्यालयों में, प्रोफेसरों की सीधे तौर पर नियुक्ति के विषय में निर्दिष्ट किया गया है तथा जैसा कि शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के अनुसार है–इन सब पर आधारित एवं निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार।

4.3.0 सह–प्रोफेसर

(i) पीएच0डी0 डिग्री में प्राप्त श्रेष्ठ शैक्षणिक रिकॉर्ड–जो डिग्री सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषयों में प्राप्त की गई हो।

(ii) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा किसी "पॉइन्ट स्केल" के अंतर्गत समस्तरीय ग्रेड हो, जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।

(iii) किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित शोध संस्थान/उद्योग में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अथवा शोध का अनुभव हो जो कि सहायक प्रोफेसर के स्तर के समतुल्य हो तथा जो समस्त अनुभव पीएच0डी0 के लिए किए गए शोध के अतिरिक्त हो तथा प्रकाशित रचनाओं के साक्ष्य द्वारा समर्थित हो तथा न्यूनतम 5 प्रकाशित रचनाएँ जो पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषयगत नीति से जुड़े प्रपत्रों के साथ समर्थित हों।

(iv) अभ्यर्थी को शैक्षणिक नवोन्मेषी डिज़ाइन युक्त नूतन पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विषयों एवं उसकी प्रौद्योगिकी–माध्य से युक्त शैक्षिक प्रक्रिया का अनुभव हो तथा इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने शोध छात्रों एवं अभ्यर्थियों का मार्ग दर्शन किया है।

(v) जैसा कि इन नियमनों (परिशिष्ट–III) में निर्दिष्ट किया गया है, तथा जैसा कि शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) में निष्पादन आधारित समीक्षात्मक प्रणाली पर इंगित रहता है–इन सब के अनुरूप न्यूनतम प्राप्तांक होने अनिवार्य है।

4.4.0 सहायक प्रोफेसर

4.4.1 कलाएँ, मानविकी, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषाएँ, विधि, पत्रकारिता एवं जन–संचार

(i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो–तदनुसार एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो–किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो–अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती

है–अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा–अथवा इस के समतुल्य परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि।

(iii) उपरोक्त धारा 4.4.1 की उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्ति किया गया है –इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन–2009 के अनुरूप पीएच0डी0 डिग्री प्रदान हुई है (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए नितान्त अनिवार्य है)–ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी–ऐसी शर्तें जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है।

(iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं–उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।

4.4.2 संगीत, अभिनय कलाएँ, दृश्य कलाएँ एवं पारम्परिक भारतीय कला स्वरूप जैसे मूर्तिकला आदि।

4.4.2.1 संगीत एवं नृत्य विद्या

1. सहायक प्रोफेसर

(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो।) उनके स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री स्तर पर–उनके अपने सापेक्ष विषय में हो–अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से एक समतुल्य डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों ने यू.जी.सी., सी.एस. आइ.आर. द्वारा संचालित जो व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोग द्वारा संचालित/प्रत्यायित इसी की समतुल्य परीक्षा है–उसको सफलतापूर्वक पास कर लिया हो। इस अनुच्छेद 4.4.2.1 के अंतर्गत सम्मिलित उप–धाराएँ (i) एवं (ii) के बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पीएच0डी0 है अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है तथा जो प्रक्रिया यू0जी0सी0 नियमन, 2009 (पीएच0डी0 डिग्री के न्यूनतम मानक एवं विधि) के अनुसार है, ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की उस न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी–जो शर्तें विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हुई हैं।

(iii) कुछ विषय जिनमें नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता है–उन विषयों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की अनिवार्यता नेट/स्लेट/सेट में नहीं होगी।

अथवा

(i) एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् जिसने अपने सम्बद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यावसायिक उपलब्धि की है–और जिसके द्वारा किया गया हो–

(अ) उसने सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पारम्परिक गुरुजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो–तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है :

(ब) दूरदर्शन/आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो, तथा

(स) उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में ताक्रिक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र' माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो।

2. सह प्रोफेसर

(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड तथा पीएच0डी0 डिग्री में तथा उसमें उच्च व्यावसायिक मानकों से युक्त अभिनय क्षमता हो।

(ii) किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर अध्यापन करने का अथवा शोध करने का 8 वर्ष का अनुभव हो जो अवधि उस अवधि के अतिरिक्त होगी जिसमें कि उसने अपनी शोध उपाधि प्राप्त की हो।

(iii) उसकी प्रकाशित रचनाओं में इस बात को साक्ष्य मौजूद हो कि अपने विशिष्ट विषय में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(iv) शैक्षणिक नवोन्मेषों जैसे नूतन पाठ्यक्रमों को अभिवन्यस्त करना–इसमें योगदान किया हो एवं/अथवा अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में अद्वितीय अभिनय की उपलब्धि प्राप्त की हो/किया हो।

अथवा

(i) एक ऐसा परम्परावादी एवं व्यावसायिक कलाकार हो जिसे अपने विषय विशेष में, उत्कृष्ट रूप में प्रशंसनीय एवं व्यावसायिक उपलब्धि हो–और जो होना चाहिए–अथवा रहा हो–

(अ) आकाशवाणी/दूरदर्शन का "ए" स्तर का कलाकार।

(ब) अपने विशेषीकृत विषय में अभिनय से जुड़े उत्कृष्ट उपलब्धियों से सम्बद्ध 8 वर्ष की अवधि का समय रहा हो।

(स) नवीन पाठ्यक्रमों एवं/अथवा पाठ्य विवरणों के रूपांकन का अनुभव

(ड) प्रतिष्ठित संस्थानों में विचार गोष्ठियों/सम्मेलन में भागीदारी।

(इ) अपने विषय विशेष की ताक्रिक व्याख्या प्रस्तुत करने की क्षमता तथा उस विषय से जुड़े सिद्धांतों को चित्रों की सहायता से उस विषय में प्रर्याप्त तौर से अध्यापन कराना।

3. **प्रोफेसर :**

i एक सुप्रसिद्ध विद्वान, जिसके पास शोध डिग्री हो, जो शोध कार्य में सक्रिय तौर से लगा हुआ है, किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/अथवा अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव–जिसमें कि शोध स्तर पर शोध कार्य में मार्गदर्शन का अनुभव तथा अपने विशिष्टीकृत क्षेत्र में अद्वितीय निष्पादन

अथवा

ii एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसने अपने विषय विशेष में उत्कृष्ट तौर से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त की है या जिसके पास निम्नलिखित अनुभव रहा है/है–

(अ) "ए" ग्रेड कलाकार–आकाशवाणी/दूरदर्शन

(ब) अपने विशिष्टीकृत क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन युक्त उपलब्धियों का 12 वर्ष का अनुभव।

(स) अपने विशिष्टीकृत क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण योगदान तथा शोध कार्य में मार्गदर्शन करने की क्षमता।

(ड) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों/अध्येतावृत्ति के प्रापतकर्ता एवं

(इ) विषय विशेष को लेकर उसकी ताक्रिक युक्तियुक्त व्याख्या की क्षमता एवं उस विषय विशेष के सिद्धान्तों के पक्ष को चित्रों के माध्यम से अध्यापन करने की क्षमता।

4.4.2.2 नाटक संबंधी विषयवस्तु

1. सहायक प्रोफेसर

(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–कम से कम स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हों (तथा एक पॉइन्ट स्केल के–जहाँ पर कोई ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो इसमें ही एक समतुल्य ग्रेड।) तथा स्नातकोत्तर स्तर उस सापेक्ष विषय में किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की गई हो, जिस परीक्षा को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित किया जाता है अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित समान स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया गया हो। वैसे भी, ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच0डी0 धारक हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 मिल रही है, जो `प्रक्रिया यू0जी0सी नियमन, 2000 के अनुसार है–(पीएच0डी0 डिग्री को प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि) वे अभ्यर्थी उस अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे–जो अनिवार्यता विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा उनकी समकक्ष स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने की थी।

(iii) उपरोक्त समस्त के प्रति, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे समस्त विषय, जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता हैं–उन कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट में अनिवार्य नहीं होंगे।

अथवा

(iv) एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसकी अत्यन्त उत्कृष्ट प्रशंसनीय उपलब्धियाँ अपने विषय विशेष में हैं–जो या तो निम्नवत हो अथवा उसके पास हो–

1. एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसके पास प्रथम श्रेणी की डिग्री/डिप्लोमा–जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अथवा भारतवर्ष या विदेश में स्थित इसी प्रकार के अनुमोदित संस्थान से हो–
2. क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचीय स्तर पर अभिनन्दित पाँच वर्ष का निरन्तर निष्पादन–जो कि साक्ष्य द्वारा समर्थित हो।

3. उसमें वह योग्यता विद्यमान हो कि अपने संबद्ध विषय की तात्रिक विवेचना की व्याख्या प्रस्तुत कर सके–उसमें पर्याप्त जानकारी हो जिससे वह अपने संबद्ध विषय में उदाहरणों की सहायता से सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन कर सके।

2. सह प्रोफेसर

(i) सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा गठित, किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा इस लक्ष्य के लिए जो अनुशंसाएँ की गई हैं–उनके अनुरूप ही उसका अकादमिक रिकॉर्ड–जो कि शोध डिग्री सहित हो–तथा उसमें उत्कृष्ट व्यावसायिक मानकयुक्त निष्पादन की क्षमता हो।

(ii) अपनी शोध डिग्री प्राप्त करने की अवधि से अतिरिक्त 8 वर्ष का अनुभव, किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं/अथवा शोध कार्य जो किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में किया हो–वह शामिल होना चाहिए

(iii) उसके द्वारा अपने प्रकाशनों द्वारा इस बात का साक्ष्य प्रकट होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपने विशिष्ट विषयवस्तु में उस से जुड़े महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक योगदान किए हैं। इनमें, शैक्षिक नवोन्मेषी बातें–जैसे नवीनपाठ्यक्रमों का रूपांकन और/अथवा पाठ्य विषयों का रूपांकन और/अथवा अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र में निष्पादन सहित अद्वितीय उपलब्धियाँ, सम्मिलित हों।

अथवा

(iv) वह व्यक्ति परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाविद् हो जिसके पास उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हो–तथा जिसके पास विद्यमान हो/अथवा जो निम्नवत् हो–

1. रंगमंच/रेडियो/दूरदर्शन का जाना पहचाना कलाकार
2. अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में अद्वितीय निष्पादन की उपलब्धियों का आठ वर्ष का अनुभव
3. नवीन पाठ्यक्रमों और/अथवा विषयवस्तु का रूपांकन का अनुभव
4. प्रतिष्ठित संस्थानों में विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी एवं
5. उसमें अपने सम्बद्ध विषयवस्तु की तात्रिक युक्तिसंगत रूप की व्याख्या करने की क्षमता हो, इस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष को उदाहरणों की सहायता से अध्यापन करने के लिए पर्याप्त समझ/ज्ञान हो।

3. **प्रोफेसर**

(i) ऐसा प्रतिष्ठित विद्वान–जिसके पास शोध डिग्री हो, जो सक्रिय रूप से शोध कार्य में रत हो, जिसके पास, विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में 10 वर्ष का अध्यापन एवं/अथवा शोध का अनुभव हो, जिसमें शोध स्तर के विद्वानों का शोध में मार्गदर्शन करने का अनुभव हो तथा अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में जिसके निष्पादन द्वारा अद्वितीय उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हों।

अथवा

(ii) जो एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार हो जिसकी उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में हो, और जो कि निम्नलिखित हो– अथवा उसके पास हो–

1. अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में 12 वर्ष का निष्पादन से जुड़ा अद्वितीय कोटि का अनुभव
2. उसने अपने विशिष्ट विषय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो तथा उसमें शोध कार्यो का मार्गदर्शन करने की योग्यता है।
3. जिसने, राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं में भाग लिया, एवं/अथवा जिसमें राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्तियाँ प्राप्त की हैं।
4. अपने संबंद्ध विषय क्षेत्र की ताक्रिक युक्ति संगत पक्ष की व्याख्या करने की क्षमता हो तथा उदाहरणों द्वारा सिद्धातों का अध्यापन करने के लिए पर्याप्त ज्ञान हो।

4.4.2.3 दृश्य (ललित) कला विषयवस्तु

1.सहायक प्रोफेसर

(i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड (अथवा जिस स्थिति में ग्रेड प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो – वहाँ समतुल्य ग्रेड जो उस पॉइन्ट –स्केल में हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो, जो कि संबद्ध विषय में हो, अथवा किसी भी भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समस्तरीय डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया गया हो, जो परीक्षा, यू.जी.सी., सी.एस. आई.आर.द्वारा प्राध्यापकों के लिए होता है, अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही समरूप कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस, धारा 4.4.23 में जो उपधाराओं के एवं (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उनके अतिरिक्त भी, ऐसे अभ्यर्थी जो या

तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें यह प्रदान की गई है और जो कि विश्वविद्यालय अनुदाना आयोग 2009 (न्यूनतम मानक एवं प्रणाली जो कि पी.एच.डी.प्रदान करने के लिए हैं) वे लोग भी उन न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे, जो शर्तें, विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा समतुल्य स्थितियों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हैं।

(iii) उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, नेट/स्लैट/सैट परीक्षा ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले विषयों में अनिवार्य रूप से नहीं होगी जिन विषयों में नेट/स्लैट/सैट को संचालित नहीं किया जा रहा है।

अथवा

1. **सहायक प्रोफेसर**

वह एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार हो जिसकी अपने संबद्ध विषय में उत्कृष्ठ रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हो, तथा जिसके पास होने चाहिए–

1. भारतवर्ष/विदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दृश्य (ललित)कला विषयवस्तु में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा
2. नियमित रूप से क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ/ कार्यशालाएँ आयोजित करने का 5 वर्ष का अनुभव हो– जो साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो एवं,
3. अपने विशिष्ट विषयवस्तु की तात्क्रिक यथास्थिति की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए तथा उस विषय में सिद्धांतों के अध्यापन में उदाहरणों द्वारा सहायता प्रदान करने की योग्यता हो।

2. **सह प्रोफेसर**

(i) जिसका श्रेष्ठ शैक्षिक रिकॉर्ड और जिसके पास शोध डिग्री हो, जिसमें उच्च व्यावसायिक मान की निष्पादन योग्यता है।

(ii) जो अवधि शोध डिग्री एम.फिल/पीएच0डी0 प्राप्त करने में लगाई है– उसके अतिरिक्त उसके पास, किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में किये गए अध्यापन एवं शोध करने का कुल 6 वर्ष का अनुभव हो।

(iii) उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकाशनों की गुणवत्ता द्वारा यह साक्ष्य आना चाहिए कि उसने अपने सम्बद्ध विषय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(iv) शैक्षिक नवोन्मेषी बातों का योगदान – जैसे कि नवीन पाठ्यक्रमों का रूपांकन एवं/ अथवा पाठ्य विवरणों एवं/ अथवा अपने विशेषज्ञताओं वाले क्षेत्रों में अद्वितीय निष्पादन की उपलब्धियाँ।

अथवा

(v) ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसकी अपने संबद्ध विषय विशेष में उच्च स्तरीय प्रशंसनीय उपलब्धि है–तथा जिसके पास हाने चाहिए–

1. वह एक मान्यता प्राप्त कलाकार पुरूष/महिला–अपने विषय विशेष में हो
2. उनके अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में निष्पादन उपलब्धियों की अद्वितीय श्रेणी
3. नवीन पाठ्यक्रम एवं/अथवा पाठ्य विवरणों के रूपांकन का अनुभव
4. प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी
5. अपने संबंद्ध विषय की ताक्रिक वस्तु स्थिति की व्याख्या करने की योग्यता तथा उस विषय में सिद्धातों का अध्यापन करने के लिए चित्रों द्वारा सहायता करने के विषय में पर्याप्त ज्ञान हो।

3. प्रोफेसर

(i) एक ऐसा प्रतिष्ठित विद्वान जिसके पास शोध डिग्री हो, जो शोध कार्य में सक्रिय रूप से व्यस्त हो, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्यापन एवं/ अथवा शोध कार्य का अनुभव हो– जिसमें शोध स्तर पर शोध कार्य के निर्देशन का अनुभव हो तथा जिसकी अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में अद्वितीय निष्पादन उपलब्धि हो।

अथवा

(ii) एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार जिसे अपने संबद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप में प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि है–तथा जिसके पास होना चाहिए–

1. नियमित रूप से क्षेत्रीय /राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने में 12 वर्ष का अनुभव – जो साक्ष्य द्वारा समर्थित हो
2. अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान तथा शोध कार्य के निर्देशन की योग्यता हो–
3. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/ सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी, एवं/ अथवा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों/अध्येतावृत्तियों के प्राप्तकर्ता–एवं
4. अपने संबद्ध विषय में ताक्रिक रूप से वस्तुस्थिति की व्याख्या करने की योग्यता तथा उस विषय में उदाहरणों सिद्धांत पक्ष के अध्यापन की क्षमता।

4.4.3 व्यावसायिक चिकित्सा से जुड़े शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए अर्हताएँ अनुभव एवं अन्य पात्रता अनिवार्यताएँ –

1. सहायक प्रोफेसर

(i) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक डिग्री (बी.ओ.टी.बी.) (टी.एच.ओ/बी.ओ.टीएच) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ओ.टीएच.ओ.)एम.एस.सी.ओ.टी./एम.ओ.टी.) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है --वहाँ एक पॉइन्ट स्केल में एक समतुल्य ग्रेड) जो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो।

2. सह–प्रोफेसर

(i) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्त्र (एम.ओ.टी./एम.ओ.टी.एच./एम.एस.सी.ओ.टी) जिसे सहायक प्रोफेसर के रूप में 8 वर्ष का अनुभव हो।

(ii)वांछनीय उच्चतर अर्हता, जैसे पीएच0डी0 जो कि व्यावसायिक चिकित्सा की किसी भी शाखा में हो– जिसे यू.जी.सी. की मान्यता प्राप्त हो। जिसका प्रकाशित कार्य उच्चत्तर स्तर का हो।

3. प्रोफेसर

(i) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ओ.टी./एम.ओ.टीएच/एम.टीएच.ओ/ एम.एस.सी.ओ.टी.) जिसमें कुल 11 वर्ष का अनुभव हो जिसमें सह– प्रोफेसर के रूप में (व्यावसायिक चिकित्सा) 5 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) वांछनीय : यू.जी.सी. द्वारा मान्य, व्यावसायिक चिकित्सा की किसी भी शाखा/विषय में उच्चतर अर्हता, जैसे पीएच0डी0 तथा उच्च कोटि का प्रकाशित कार्य।

4. प्रिंसिपल/निदेशक/डीन :

व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ओ.टी./एम.टीएच.ओ/एम.ओ./एम.एस.सी.ओ.टी.)जिसके साथ 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें 5 वर्ष का अनुभव प्रोफेसर के पद पर हो।(व्यावसायिक चिकित्सा)

(i) वरिष्ठतम प्रोफेसर ही प्रिंसिपल/निदेशक/डीन होगा।

(ii) वांछनीय : यू.जी.सी. द्वारा मान्य, व्यावसायिक चिकित्सा की किसी शाखा/विषय में उच्चतर अर्हता जैसे पी.एच.डी./स्वतंत्र रूप से उचित, प्रकाशित रचना जो उच्च मानक वाली हो।

4.4.4 शारीरिक चिकित्सा के शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए अर्हताएँ, अनुभव एवं अन्य पात्रता अनिवार्यताएँ :

1. सहायक प्रोफेसर

(i) चिकित्सा में स्नातक डिग्री (बी.पी./टी./बी.टी.एच./पी/बी.पी.टी.एच) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी.एच/एम.एस.सी.पी.टी./एम.पी.टी.) जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हैं(अथवा किसी भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किये जाने की स्थिति में किसी एक पॉइन्ट स्केल में एक समतुल्य ग्रेड) जो डिग्री किसी भी मान्य विश्वविद्यालय से होनी चाहिएँ

2. सह–प्रोफेसर

(i) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी/एम.पी.टी.एच/एम.टी.एच.पी./एम. एस.सी.पी.टी) जिसमें कि सहायक प्रोफेसर के रूप में कुल 8 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) वांछनीय : यू.जी.सी. द्वारा मान्य शरीर चिकित्सा की किसी शाखा में उच्चतर अर्हता जैसे कि पी.एच.डी./ उच्च स्तर का प्रकाशित कार्य।

3. प्रोफेसर :

(i) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी./एम.पी.टी.एच./एम.टी.एच.पी/ एम.एस.सी.पी.टी.) जिसके साथ 11 वर्ष का कुल अनुभव हो, जिसमें सह–प्रोफेसर के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव शामिल हो।(शरीर चिकित्सा)

(ii) वांछनीय : शरीर चिकित्सा की किसी भी शाखा में उच्चतर अर्हता जैसे कि पीएच0डी0 जो कि यू.जी.सी. द्वारा मान्य है। उच्च स्तरीय स्वतंत्र रूप से उचित प्रकाशित कार्य।

4. **प्रिंसिपल/निदेशक/डीन**

(i) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी./एम.पी.टी.एच./एम.टी.एच.पी/एम.एस.सी.पी.टी.) जिसके साथ कुल 15 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें प्रोफेसर (शरीर चिकित्सा) के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) वरिष्ठतम प्रोफेसर ही प्रिंसिपल /निदेशक/डीन होंगे।

(iii) वांछनीय :यू.जी.सी. द्वारा , शरीर चिकित्सा की किसी भी शाखा में उच्चतर अर्हता जैसे कि पी.एच.डी./ उच्च स्तरीय स्वतंत्र रूप से रचित प्रकाशित कार्य।

4.4.5 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापन संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ –प्रबंधन/वाणिज्य प्रशासन :

1. सहायक प्रोफेसर

(i) अनिवार्यताएँ

1. वाणिज्य प्रबन्धन/प्रशासन/ किसी भी सापेक्ष प्रबंधन से संबद्ध विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा पी.जी.डी.एम दो वर्षीय पूर्ण कालिक जो कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समस्तरीय घोषित किया जा चुका है। जो कि अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा /यू.जी.सी. द्वारा भी समस्तरीय घोषित की जा चुकी है।

अथवा

2. प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण स्नातक एवं व्यावसायिक तौर पर अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कौस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट/कंपनी सचिव जो कि संबद्ध संविधिक निकायों से हों।

(ii) वांछनीय

1. अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक अनुभव, किसी एक प्रतिष्ठित संगठन में–
2. सम्मेलनों में प्रस्तुत प्रपत्र अथवा उल्लिखित पत्रिकाओं में प्रकाशित।

2. सह प्रोफेसर

i सुसंगत रूप से श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक (जहाँ भी ग्रेड़िग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। वहाँ पर पॉइन्ट स्केल में एक

समस्तरीय ग्रेड) जो कि स्नातकोत्तर डिग्री में हो– जो वाणिज्य प्रबन्धन /प्रशासन /किसी एक सापेक्ष प्रबंधन से संबद्ध विषय में अथवा दो वर्षीय पूर्ण कालिक पी.जी. डी. एम. में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण – जिस पी.जी.डी.एम. को ए.आइ.यू. द्वारा समस्तरीय घोषित किया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्रदान की है।

अथवा

प्रथम श्रेणी में स्नातक एवं व्यावसायिक तौर से अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट /कंपनी सचिव जो कि संविधिक निकाय का हो।

ii पीएच0डी0 हो, अथवा भारतीय प्रबन्धन संस्थान का संघीय सदस्य है अथवा किसी भीऐसे संस्थान का सदस्य, जिस संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता दी गई हो तथा ए.आइ.यू.द्वारा समस्तरीय घोषित किया गया है।

iii न्यूनतम आठ वर्ष का अध्यापन/उद्योग संस्थान /शोध /प्रबन्धात्मक स्तर पर व्यावसायिक अनुभव – जो अवधि, उसके द्वारा प्राप्त शोध डिग्री की अवधि के अतिरिक्त होनी चाहिएँ

iv यदि किसी स्थिति में, वह अभ्यर्थी किसी उद्योग एवं व्यवसाय से है, तो निम्न अनिवार्यताएँ, आवश्यक रूप से आंगिक बनी रहेगी :–

1. वाणिज्य प्रबन्धन /प्रशासन/किसी प्रबन्धन से जुड़े सापेक्ष विषय में अथवा दो वर्षीय पूर्ण कालिक पी.डी.एम. में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो– जो पाठ्यक्रम ए. आई.यू.द्वारा समस्तरीय घोषित कर दिया गया है। जिसे ए.आइ.सी.टी.ई/यू.जी. सी.द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है– इसके साथ–साथ लगातार उसका शैक्षिक रिकॉर्ड श्रेष्ठ हो– जहाँ कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों (या इसके समतुल्य ग्रेड –एक ऐसे पाइन्ट स्केल के अन्तर्गत जहाँ पर ग्रेडिग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)

अथवा

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक तथा व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट/कंपनी सचिव जो किसी भी सांविधिक निकाय में हो।

2. किसी भी अध्यापन/उद्योग/शोध/व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से पाँच वर्ष की अवधि सहायक प्रोफेसर के रूप में रही हो--जो कि उसकी अपनी शोध डिग्री प्राप्त करने की अवधि से अतिरिक्त हो। अभ्यर्थी के पास व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है और जिसे राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएच0डी0 के समतुल्य माना जाता है तथा इसके साथ ही उद्योग/व्यवसाय में दस वर्ष का सप्रबन्धन का अनुभव हो जिसमें कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के दौरान प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के समतुल्य स्तर पर कार्य किया हो।

v उपरोक्त के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के निम्नलिखित शर्तों को वांछनीय माना गया है :

अ) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक अनुभव हो।

ब) प्रकाशित रचना हो, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध पुस्तकें/अथवा तकनीकी रिपोर्टें एवं

स) स्नातकोत्तर/शोध छात्रों की शोध रचना/शोध प्रबन्ध अथवा उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास योजनाओं में परिवीक्षण कार्य करना

3. **प्रोफेसर**

i) वाणिज्य प्रबन्धन/प्रशासन जो किसी भी सापेक्ष विषय में हो – इन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर निरन्तर स्थिर रूप में श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (और जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो--वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि पूर्णकालिक पी.जी. डी.एम के दो वर्षीय क्रम को पूरा किया हो--जो कि ए.आइ.यू. द्वारा समतुल्य घोषित है/जो कि अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा /यू.जी.सी. द्वारा मान्य है।

अथवा

वह प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण स्नातक हो एवं व्यावसायिक तौर से योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट/कंपनी सचिव जो कि संबद्ध संविधिक निकाय में हो।

i) पीएच0डी0 हो अथवा भारतीय प्रबन्धन संस्थान अथवा किसी ऐसे संस्थान का शिक्षावृत्ति भोगी हो–जिसे कि ए.आइ.सी.टी.ई. द्वारा मान्य किया गया हो एवं जिसे ए.आइ.यू द्वारा समतुल्य घोषित कर दिया गया है।

ii) किसी भी अध्यापन/उद्योग/शोध में/व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो–जिसमें से 5 वर्ष की अवधि रीडर अथवा इसके समतुल्य पद पर हुई हो–जो अवधि इसके द्वारा प्राप्त की गई शोध डिग्री की अवधि के अतिरिक्त हो।

iii) संयोजन करने का प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा अकादमिक शोध को संगठित करने का तथा शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों को संगठित करना।

v) नेतृत्व द्वारा प्रवर्तित शोध एवं विकास परामर्श एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व लेने की क्षमता।

4. प्रिंसिपल/निदेशक/संस्थान का प्रमुख

i इस विषय में अर्हताएँ वे ही हैं जैसे कि सम्बद्ध विषय में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित की गई हैं–जिसके साथ स्नातकोत्तर अध्यापन/उद्योग/शोध में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिएँ

अथवा

ii 1. इस विषय में अर्हताएँ वे ही हैं जो कि सम्बद्ध विषय में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित की गई हैं–और वह व्यक्ति उद्योग/व्यावसायिक प्रणाली से हो–और उसे स्नातकोत्तर अध्यापन/शोध का 15 वर्ष का अनुभव हो–जिसमें से 5 वर्ष की अवधि, अनिवार्यतः उसी विषय में रत एक प्रोफेसर के पद पर रही हो।

iii उपरोक्त से पूर्वाग्रह के बिना, निम्न शर्तों को वांछनीय माना जाए :

1. उद्योग/व्यावसायिक प्रतिष्ठान में वरिष्ठ स्तर के पद पर दायित्व पूर्ण स्थिति में प्रशासनिक अनुभव हो।

5. एक सात अंक पैमाने के लिए ग्रेड अंक की तुल्यता :

यहाँ पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जहाँ पर विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान द्वारा परिणामों को–जो कि ग्रेड अंक सात के पैमाने पर हैं–उनमें परिणाम घोषित करने के लिए निम्न व्यवस्था, प्रतिशत में बराबर के निशान का पता लगाने में संदर्भित किया जाएगा :

ग्रेड	ग्रेड पाइन्ट	प्रतिशतता समतुल्यता
'ओ' अद्वितीय	5.50–6.00	75–100
'ए' अत्यन्त श्रेष्ठ	4.50–5.49	56–74
'बी' उत्तम	3.50–4.49	55–64
'सी' औसत	2.50–3.49	45–54
'डी' औसत से नीचे	1.50–2.49	35–44
'ई' घटिया	0.50–1.49	25–34
'एफ' असफल	0.0–0.49	0–24

6. **चयन समिति :**

जैसा कि यू.जी.सी. द्वारा नियमनों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, चयन समिति उसी के अनुरूप होनी चाहिएँ

4.4.6.1 इंजीनियरिंग एवं प्रोद्योगिकी विषयों में अध्यापन संकाय की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ :

1. **सहायक प्रोफेसर**

i **अनिवार्य :**

i इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

ii उपरोक्त से पूर्वाग्रह के बिना, निम्न शर्तों को वांछनीय माना जाए :–

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन/औद्योगिक प्रतिष्ठान में किया गया शोध कार्य।

2. प्रपत्र जो कि सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए/विचारार्थ भेजी गई पत्रिकाएँ।

2. **सह प्रोफेसर**

i **अनिवार्य :**

i इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा पीएच0डी0 डिग्री एवं प्राध्यापक अथवा समतुल्य स्तर पर, अध्यापन शोध/उद्योग में आठ वर्ष का अनुभव–जिसमें वह अवधि अतिरिक्त रहेगी जो कि शोध डिग्री को प्राप्त करने में व्यतीत की गई है।

अथवा

ii एक ऐसी स्थिति जहाँ, अभ्यर्थी या तो उद्योग से है अथवा किसी व्यवसाय से है–तो निम्न प्रावधान अनिवार्य रूप से आंगिक माने जाएँगे :–

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की सापेक्ष शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

2. ऐसा महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य जो कि एक पीएच0डी0 डिग्री के समकक्ष मान्य हो, जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त सम्बद्ध शाखा से जुड़ा हो–और प्राध्यापक स्तर के समकक्ष, औद्योगिक/व्यावसायिक कार्य का आठ वर्ष का अनुभव।

बशर्ते कि, इस प्रकार के महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता उसी अवस्था में वैध मानी जाएगी–यदि इसकी अनुशंसा एक 3 सदस्यीय समिति जो विशेषज्ञों की हो, उसके द्वारा की गई–जो विशेषज्ञ समिति उप–कुलपति द्वारा नियुक्त की गई हो।

iii उपरोक्त पूर्वाग्रह के बिना, निम्नलिखित शर्तों को वांछनीय माना जाए –

1. किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में अध्यापन, शोध, औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।

2. प्रकाशित कार्य, जैसे कि शोध पत्र, पेटेन्ट जो पंजीकृत हैं/प्राप्त की गई पुस्तकें/तकनीकी रिपोर्टें,

3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर शोध प्रबन्ध/शोध छात्र अथवा उद्योगों में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना।

3. **प्रोफेसर**

i **अनिवार्य :**

i स्नातक स्तर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण डिग्री तथा पीएच0डी0 डिग्री जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त सम्बद्ध शाखा में हो तथा अध्यापन अथवा शोध एवं/अथवा उद्योग में हो दस वर्ष का अनुभव–जिसमें से सहायक प्रोफेसर या रीडर अथवा समकक्ष ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।

अथवा

ii यदि वह अभ्यर्थी उद्योग अथवा व्यवसाय से जुड़ा है–तो निम्नलिखित बातें आंगिक रूप से अनिवार्य होंगी :–

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की सम्बद्ध शाखा में प्रथम श्रेणी युक्त स्नातकोत्तर डिग्री।

2. महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसको कि पीएच0डी0 डिग्री के समकक्ष मान्यता दी जा सकती है,– जो कार्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की सम्बद्ध शाखा में किया गया हो; एवं औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव जिसकी दस वर्ष की अवधि हो–और जिसमें कम से कम पाँच वर्ष सहायक प्रोफेसर/रीडर के वरिष्ठ स्तर के रूप में हों।।

बशर्ते कि, उपरोक्त महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी–यदि उसकी अनुशंसा एक ऐसी 3 सदस्यीय समिति द्वारा एकमत से की गई हो, जिस समिति को उप–कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो।

iii उपरोक्त पूर्वाग्रह के बिना, निम्न शर्तों को वांछनीय समझा जाए :–

1. किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में अध्यापन, शोध, औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।

2. प्रकाशित रचना, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट जो पंजीकृत हैं/प्राप्त की गई पुस्तकें/तकनीकी रिपोर्टें,

3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर स्तर के शोध प्रबन्ध का मार्गदर्शन/शोध छात्रों का मार्गदर्शन अथवा उद्योगों में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना।
4. शैक्षिक शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के संयोजन एवं संगठन करने का प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा
5. शोध एवं विकास की, परामर्श से जुड़ी एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों को हाथ में लेने की/नेतृत्व करने की क्षमता।

4.4.6.2 जैव प्रौद्योगिकी (इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी) विषय

1. सहायक प्रोफेसर

i अनिवार्य

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त/सम्बद्ध शाखा में प्रथम श्रेणी युक्त स्नातकोत्तर डिग्री।

अथवा

2. इन विषयों में जो कि अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञान के अन्तर्गत हैं–इनमें से किसी एक में पीएच0डी0 डिग्री–

सूक्ष्म जीव विज्ञान–जैव रसायन–आनुवंशिकी–

आणवि जीव विज्ञान–औषधि निर्माण–जीव भैतिकी–

अथवा

3. एक श्रेष्ठ आकदमिक रिकॉर्ड जिसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक समकक्ष ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हों उनके अपने संबद्ध विषय में–जो डिग्री भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त हो।

ii उपरोक्त अर्हताओं को पूरित करने से पूर्व, अभ्यर्थियों द्वारा नेट की पात्रता परीक्षा जो प्राध्यापकों के लिए, यूजीसी, सी.एस.आइ.आर., अथवा इसी समान के परीक्षण जो यू0जी0सी द्वारा प्रत्यायित हैं–इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

iii **वांछनीय है :**

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक अनुभव
2. सम्मेलनों एवं/अथवा संदर्भित पत्रिकाओं में प्रस्तुत प्रपत्र।

2. सह–प्रोफेसर

i अनिवार्य

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैव विज्ञानों में स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण, पीएच0डी0 डिग्री तथा अध्यापन, शोध एवं/अथवा उद्योग में आठ साल सका अनुभव जो कि प्राध्यापक स्तर अथवा इसके समकक्ष स्तर का हो–तथा इसमें वह अवधि अतिरिक्त होगी जो कि शोध डिग्री प्राप्त करने में लगी है।

अथवा

ii यदि किसी स्थिति में वह अभ्यर्थी उद्योग अथवा व्यवसाय से होगा तो निम्न बाते अनिवार्य होंगी –

1. इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैव विज्ञानों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।
2. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञानों की संबद्ध शाखाओं में से किसी एक में किया गया ऐसा महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसे कि पीएच0डी0 डिग्री के समकक्ष मान्यता दी जा सकती है तथा आठ वर्ष का औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव हो जो कि एक प्राध्यापक स्तर के समकक्ष होना चाहिएँ

बशर्ते कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति के लिए जो मान्यता होगी वह उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी–यदि उसे एकमत से किसी 3 सदस्य वाली समिति ने अनुशंसित किया है जिस समिति की नियुक्ति उप–कुलपति द्वारा हुई है।

iii वांछनीय है :

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक अनुभव।

2. प्रकाशित रचना जैसे शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/प्राप्त पुस्तकें एवं2अथवा तकनीकी रिपोर्टें एवं
3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर स्तर का शोध प्रबन्ध/शोध छात्र अथवा उद्योगों में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण।

3. प्रोफेसर

i **अनिवार्य :**

i इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञानों की सम्बद्ध शाखाओं में प्रथम श्रेणी में स्नातक स्तर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्रियां, पीएच0डी0 डिग्री तथा अध्यापन, शोध एवं/अथवा उद्योगों में दस वर्ष का अनुभव–जिसमें से कम से कम 5 साल का अनुभवा सहायक प्रोफेसर, रीडर अथवा समकक्ष स्तर पर हो।

अथवा

ii यदि अभ्यर्थी किसी उद्योग एवं व्यवसाय से है–तो निम्नलिखित बातें अनिवार्य होंगी :–

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञानों की सम्बद्ध शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

2. ऐसी महत्वपूर्ण रचना जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त विज्ञानों की सम्बद्ध शाखा में पीएच0डी0 के समकक्ष मान्य किया जा सके और औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव जो कि दस वर्ष का हो–जिसमें कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव सहायक प्रोफेसर/रीडर के वरिष्ठ स्तर का हो।

बशर्ते कि, उस महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता केवल उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी–यदि वह 3 सदस्यों की समिति द्वारा एकमत से अनुशंसित की गई हो, जिस समिति को उप–कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो।

iii **वांछनीय**

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।
2. प्रकाशित रचना, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/प्राप्त पुस्तकें/तकनीकी रिपोर्टें,।
3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन का अनुभव, या शोध प्रबन्ध जो स्नातकोत्तर स्तर की है अथवा शोध छात्रों का मार्गदर्शन या शोध एवं विकास परियोजनाओं का उद्योगों में पर्यवेक्षण करना।
4. संयोजन से जुड़ा प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा शैक्षिक शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना।
5. समर्थित शोध एवं विकास गतिविधियों, परामर्श से जुड़ी एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व संभालना तथा उनका नेतृत्व करना।

4.4.6.3 औषध विज्ञान का विषय

1. सहायक प्रोफेसर

i अनिवार्य

1. औषध विज्ञान में आधारभूत डिग्री।
2. औषध विज्ञान अधिनियम, 1948 जो कि समय समय पर संशोधित होता रहा है तथा जिसमें अग्रवर्ती समय के दौरान होने वाले अधिनियमन भी सम्मिलित हैं–उसके अंतर्गत एक फ़ार्मेसी विशेषज्ञ के रूप में पंजीकरण कराना।
3. फ़ार्मेसी की किसी भी उपयुक्त एवं संबद्ध शाखा में विशेषज्ञता सहित प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री

ii वांछनीय

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध–औद्योगिक/व्यावसायिक स्तर पर अनुभव।
2. सम्मेलनों में प्रस्तुत प्रपत्र एवं/अथवा संदर्भित पत्रिकाओं में प्रस्तुत।

2 सह प्रोफेसर

i अनिवार्य

1. फार्मेसी में आधारभूत डिग्री (बी.फार्म)।

2. फार्मेसी अधिनियम, 1948 जो कि समय समय पर संशोधित होता रहा है – जिसमें अग्रवर्ती समय में अधिनियम सम्मिलित होते रहे हैं–उस अधिनियम के अंतर्गत एक फ़ार्मेसिस्ट के रूप में पंजीकरण।
3. फ़ार्मेसी की किसी शाखा में विशेषज्ञता तथा स्नातक स्तर एवं/अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री तथा पीएच0डी0 एवं प्राध्यापक अथवा समकक्ष ग्रेड के स्तर पर अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक रूप से 8 वर्ष का अनुभव हो जिसमें वह अवधि सम्मिलित नहीं है जो कि शोध डिग्री प्राप्त करने में लगाई गई थी।

बशर्ते कि उस महत्वशाली व्यावसायिक की मान्यता उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी यदि वह, विशेषज्ञों की एक तीन सदस्यों वाली समिति द्वारा अनुशंसित होगी–ऐससी स्थिति जो कि उपकुलपति द्वारा नियुक्त की गई है।

अथवा

ii यदि अभ्यर्थी किसी उद्योग से अथवा व्यवसाय से जुड़ा है तो निम्नलिखित अनिवार्य रूप से पालन होगा :–

1. फ़ार्मेसी की सम्बद्ध/उपयुक्त शाखा में विशेषज्ञता तथा प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।
2. ऐसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक रचना जिसे कि पीएच0डी0 के समकक्ष मान्यता दी जाए–जो कि फार्मेसी की विशेषज्ञता वाली किसी शाखा में हो और इसके साथ उद्योग में/व्यावसायिक अनुभव जो प्राध्यापक स्तर के समकक्ष का हो और 8 वर्ष की अवधि का हो।

   बशर्ते कि उन महत्वशाली व्यावसायिक की मान्यता केवल मात्र उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी जबकि उसकी अनुशंसा एक ऐसी 3 सदस्यों वाली समिति द्वारा एक मत से की गई हो–जिस समिति को उप–कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो।

iii वांछनीय

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध अथवा औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।
2. प्रकाशित रचना, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध, पुस्तकें एवं/अथवा तकनीकी रिपोर्टें, तथा
3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन अथवा उद्योग में शोध व विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण।

3. प्रोफेसर

1. फार्मेसी में आधारभूत डिग्री (बी.फार्म)।
2. फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकरण जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ है – जिसमें आगे के समय में अधिनियम सम्मिलित हैं।
3. फ़ार्मेसी की सम्बद्ध शाखा में विशेषज्ञता वाली प्रथम श्रेणी स्नातक डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री और पीएच0डी0 डिग्री–इसके साथ ही प्राध्यापक अथवा इसके समकक्ष स्तर वाला 10 वर्ष का अनुभव हो–जो कि अध्यापन, उद्योग एवं/अथवा व्यवसाय में हो।

अथवा

ii यदि किसी स्थिति में अभ्यर्थी का संबंध उद्योग से अथवा व्यवसाय से है तो निम्नलिखित बातें अनिवार्य रूप से लागू मानी जाएँगी :–

1. फ़ार्मेसी की सम्बद्ध/उपयुक्त शाखा में विशेषज्ञता तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री एवं
2. फार्मेसी की किसी भी संबद्ध उपयुक्त शाखा में विशेषज्ञता का ऐसा महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसे कि पीएच0डी0 के समकक्ष मान्य हो, एवं उद्योग एवं/व्यावसायिक अनुभव–5वर्ष का–जोकि एक वरिष्ठ स्तर का हो तथा तुलनात्मक रूप से सहायक प्रोफेसर/रीडर का हो।

बशर्ते कि उस महत्वशाली व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी यदि वह विशेषज्ञों की एक 3 सदस्यों वाली समिति द्वारा अनुशंसित होगी–ऐसी समिति जो कि उप–कुलपति द्वारा नियुक्त की गई हो।

iii वांछनीय

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन का अथवा औद्योगिक शोध/एवं व्यावसायिक अनुभव।
2. प्रकाशित रचना, जैसे शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध पुस्तकें एवं/अथवा तकनीकी रिपोर्टें।
3. स्नातकोत्तर अथवा शोध छात्रों की परियोजना कार्य, शोध प्रबन्ध का मार्गदर्शन करना अथवा उद्योग में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना।
4. संयोजन, एवं अकादमिक, शोध, औद्योगिक/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के नेतृत्व का प्रत्यक्ष प्रदर्शन एवं
5. समर्थित शोध एवं विकास कार्यों, परामर्श से संबद्ध कार्यों की एवं सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व उठाने की क्षमता।

किसी भी संदेह के निराकरण के लिए यह स्पष्ट रूप से व्यक्ति किया जा रहा है कि :–

1. यदि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तरों पर, वर्ग अथवा श्रेणी घोषित नहीं किए गए हैं तो >=60% का समुच्चय अथवा समतुल्य संचयी ग्रेड पॉइन्ट औसत (सी.जी.पी.ए.) को ही प्रथम श्रेणी के समतुल्य माना जाएगा।
2. एक ऐसी स्थिति जिसमें कि एक 10 पॉइन्ट स्केल पर छात्रों/अभ्यर्थियों को सी.जी. पी.ए. प्रदान होता है–तो सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा एक समतुल्याता की तालिका उपलब्ध कराई जाएगी–जिस तालिका का अनुसरण, श्रेणी जो प्राप्त की गई है–उसको निर्धारित करने के लिए उपरोक्त 1 के अनुसार किया जाएगा।

4.4.7 राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के विनियमनों के अन्तर्गत संकाय स्तरों के लिए जो अर्हताएँ निर्धारित हुई हैं :–

ए. बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए अर्हताएँ

i) प्रिंसिपल/अध्यक्ष (बहु–संकाय अवस्थिति में)

(अ) शैक्षिक एवं व्यावसायिक अर्हता वही होगी जैसे कि प्राध्यापक के पद के लिय निर्धारित की गई है;

(ब) शिक्षा के विषय में पीएच0डी0 तथा

(स) दस वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव उच्चतर माध्यमिक शैक्षिक संस्थान में अध्यापन का हो।

बशर्ते कि, यदि उपरोक्त पात्रता मानदण्ड के अनुसार, जो कि प्रिंसिपल/अध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए है–यदि सुपात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए नहीं उपलब्ध रहते हैं–उस स्थिति में अवकाश प्राप्त प्रोफेसरों/अध्यक्षों को शिक्षा विभाग में अनुबन्धात्मक आधार पर नियुक्त किए जाने की अनुमति होगी–जो नियुक्ति एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी तथा उस समय तक लागू रहेगी जब तक कि अभ्यर्थी 65 वर्ष की आयु तक पहुँच जाता है।

ii) सहायक प्रोफेसर

(अ) आधार पाठ्यक्रम

1. विज्ञान/मानविकी/कलाओं में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें 50 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत समतुल्य ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।

2. स्नातकोत्तर "एम.एड." डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा किसी भी पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है।) एवं
3. कोई भी अन्य अनुबद्धता जो कि यू0जी0सी0/इसी के सदृश अन्य किसी संबद्ध निकाय द्वारा/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, प्रिंसिपल एवं प्राध्यापकों के लिए निर्धारित किए गए हों–तो वे अनुबद्धताएँ अनिवार्य होंगी।

अथवा

1. शिक्षा के विषय में 55 प्रतिशत अंक जो स्नातकोत्तर पर हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड, जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है);
2. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ बी.एड. (अथवा एक पॉइन्ट सकेल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड, जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किय जा रहा है) तथा
3. प्रिंसिपल एवं प्राध्यापकों के स्थानों के लिए समय समय पर यूजीसी/इसी के सदृश अन्य किसी संबद्ध निकाय द्वारा/राज्य सरकार द्वारा जो भी अनुबद्धता निर्धारित की गई है, वह अनिवार्य होगी।

ब. प्रणाली विज्ञान पाठ्यक्रम

1. इस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो जिसमें 50 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में एक समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।
2. "एम.एड." डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है।) एवं
3. प्रिंसिपल एवं प्राख्याताओं के स्थानों के लिए समय समय पर यूजीसी, इसी के सदृश अन्य किसी संबद्ध निकाय द्वारा/राज्य सरकार द्वारा जो भी अनुबद्धता निर्धारित की जाती रही है–वह अनिवार्य रहेंगी।

बशर्ते कि, नयूनतम एक प्राध्यापक के पास "आइ.सी.टी." में विशेषताएँ होनी चाहिए तथा एक अन्य प्राध्यापक के पास विशिष्ट शिक्षा में विशेषताएँ होनी चाहिएँ

बी. एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए अर्हताएँ

i) प्रोफेसर/अध्यक्ष

अ. कलाओं/मानविकी/विज्ञानों/वाणिज्य एवं एम.एड. में प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा किसी एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।

ब. शिक्षा में पीएच0डी0 एवं

स. विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में अथवा शिक्षा महाविद्यालयों में न्यूनतम 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो–जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि एम.एड. स्तर पर प्रकाशिता रचना को लेकर–जो कि उस विद्वान के विशेषज्ञता क्षेत्र में हो–होनी चाहिएँ

बशर्ते कि, उपरोक्त पात्रता मानदण्डों के अनुसार यदि प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/रीडर की नियुक्ति के लिए सुपात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में–इस बात की अनुमति रहेगी कि किसी भी अवकाश प्राप्त प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/रीडर जो शिक्षा के विषय में हो–उसे अनुबन्धात्मक आधार पर नियुक्त कर लें, जो कि एक समय में 1 वर्ष की अवधि से अधिक की नहीं होगी और ऐसे अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय बिन्दु तक जब तक वह 6 वर्ष तक पहुँचता हो–वह नियुक्त रहेगा।

ii) सह–प्रोफेसर

अ. कलाओं/मानविकी/विज्ञानों/वाणिज्य एवं एम.एड. में से प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा किसी एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)–अथवा

एम.ए.(एजुकेशन) एवं बी.एड. जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में एक समतुल्य ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुकरण किया जा रहा हो)

ब. "एजुकेशन" में पीएच0डी0 तथा

स. विश्वविद्यालय के एजुकेशन विभाग में अथवा एजुकेशन महाविद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का अध्यापन का अनुभव–जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष एम.एड. स्तर पर रहे हों एवं उसके द्वारा अपनी विशेषज्ञता के सापेक्ष क्षेत्र में प्रकाशित रचनाएँ हों।

iii) सहायक–प्रोफेसर

अ. कलाओं/मानविकी/विज्ञानों/वाणिज्य एवं एम.एड. में से प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)–

अथवा

स्नातकोत्तर (एजुकेशन) एवं बी.एड. जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में एक समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो); एवं

ब. प्रिंसिपल एवं प्राध्यापकों के लिए ऐसी कोई भी अन्य अनुबद्धता जिसे समय समय पर यूजीसी/इसी प्रकार के समबद्ध निकाय/राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त की स्थितियों के लिए निर्धारित किया गया हो–वे अनुबद्धताएँ अनिवार्य होंगी।
बशर्ते कि यह वांछनीय माना जाएगा कि एक संकाय सदस्य के पास मनोविज्ञान में सनातकोत्तर डिग्री हो तथा दूसरे सदस्य के पास एम.एड. के अतिरिक्त, दर्शनशास्त्र/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री हो।

सी. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अर्हताएँ

i) प्रिंसिपल/प्रमुख

अ. शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)

ब. शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 अथवा शारीरिक शिक्षा में समकक्ष प्रकाशित रचना; एवं

स. 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव–जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव शारीरिक शिक्षा अध्यापन का हो।

बशर्ते कि उपरोक्त पात्रता मानदण्डों के अनुसार, सुपात्र एवं उपयुक्त प्रत्याशियों की अनुपलब्धता की स्थिति में–इस बात की अनुमति होगी कि अवकाश प्राप्त प्रिंसिपल/अध्यक्ष–जो शारीरिक शिक्षा के विषय में हों–उन्हें नियुक्त कर दिया जाए जो कि अनुबन्धात्मक आधार पर हो और जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी किसी भी एक अवसर पर यह उसी समय तक जारी रहेगी जब तक कि वह प्रत्याशी 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।

ii) प्रोफेसर

अ. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)

ब. शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 अथवा समकक्ष प्रकाशित रचना; एवं

स. शारीरिक शिक्षा के विभाग/महाविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष का अध्यापन/शोध का अनुभव हो जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि किसी स्नातकोत्तर स्तर के संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग में अध्यापन का हो।

iii) सह–प्रोफेसर

अ. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)

ब. शारीरिक शिक्षा के विभाग/महाविद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का अध्यापन/शोध का अनुभव हो, जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव स्नातकोत्तर स्तर के अध्यापन का हो, एवं

स. शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य।

बशर्ते कि उपरोक्त पात्रता मानदण्डों के अनुसार, यदि किसी स्थिति में सुपात्र अथवा उपयुक्त प्रत्याशियों की नियुक्ति के बारे में अनुपलब्धता बनी रहती है तो इस बात की अनुमति होगी कि किसी अवकाश प्राप्त प्रोफेसर/रीडर––जो शारीरिक शिक्षा में हो–उसकी अनुबन्धात्मक आधार पर नियुक्ति कर दी जाए जो कि किसी भी समय विशेष पर एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी–तथा यह उस समय तक के लिए होगी जब तक कि वह प्रत्याशी 65 वर्ष की आयु तक पहुँच जाए–जो आयु सीमा/अवधि उसकी अवकाश प्राप्ति के पश्चात् की होगी।

iv) सहायक–प्रोफेसर

अ. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) एवं

ब. यू0जी0सी0/इसके समकक्ष किसी संबद्ध निकाय/राज्य सरकार द्वारा प्रिंसिपल एवं प्राध्यापकों के पदों के लिए समय समय पर यदि कोई अन्य अनुबन्धता निर्धारित की गई हों–तो वह अधिदेशात्मक होगी।

4.5.0 लाइब्रेरियन, उप–लाइब्रेरियन एवं विश्वविद्यालय सहायक लाइब्रेरियन/महाविद्यालय लाइब्रेरियन–इन पदों पर प्रत्यक्ष सीधे तौर से नियुक्तियों/भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएँ :–

4.5.1 विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन

i लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/प्रलेखन में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष 'बी' ग्रेड जो कि यू0जी0सी0 7 पॉइन्ट स्केल में हो तथा निर्धारित नियमनों के अनुसार निरन्तर श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड हो–

ii विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में न्यूनतम 13 वर्ष का उप–लाइब्रेरियन के रूप में अनुभव अथवा महाविद्यालय लाइब्रेरियन के रूप में 18 वर्ष का अनुभव :

iii नवोन्मेषी लाइब्रेरी सेवाओं का एवं प्रकाशित रचनाओं का सुव्यवस्थित रखने का अनुभव /साक्ष्य

iv वांछनीय : एक एम.फिल /पीएच0डी0 डिग्री जो लाइब्रेरी सांइस/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन /पुरालेखों एवं पाण्डुलिपियों के रख–रखाव का हो।

4.5.2 उप – लाइब्रेरियन

i लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/ प्रलेखन में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अथवा यू.जी.सी. 7 पाइन्टों के स्केल के अन्तर्गत ग्रेड 'बी' अथवा इसके समकक्ष ग्रेड तथा स्थिरता से युक्त श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड।

ii सहायक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन / महाविद्यालय लाइब्रेरियन के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव।

iii नवोन्मेषी लाइब्रेरी से जुड़ी सेवाओं का साक्ष्य, एवं प्रकाशित रचनाओं की व्यवस्थापना एवं व्यावसायिक तौर से प्रतिबद्धता तथा लाइब्रेरी का कम्प्यूटरीकरण।

iv वांछनीय : एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री, जो लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/ प्रलेखन/ पुरालेखों में हो तथा पाण्डुलिपियों का रख–रखाव/लाइब्रेरी का कम्प्यूटरीकरण

4.5.3 विश्वविद्यालयों में सहायक लाइब्रेरियन /महाविद्यालय में लाइब्रेरियन

i लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/ प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, अथवा एक समकक्ष व्यावसायिक डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा सुसंगत तौर से श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें लाइब्रेरी के कम्प्यूटरीकरण की जानकारी भी हो।

ii राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जो कि इस उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसी संस्था द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित है–उस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना

iii वैसे, जो भी ऐसे प्रत्याशी हैं जो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए हैं) नियमनों

2009 के अनुसार यह मिली है, ऐसे प्रत्याशियों को न्यूनतम पात्रता शर्त की अनिवार्यता से छूट होगी– जो शर्त नेट/स्लेट/सेट के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा)/शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के महाविद्यालय में निदेशक के पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति के लिए निर्धारित हैं।

4.6.0 शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के निदेशक , शारीरिक शिक्षा एवं खेलकद के निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में उप–निदेशक, एवं सहायक निवेशकों के पदो के लिए न्यूनतम अर्हताएँ

4.6.1 विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के निदेशक

i शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी.।

ii विश्वविद्यालय में उपनिदेशक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव अथवा विश्वविद्यालय के सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) (प्रवर कोटि) के रूप में 15 वर्ष का अनुभव।

iii न्यूनतम दो, राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी

iv सुसंगत रूप वाली श्रेष्ठ मूल्यांकन रिपोर्ट

v ऐसे अनुशिक्षण शिविर जो न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि के रहे हों, उनको संचालित करने तथा प्रतियोगिताओं को संयोजित करने का साक्ष्य हो।

vi श्रेष्ठ निष्पादन करने वाले दलों को श्रेष्ठ व्यायामी खिलाडियों का निर्माण करने का साक्ष्य हो– जिन खिलाड़ियों द्वारा, राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर /अन्तर विश्वविद्यालय स्तर/ संयुक्त विश्वविद्यालय स्तर वाली प्रतियोगिताओं में भागीदारी की गई हो।

4.6.2 विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद उप–निदेशक / महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का निदेशक

i शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रत्याशी जो कि विश्वविद्यालय प्रणाली से बाहर की किसी प्रणाली से हैं–तो वे भी कम से कम 55 प्रतिशत अंको के प्राप्तकर्ता हों/अथवा पॉइन्ट स्केल में एक समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) जो अंक स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये गए हों।

ii विश्वविद्यालय के सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/महाविद्यालय के निदेशक–शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के रूप में आठ वर्ष का अनुभव हो, जिसके

साथ ही पीएच0डी0 धारक/एम.फिल. धारकों को क्रमश : 2 वर्ष एवं एक वर्ष का लाभ मिलेगा।

iii प्रतियोगिताओं के संयोजन का तथा न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि वाले अनुशिक्षण शिविरों को संचालित करने का साक्ष्य हो।

iv श्रेष्ठ निष्पादन करने वाले दलों को/व्यायामी खिलाड़ियों के सृजन का साक्ष्य–जिन्होंने, राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर–विश्वविद्यालय/संयुक्त विश्वविद्यालय इन स्तरों पर भागीदारी की है।

v उन नियमों के अनुसार ही शारीरिक क्षमता परीक्षण को सफलता से पूर्ण किया हो।

iv श्रेष्ठ मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन रिपोर्टें।

4.6.3 विश्वविद्यालय में सहायक–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/महाविद्यालय में निदेशक–शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद

i शारीरिक शिक्षा में अथवा खेलकूद विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) जिसके साथ ही सुसंगत श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड।

ii यह अभिलेख मौजूद हों कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का अन्तर–विश्वविद्यालय/अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अथवा राज्य एवं/अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व रहा हो।

iii राष्ट्रीय स्तर का कोई परीक्षण जो इस उद्देश्य से यू0जी0सी द्वारा अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा जो कि यू0जी0सी द्वारा अनुमोदित हो–संचालित किया गया हो–जिसमें कि अर्हता प्राप्त की हो।

iv इन नियमनों के अनुसार जो शारीरिक क्षमता परीक्षण संचालित हुए थे–उनमें सफल हुए हों।

v वैसे, ऐसे प्रत्याशी, जो कि या तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है, जो कि यू0जी0सी नियम, 2009 के अनुसार हैं (न्यूनतम मानक एवं पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने की प्रणाली) ऐसे सभी प्रत्याशियों को नेट/स्लेट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी–जो शर्तें विश्वविद्यालय सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक–शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद) की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए हैं।

4.6.4 **शारीरिक सक्षमता परीक्षण संबंधी नियमन**

अ. इन नियमनों के प्रावधानों के अधीनस्थ–ऐसे समस्त प्रत्याशी जिनके लिए शारीरिक सक्षमता परीक्षण में अनिवार्य रूप से बैठना होता है–उन्हें ऐसे परीक्षणों में बैठने से पूर्व चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वह (पुरुष/महिला) पूरी तरह से स्वस्थ है।

ब. उपरोक्त उप अनुच्छेद (अ) के अंतर्गत जो व्यक्त किया गया है, प्रत्याशी द्वारा शारीरिक सक्षमता परीक्षण निम्न नियमनों के अनुसार देना होगा।

नियमन जो पुरुषों के लिए हैं।			
12 मिनट वाली दौड़/चलने का परीक्षण			
30 वर्ष तक के	40 वर्ष तक के	45 वर्ष तक के	50 वर्ष तक के
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

नियमन जो महिलाओं के लिए हैं।			
8 मिनट वाली दौड़/चलने का परीक्षण			
30 वर्ष तक के	40 वर्ष तक के	45 वर्ष तक के	50 वर्ष तक के
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

4.7 क्योंकि यू0जी0सी ने उपरोक्त अर्हताओं को अध्यापन से जुड़े समस्त स्तरों के लिए समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में निर्धारित किया है जो कि न्यूनतम मानकों के अनुपालन के लिए हैं तथा यह निर्णय उन सांविधिक परिषदों के परामर्श से हुआ है, जो कि क्रमशः पाठ्यक्रमों के अनुमोदन को नियंत्रित करती हैं–अतः विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में जिनमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, प्राध्यापकों की नियुक्तियों के लिए अर्हताओं से भविष्य में कोई संशोधन यदि होते हैं–तो वे संशोधन स्वचालित रूप से यू0जी0सी द्वारा स्वीकार्य माने जाएँगे–जोकि इन पाठ्यक्रमों के हेतु निर्धारित अर्हताओं के रूप में माने जाएँगे।

5.0.0 **चयन समितियों एवं चयन के लिए दिशा–निर्देश**

विधियाँ

यू0जी0सी ने निम्न दिशा–निर्देशों को विकसित किया है :

अ. निम्न पदो के लिए, चयन समिति का गठन :–

सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, प्रोफेसर, सहायक लाइब्रेरियन, उप–लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में सहायक निदेशक, उप–निदेशक एवं निदेशक एवं

ब. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्राध्यापकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए प्रत्यक्ष तौर से भर्ती के लिए तथा कैरियर समुन्नति योजनाओं के लिए चयन प्रणालियों को विशिष्टीकृत किया गया।

5.1.0 चयन समितियों की विशिष्टताएँ

5.1.1 विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर

अ. विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति का गठन निम्न रूप में होगा :

1. कुलपति ही इस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. संबद्ध विश्वविद्यालय के सांविधिक निकाय द्वारा जिन सदस्यों के नामों को अनुमोदित किया गया हो–उनमें से तीन विशेषज्ञ ऐसे होंगे जिन्हें संबद्ध विषय में कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।
3. जहाँ पर भी लागू हो, सम्बद्ध संकाय के डीन
4. अध्यक्ष/प्रमुख, उस विभाग/विषय विभाग के
5. एक अकादमिशियन जिसे विज़िटर/कुलपति द्वारा नामित किया गया हो, यथा स्थान जैसे संभव हो।
6. एक अकादमिशियन जो कि इनका प्रतिनिधित्व करेगा–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएँ/पृथक तौर से शारीरिक विकलांग श्रेणियों का–जिसको कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति नामिति करेगा–उस स्थिति में जबकि ऐसी किसी भी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्याशी ही आवेदक हो–एवं उपरोक्त चयन समिति के सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों में संबंधित नहीं है।

ब. समिति का कोरम न्यूनतम चार सदस्यों से युक्त होगा–जिनमें से दो सदस्य बाहर से होंगे और विषय विशेषज्ञ होंगे।

5.1.2 विश्वविद्यालय में सह–प्रोफेसर

अ. सह–प्रोफेसर के पद के लिए जो चयन समिति होगी–उसका गठन निम्न रूप में होगा :–

1. उप–कुलपति उस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. एक अकादमिशियन जिसे विज़िटर/कुलपति द्वारा नामित होगा, जहाँ पर भी लागू होगा।
3. पैनल के जो नाम, सम्बद्ध विश्वविद्यालय के उपयुक्त सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं–उनमें से तीन विशेषज्ञ जो सम्बद्ध विषय में हों/क्षेत्र में हों–जिन्हें उपकुलपति द्वारा नामित किया गया हो।
4. संकाय के डीन, जहाँ पर भी लागू हो,
5. विभागध्यक्ष/प्रमुख
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यकों/ महिलाएँ/ पृथक रूप से शारीरिक विकलांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अकादमीशियन–यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वालों में कोई प्रत्याशी ही आवेदक है–तो उसे उप–कुलपति द्वारा ही नामित किया जाए, चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से यदि कोई भी इन श्रेणियों में संबंधित नहीं है तो।

ब. समिति के कोरम का गठन करने के लिए न्यूनतम चार सदस्य होंगे–जिनमें से दो विषय विशेषज्ञ अन्य स्थानों से होंगे।

5.1.3 विश्वविद्यालय में प्रोफेसर

जैसा कि उपरोक्त धारा 5.2.2 के अंतर्गत सह प्रोफेसर के पद के लिए समिति का गठन की चर्चा की गई है, ठीक उसी प्रकार से ही प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति का गठन किया जाएगा।

5.1.4 महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर–जिनमें निजी महाविद्यालय भी हैं–

(अ) महाविद्यालयों में–जिनमें निजी महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं–उनमें सहायक प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :–

1. इस चयन समिति का अध्यक्ष, महाविद्यालय के शासीनिकाय का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति, जो उनके सदस्यों में होगा–वही चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
2. महाविद्यालय का प्रिंसिपल
3. महाविद्यालय में सम्बद्ध विषय के विभागाध्यक्ष
4. संबद्ध विश्वविद्यालय के उप– कुलपति की ओर से नामित दो व्यक्ति हों, जिनमें से एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होना चाहिएँ ऐसे महाविद्यालय, जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित/घोषित कर दिया गया है, उस स्थिति में कॉलेज अध्यक्ष की ओर से दो नामित व्यक्ति – पाँच व्यक्तियों की नामसूची में से होंगे जो कि अधिमान्य तौर से अल्पसंख्यक समुदायों से हों– जिन्हें सम्बद्ध

विश्वविद्यालय के उप–कुलपति द्वारा, विशेषज्ञों की उस तालिका में से अनुशंसित किया गया हो, जिस तालिका को सापेक्ष सांविधिक निकाय ने प्रस्तावित किया हो–तथा जिनमें से एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ हो।

5. महाविद्यालय के शासी निकाय के द्वारा ऐसे दो विषय–विशेषज्ञों को नामित किया जाना चाहिए जो उस महाविद्यालय से जुड़े हुए नहीं हों– और जिन व्यक्तियों को उप–कुलपति द्वारा, विषय –विशेषज्ञों की उस सूची में से अनुशंसित किया गया हो, जिस सूची को सम्बद्ध विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदत किया गया हो। ऐसे महाविद्यालय, जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित /घोषित कर दिया गया है– उस स्थिति में उस सम्बद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो ऐसे विषय विशेषज्ञों को नामित किया जाना चाहिए, जिनका विश्वविद्यालय से संबंध न हो, और जिनको, उन पाँच व्यक्तियों की सूची में से नामित किया गया हो, जो अधिमानत : अल्पसंख्यक समुदाय से हों– और उस सूची की अनुशंसा उपकुलपति द्वारा विशेषज्ञों की उस सूची में से की गई हो – जिसे कि महाविद्यालय की संबंद्ध सांविधिक निकाय द्वारा अनुशंसित किया गया हो।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएँ / पृथक रूप से अपंग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व एक अकादमीशियन द्वारा किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में जबकि उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशियों में ही कोई एक व्यक्ति ही आवेदक हो; तथा उस अकादमीशियन को उप– कुलपति द्वारा नामित किया जाना चाहिए–उस स्थिति में, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से सम्बद्ध नहीं है।

(ब) चयन समिति की बैठक के लिए पाँच व्यक्तियों का कोरम गठित किया जाये– जिस मीटिंग में–तीन विषय विशेषज्ञों में से– कम से कम दो को वहाँ उपस्थित रहना होगा।

(स) सरकारी महाविद्यालयों में समस्त अध्यापन स्तर वाले पदों के लिए राज्य सार्वजनिक सेवा आयोगों/अध्यापक भर्ती बोर्डों द्वारा अनिवार्य तौर से तीन विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए– जिसके लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालय को भी, चयन प्रक्रिया में, राज्य सार्वजनिक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित किया जाना चाहिएँ

(ड) किसी भी विश्वविद्यालय के आंगिक महाविद्यालयों में अध्यापन पदो के समस्त स्तरों के लिए, चयन समिति के मानदण्ड वे ही होंगे जैसे कि उस विश्वविद्यालय के विभागों में विद्यमान पदों के लिए हैं।

5.1.5 महाविद्यालयों में जिनमें निजी महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं—सह—प्रोफेसर

(अ) समस्त महाविद्यालयों में जिनमें निजी महाविद्यालय भी शामिल हैं उनमें सह—प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्न संयोजन होगा :

1. शासी निकाय के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित जो कि शासी निकाय के सदस्यों में से ही एक हो, वे ही चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. महाविद्यालय के प्रिंसिपल
3. महाविद्यालय के संबद्ध विषय के विभागाध्यक्ष
4. उपकुलपति द्वारा नामित, विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक होंगे महाविद्यालय विकास परिषद् के डीन अथवा इसके ही समतुल्य स्तर वाले व्यक्ति तथा दूसरा व्यक्ति, उस संबद्ध विषय का विशेषज्ञ होना चाहिएँ ऐसे महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित/घोषित कर दिया गया है—उस स्थिति में उस सम्बद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो ऐसे विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका संबंध विश्वविद्यालय से नहीं हो और जिन को उन पाँच व्यक्तियों की सूची में से नामित किया गया हो जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से हों—और जिस सूची की अनुशंसा उपकुलपति द्वारा विशेषज्ञों की सूची में से की गई है जिस सूची को महाविद्यालय की संबद्ध सांविधिक निकाय द्वारा अनुशंसित किया गया हैं, जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिएँ
5. महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा ऐसे दो विषय विशेषज्ञों को नामित किया जाना चाहिए जो उस महाविद्यालय से जुड़े हुए नहीं हों—और जिन व्यक्तियों को उपकुलपति द्वारा, विषय विशेषज्ञों की उस सूची में से अनुशंसित किया गया हो—जिस सूची को सम्बद्ध विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया हो। ऐसे महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित/घोषित कर दिया गया है—उस स्थिति में उस संबद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा ऐसे दो विषय विशेषज्ञों को नामित किया जाना चाहिए, जिनका विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं हो और जिनको पाँच व्यक्तियों की सूची में से नामित किया गया हो जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से हों—और जिस सूची की अनुशंसा, उपकुलपति द्वारा, विशेषज्ञों की उस सूची में से की गई है—जो कि महाविद्यालय की संबद्ध सांविधिक निकाय के द्वारा अनुशंसित की गई थी।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएँ / पृथक् रूप से अपंग—इन सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व एक अकादमीशियन द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में जबकि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशियों में से ही कोई एक व्यक्ति आवेदक हो—तथा उस अकादमीशियन को

उप–कुलपति द्वारा नामित किया जाना चाहिए–उस स्थिति में यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से सम्बद्ध नहीं है।

(ब) चयन समिति की मीटिंग के लिए पाँच व्यक्तियों का कोरम गठित किया जाए–जिस मीटिंग में–तीन विषयों के विशेषज्ञों में से–कम से कम दो को वहाँ उपस्थित रहना होगा।

5.1.6 महाविद्यालय के प्रिंसिपल

(अ) महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद के लिए जो चयन समिति होगी, उस समिति का संयोजन निम्नलिखित प्रकार से होगा :

1. शासी निकाय के अध्यक्ष ही, इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. अध्यक्ष द्वारा जिन दो शासी निकाय के सदस्यों को नामित किया जाए, उनमें से एक व्यक्ति शैक्षिक प्रशासन का विशेषज्ञ होना चाहिएँ
3. उप–कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति उच्च शिक्षा विशेषज्ञ होगा। ऐसे महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है–वह व्यक्ति पाँच सदस्यों वाली समिति में से एक हो–जो महाविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा नामित एवं अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध हो तथा जिसकी अनुशंसा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के उप–कुलपति द्वारा एक विषय विशेषज्ञ के रूप में की गई हो।
4. तीन विशेषज्ञ–जिनमें महाविद्यालय के प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर एवं एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् जो कि प्रोफेसर से न्यूनपद वाले न हों (जिन्हें महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामित किया जाना है।) जो कि छः विशेषज्ञों की सूची में होंगे–जिसे कि संबद्ध सांविधिक, विश्वविद्यालय के निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिलाएँ / पृथक् तौर से सक्षम श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अकादमीशियन हों यदि उपरोक्त श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ही आवेदक हो–अथवा यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबद्ध नहीं हो तो उनको उप–कुलपति द्वारा मनोनीति किया जाना है।

(ब) चयन समिति की संरचना में कम से कम पाँच सदस्य हो–जिनमें से दो विशेषज्ञ हों।

(स) चयन समिति की समस्त कार्यवाहियाँ उनकी मीटिंग के दिन ही सम्पूर्ण हो जाएँगी–जिसमें मीटिंग का कार्यवृत्त दर्ज किया जाएगा जिसमें चयनित का ब्यौरा तथा श्रेष्ठता के आधार पर जो भी अनुशंसा की गईं–चयनित की सूची तथा प्रतीक्षा सूची वाले प्रत्याशी/श्रेष्ठता के आधार पर नामों की सूची जो सभी दस्तावेज चयन समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

5.1.7 शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में, निदेशकों, उपनिवेशकों सहायक निदेशकों, उप–लाइब्रेरियनों एवं सहायक लाइब्रेरियनों के लिए जो चयन समितियाँ नियुक्त होगीं वे ही चयन समितियाँ होंगी, जो कि प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक–प्रोफेसर, इनके लिए होगी और इसके अतिरिक्त, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद, खेलकूद प्रशासन में, अथवा लाइब्रेरी में जो संबंध विशेषज्ञ होगा या अभ्यासव्रत लाइब्रेरियन/ शारीरिक शिक्षा का विशेषज्ञ होगा–जैसी भी स्थिति विद्यमान होगी–वह भी चयन समिति के साथ विषयगत विशेषज्ञों के रूप में संबद्ध रहेगा।

6.0.0 चयन प्रक्रियाएँ

6.0.1 समग्र चयन प्रक्रियाओं में आवेदकों की योग्यताएँ एवं उनके प्रत्यायकों के विश्लेषण से जुड़ी, पारदर्शी, उद्देश्यपरक एवं विश्वसनीय प्रविधि को सम्मिलित किया जायेगा– और यह समस्त बातें आधारित होंगी उन अधिमानताओं पर जो कि किसी भी प्रत्याशी के उस निष्पादन पर दी जायेगी–जिस निष्पादन को विभिन्न आयामों में ख्याति अर्जन के रूप में किया गया है। तथा क्रमश : यह समस्त उपरोक्त विवरण उन शैक्षिक निष्पादन सूचकों (ए.पी.आई.) पर आधारित रहेगा जिन सूचकों का प्रावधान इन नियमनों के अन्तर्गत तालिकाओं i से ix तक संलग्नक xii के द्वारा किया गया है।

इस लक्ष्य से कि यह प्रणाली और अधिक विश्वस्त बने, विश्वविद्यालयों द्वारा अध्यापन अथवा शोध प्रवृत्ति के प्रति क्षमता को निर्धारित करने के लिए– किसी विचार गोष्ठी के आयोजन द्वारा अथवा कक्षाकक्ष में विद्यमान वातावरण द्वारा अथवा परस्पर ऐसी चर्चा द्वारा प्राप्त किया जाये अथवा इस बात पर चर्चा होनी चाहिये कि विचाराधीन स्तर पर अध्यापन एवं शोध कार्य में अद्यतन तकनीक की क्षमता का उपयोग कैसे किया जाएँ

इन समस्त प्रविधियों का अनुसरण–प्रत्यक्ष भर्ती एवं सी.ए.एस. प्रोन्नितयों के लिए किया जा सकता है–जैसा कि इन नियमों के अन्दर चयन समितियों द्वारा निर्धारित किया गया है।

6.0.2 विश्वविद्यालय अपने सांविधिक निकायों द्वारा चयन समितियों और चयन प्रक्रियाओं के लिए इन विनियमों को अंगीकार करेंगे जिसमें विश्वविद्यालय के विभागों और उनके घटक/संबद्ध कॉलेजों (सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/स्वायत्तशासी/निजी कॉलेज) को सभी चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए निष्पादन आधारित अकादमी निष्पादन सूचक (ए.पी.आई.) और निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) अपनाना होगा । ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0एस0 के आधार पर सीधी भर्ती और कैरियर प्रगति योजना (सी. ए.एस.) के लिए सूचक पी0बी0ए0एस0 सॉचा प्रारूप को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वरा अलग से विश्वविद्यालयों को भेजा जाएगा । विश्वविद्यालय सॉचा प्रारूप को अंगीकार करें या वे इन विनियमों के विहित पी0बी0ए0एस0 आधारित ए.पी.आई. मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए शिक्षकों हेतु अपना स्वतः मूल्यांकन सह निष्पादन मूल्यांकन फार्म बनाएँ ।

6.0.4 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए सभी चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक/महिला/अन्य विभिन्न श्रेणियों के अकादमीविद्, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्वि करने वाला कोई व्यक्ति अभ्यर्थी है और चयन समिति का कोई सदस्य उस श्रेणी से संबंधित नहीं है, उसका नामांकन विश्वविद्यालय के उप–कुलपति या कार्यवाहक उप–कुलपति, कॉलेज के मामले मे उस कॉलेज के विश्वविद्यालय के उप–कुलपति कार्यवाहक उप–कुलपति द्वारा किया जाएगा । प्रयोजन के लिए नामित अकादमीविद् अभ्यर्थी से एक संवर्ग ऊपर होंगे और ऐसे नामिती यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों के संबंध में संबंधित केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के मानदंडों का पालन चयन प्रक्रियाके दौरान कड़ाई से करेंगे ।

6.0.5 (1) विभिन्न विषय के डाटाबेस द्वारा सूचीबद्ध प्रकाशन के प्रलेखन के अतिरिक्त, संबंधित विश्वविद्यालय विषय समिति(यों) के विशेषज्ञों और आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. के माध्यम से ये कार्य करेंगे – (क)

संबंधित विषय (यों) राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर मानक पत्रिकाओं की विस्तृत सूची तैयार करेंगे और (ख) भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं/पत्रों/अन्य प्रकाशनों संबंधी पुस्तकों की विस्तृत सूची तैयार करेंगे और उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डालेंगे एवं जिसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा ।

(2) संबंधित राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समन्वयन समिति द्वारा भारतीय भाषायी प्रकाशनों के स्तर का निर्धारण राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाएगा ।

(3) अभ्यर्थी की नियुक्ति/पदोन्नति के दौरान उसके प्रकाशनों के स्तर का मूल्यांकन करते समय चयन समितियों को उक्त दो सूचियॉ उपलब्ध करानी होंगी जिन पर चयन समितियों द्वारा अन्य विषय विशेष के डाटाबेस के साथ विचार किया जाएगा ।

(4) जहाँ तक विश्वविद्यालय वार भारतीय भाषाओं की स्वीकृति की बात है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यथा साम्य रूप से ऐसे प्रकाशनों एवं अन्य सामग्रियों की स्वीकार्यता तथा पत्रिकाओं के समान गुणवत्ता हेतु समिति का गठन करेगा ।

6.0.6 एक एसोसिएट प्रोफेसर के चयन प्रक्रियामें संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा इस विनियमन और अलग से दिए गए प्रारूप में ए0पी0आई0 मानदण्ड के आधार पर निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) का ब्यौरा बायोडाटा में विधिवत देना होगा । बिना किसी पूर्वाग्रह के इस विनियमन के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर के चयन हेतु निर्धारित मानदंडों हेतु कॉलेज में सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में पदोन्नति हेतु निम्नलिखित अनुसंधान प्रकाशनों को निर्धारित किया जाएगा ।

(क) वे जिनके पास पीएच0डी0 डिग्री है उन्होंने सहायक प्रोफेसर की सेवावधि के दौरान कम से कम एक प्रकाशन किये हो;

(ख) जिनके पास एम.फिल. डिग्री है, उन्होंने सहायक प्रोफेसर की सेवावधि के दौरान दो प्रकाशन करया हो; और

(ग) जिनके पास पीएच0डी0 या एम.फिल. डिग्री नहीं है, उन्होंने सहायक प्रोफेसर की सेवावधि के दौरान कम से कम तीन प्रकाशन किया होंगे।

बशर्ते, जहाँ तक विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बात है, सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में पदोन्नति के लिए उक्तवर्णित तीनों श्रेणियों के लिए तीन प्रकाशन अनिवार्य होगें ।

बशर्ते, साक्षात्कार से पहले ऐसे प्रकाशनों को विषय के विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जाएगा और विशेषज्ञों द्वारा दिए गए प्रकाशन के मूल्यांकन अंकों को, चयन समिति द्वारा चयन के परिणाम को अंतिम रूप देते समय, वेटेज दिया जाएगा ।

6.0.7 प्रोफेसरके चयन की प्रक्रियामें बायोडाटा आमंत्रित करना होगा जिसमें संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए इस विनियमन के निर्धारित पी0बी0ए0एस0 सेट पर आधारित ए0पी0आई0 मानदंडों तथा अभ्यर्थी के पॉच बड़े प्रकाशनों तथा उनके पुनः प्रकाशन के आधार पर निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) को विधिवत भरना होगा ।

बशर्ते अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे समस्त प्रकाशनों को उस अवधि से पूर्व ही प्रकाशित किया गया हो जिस अवधि से उस शिक्षक को सहायक प्रोफेसर चरण–दो के लिए नियुक्त किया गया हो ।

बशर्ते यही कि ऐसे प्रकाशन को साक्षात्कार के पहले विषय विशेषज्ञ को उपलब्ध कराया जाएगा और विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशन के मूल्यांकन व चयन को अंतिम रूप देते समय वेटेज दिया जाएगा ।

6.0.8 ऐसे प्रोफेसरों के चयन के मामले में जो अकादमी के विषय के बाहर के हैं और जिन पर खण्ड 4.1.0 (ख) के अंतर्गत विचार किया जाता है, विश्वविद्यालयों के सांविधिक निकाय स्तर मानदंड और प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे ताकि केवल ऐसे उत्कृष्ट

व्यावसायी जो कि, विश्वविद्यालय की ज्ञान प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, का चयन किसी विषय में आवश्यकता के अनुरूप किया जाए ।

6.0.9 प्रोफेसरके चयन की प्रक्रिया में अकादमिक कार्य निष्पादन सूचक (ए0पी0आई0) की अंग प्रणाली सीधी भर्ती के प्रोफेसरों के समान होगी । इसके अतिरिक्त चयन समिति वेटेज के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों का मूल्यांकन करेगी:

क. शिक्षण, अनुसंधान और प्रकाशन का मूल्यांकन (20 प्रतिशत);

ख. स्पष्ट और प्रभावी तरीके से सम्प्रेषण करने की क्षमता (10 प्रतिशत)

ग. संस्थानों के कार्यक्रम को बनाने की योग्यता, पाठ्यक्रम के विस्तार का विश्लेषण और उस पर चर्चा एवं अनुसंधान सहायता तथा कॉलेज के विकास/प्रशासन का कार्य (20 प्रतिशत); और

घ. व्याख्यान देने की क्षमता संबंधी कार्यक्रम जिसका निर्धारण अभ्यर्थी द्वारा समूह चर्चा में भाग लेकर या कक्षा समान स्थिति में व्याख्यान देकर लगाया जा सकता है (10 प्रतिशत); और

ङ. इन विनियमों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए प्राफार्मा में निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) के आधार पर अभ्यर्थी के गुणों और प्रत्यय पत्र का विश्लेषण (कुल ए0पी0आई0 अंको में 40 प्रतिशत तक की कमी) ।

6.0.10 कुछ विषयों/क्षेत्रों जैसे संगीत और ललित कला, विजुअल आर्ट एवं परफार्मिंग आर्ट, शारीरिक शिक्षा और पुस्तकालय जिनकी अपनी अलग तरह की प्रकृति है, के पदो के चयन प्रक्रियामें प्रत्येक पदो के इन विनियमों में निर्धारित कार्यों पर ज्यादा बल दिया जाए । इसे संबंधित संस्थानों द्वारा सीधी भर्ती और सी0ए0एस0पदोन्नति दोनों के लिए ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0एस0 प्रारूप तैयार करते समय इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

6.0.11 वि.अ.आ./राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष कुलपति (विश्वविद्यालय के मामले में) और प्रोफेसर(कॉलेजों के मामले में) होंगे । आईक्यूएसी संस्थान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से बनाए गए सूचक सांचा का प्रयोग करते हुए पी0बी0ए0एस0 प्रोफार्मा आधारित एपीआर के मानदंड के विकास में सहायता सहित और दस्तावेज रख्ररखाव प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेगा । आइक्यूएसी, यथव्यवहार्य, पी0बी0ए0एस0 में प्रत्येक शिक्षक का छात्रों द्वारा मूल्यांकन के घटक के बिना शामिल किए, एनएएसी के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यार्थी फीडबैक प्रणाली शुरू करे ।

6.1.0 जबकि ए0पी0आई0

(क) परिशिष्ट–तीन की सारणी–एक और तीन विश्वविद्यालययों और कॉलेजों में प्रोफेसरों/एसोसिएट प्रोफेसरों पर लागू है;

(ख) परिशिष्ट–तीन की सारणी चार, पांच और छह शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के निदेशकों/उप निदेशकों/सहायक निदेशकों पर लागू है; और

(ग) परिशिष्ट–तीन की सारणी सात, आठ और नौ सीधी भर्ती तथा कैरियर एडवांसमेंट पदोन्नति दोनों के पुस्तकालयाध्यक्षों/उप–पुस्तकालयाध्यक्षों और सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों पर लागू है ।

प्रत्येक संवर्ग के लिए श्रेणीवार ए0पी0आई0 अंक का न्यूनतम अनुपात/प्रतिशत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा यू0जी0/पी0जी0 कॉलेज के शिक्षकों, जैसा कि परिशिष्ट–तीन की सारणी में दिया गया है, से अलग होगा ।

6.2.0 उपर्युक्त संवर्गों के लिए सीधी भर्ती व कैरियर प्रगति योजनाओं के विनियमों के लिए चयन समितियों और चयन प्रक्रियाओं एवं ए0पी0आई0 अंक की आवश्यकताएँ समान होंगी । तथापि, चूंकि सीधी भर्ती से आए शिक्षक अलग पृष्ठभूमि और संस्थानों को हो सकते हैं इसलिए परिशिष्ट – तीन की सारणी दो (ग) शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों की सीधी भर्ती के लिए मानदंड निर्धारित करता है जबकि सारणी 2 (क) और 2 (ख)

शिक्षकों का क्रमशः विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सी0ए0ए0एस0 पदोन्नतियों का प्रावधान करती है, जो इन अंतरों को पाट देता है ।

6.3.0 सी0ए0ए0एस0 पदोन्नति में 31.12.2008 से भूतलक्षी प्रभाव से सूचना को एकत्र करने और इन विनियमों के क्रियान्वयन में कठिनाइयों को समाप्त करने के उपाय के रूप में ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0ए0एस0 को प्रगामी और भविष्य लक्षी प्रभाव से शुरू किया जाएगा । तदनुसार, जैसाकि इन सारणियों में उल्लिखित है, श्रेणी एक और दो का ए0पी0आई0 के अंकों के आधार पर पी0बी0ए0ए0एस0 को एक वर्ष के लिए क्रियान्वित करना है जो विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की वर्तमान प्रणाली में सारणी–दो (क) और दो (ख) के लिए न्यूनतम वार्षिक अंक एक वर्ष के लिए हो, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों या पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा एवं खेल संवर्गों, जैसाकि सारणी पाँच (क) और पाँच (ख), सारणी आठ (क) और आठ (ख) में वर्णित है क्रमशः होगा । वर्षीयकृत ए0पी0आई0 अंकों को प्रगामी रूप से सहयोजित किया जा सकता है जब शिक्षक अगले संवर्ग में सी0ए0ए0एस0पदोन्नति के लिए योग्य हो जाएँ अतः यदि किसी शिक्षक को 2010 में सी0ए0ए0एस0पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो केवल 2009–10 की ए0पी0आई0 अंकों के मूल्याँकन की आवश्यकता होगी । किसी शिक्षक के 2011 में सी0ए0ए0एस0 पदोन्नति पर विचार के मामले में इन श्रेणियों के दो वर्षों को ए0पी0आई0 अंकों के औसत की आवश्यकता मूल्याँकन और अन्य कार्यों के लिए होगी जिससे अवधि का संपूर्ण मूल्याँकन प्रभावी रूप से होगा । श्रेणी तीन के लिए (अनुसंधान और अकादमिक योगदान) ए0पी0आई0 अंक से पूर्ण मूल्याँकन अवधि के लिए लागू होगा ।

6.3.1 सी0ए0ए0एस0 के अंतर्गत पदोन्नति पाने हेतु विचार किए जाने वाले शिक्षक को निर्धारित तिथि से तीन माह पूर्व अपने विश्वविद्यालय/कालेज को लिखित रूप में यह बताना होगा कि वह सी0ए0ए0एस0के अंतर्गत सभी अर्हताएँ पूरी करता/करती है और उसे विश्वविद्यालय/कॉलेज को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया निष्पादन आधारित मूल्याँकन प्रणाली प्रोफार्मा प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ इन विनियमों में निर्धारित ए0पी0आई0 दिशानिर्देशों के अनुसार साख पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

सी0ए0एस0 के अधीन विभिन्न स्थितियों में चयन समिति की बैठक आयोजित करने में विलंब से निपटने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज तुरंत छानबीन/चयन समिति की प्रक्रियाशुरू करे तथा आवेदन की तिथि से छह माह के भीतर प्रक्रियाको पूर्ण करे। इसके अलावा किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए 31 दिसंबर, 2008 को या इस विनियमन के अधिसूचित होने तक इन विनियमों में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को उस तिथि या 31 दिसंबर, 2008, जिस तिथि को वे अर्हता की शर्तों को पूरा करते हैं, जोकि उपर्युक्त वर्णित है, से पदोन्नति की जाए ।

6.3.2 परिशिष्ट तीन की सारणी–दो (क और ख) के विनियमों प्रस्तावित ए0पी0आई0 अंकों के अधीन न्यूनतम आवश्यक अंक न पाने वाले अभ्यर्थी या वे जो चयन प्रक्रियाके विशेषज्ञता मूल्याँकन में 50 प्रतिशत से कम अंक पाते हैं, उनका न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के बाद पुनः मूल्याँकन किया जाए । पदोन्नति की तिथि वह होगी जिस तिथि को वह पुनः मूल्याँकन में सफल हो जाता/जाती है ।

6.3.3 चयन समिति के प्रावधान, जिसका उल्लेख 5.1.0 से 5.1.7 के खण्डों में हुआ है, शिक्षकों की संख्या पर सभी सीधी भर्ती और सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में वृत्ति उन्नति पदोन्नति और एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर बनने में लागू होंगे ।

6.3.4 सहायक प्रोफेसर के निम्नलिखित संवर्ग से उच्च संवर्ग सी0ए0एस0 पदोन्नति "छानबीन सह मूल्याँकन समिति" द्वारा परिशिष्ट–तीन की तालिका में बी0पी0ए0एस0 में ए0पी0आई0 अंक रूप में निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए किया जाएगा ।

6.3.5 एक ए0जी0पी0 से दूसरे उच्च ग्रेड ए0जी0पी0 में पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा में सहायक प्रोफेसर/समान संवर्ग के सी ए एस पदोन्नति हेतु "छानबीन–सह मूल्याँकन समिति" में निम्नलिखित शामिल होंगे –

6.3.5.1 विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए:

क. कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में;

ख. संबंधित संकाय के अधिष्ठाता;

ग. विभागाध्यक्ष/स्कूल के अध्यक्ष; और

घ. कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की समिति में से विषय का नामित विशेषज्ञ ।

6.3.5.2 कॉलेज के शिक्षकों के लिए:

क. कॉलेज के प्राचार्य;

ख. कॉलेज के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष;

ग. कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के पैनल में से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ;

6.3.5.3 उपर्युक्त दोनों श्रेणियों की इन समितियों की गणपूर्ति में विषय विशेषज्ञता/विश्वविद्यालय के नामिती को उपस्थित होना जरूरी सहित तीन व्यक्ति होंगे ।

6.3.6 इन विनियमों पर आधारित संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार पी0बी0ए0एस0 प्रणाली के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त ए0पी0आई0 के सत्यापन/मूल्याँकन और सहायक प्रोफेसर के प्रत्येक संवर्ग के (क) की तालिका–दो और तीन, शारीरिक शिक्षा और खेल–कूद के प्रत्येक संवर्ग के लिए (ख) की तालिका पाँच और छह; एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रत्येक संवर्ग के लिए तालिका आठ और नौ में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर 'छानबीन–सह–मूल्याँकन' समिति विश्वविद्यालय के सिंडीकेट/कार्यकारी परिषद्/प्रबंधन से सी0ए0एस0 के अंतर्गत पदोन्नति की उपयुक्तता संबंधी क्रियान्वयन की सिफारिश करेगी ।

6.3.7 उपर्युक्त सभी चयन प्रक्रियाचयन समिति की बैठक के दिन ही पूरा की जाएगी, जिसमें पी0बी0ए0एस0 अंक प्रोफार्मा एवं मेरिट के आधार पर की गई सिफारिशों सहित कार्यवृत्त किया जाएगा और कार्यवृत्त पर चयन समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा ।

6.3.8 सी0ए0एस0 पदोन्नति पदधारी शिक्षक को वैयक्तिक पदोन्नति होने के नाते वह मूल पद धारण करता है और उसकी सेवानिवृत्ति में उक्त पद से अपने मूल संवर्ग में वापस चला आएगा ।

6.3.9 पदधारी शिक्षक को चयन समिति द्वारा चयन/सी0ए0एस0 पदोन्नति की तारीख तक विश्वविद्यालय/कॉलेज की सक्रिय सेवा की भूमिका में होना चाहिए ।

6.3.10 अभ्यर्थी यदि चाहते हैं कि पदोन्नति के मूल्याँकन हेतु उन पर विचार किया जाए और यदि वे सम्यक् ए0पी0आई0 प्रणाली में निर्दिष्ट न्यूनतम ए0पी0आई0 की पात्रता पूरी करते हैं, तो वह अपेक्षित पी0बी0ए0एस0 प्रोफार्मा में आवेदन प्रस्तुत करें । यदि वे स्वयं को पात्र मानते हैं तो वे निर्धारित तिथि से तीन महीने पहले ऐसा कर सकते हैं । वे अभ्यर्थी जो स्वयं को इसके योग्य नहीं मानते वे भी बाद की तारीख में आवेदन कर सकते हैं । संबंधित विश्वविद्यालय प्रत्येक स्थिति में योग्य अभ्यर्थियों से पदोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए वर्ष में दो बार समान परिपत्र जारी करेगा ।

6.3.11 अंतिम मूल्याँकन में यदि कोई अभ्यर्थी पी0बी0ए0एस0 प्रोफार्मा के मानदंडों के अंतर्गत न्यूनतम ए0पी0आई0 के मानक को पूरा नहीं करता है या विशेषज्ञों के मूल्याँकन में 50 प्रतिशत से कम पाता है, जहाँ कहीं लागू हो, ऐसे अभ्यर्थी का पुनर्मूल्याँकन कम से कम एक वर्ष बाद होगा ।

6.3.12 (क) यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता के पूर्ण होने के बाद आवेदन करता है और सफल हो जाता है तो पदोन्नति की तिथि न्यूनतम पात्रता अवधि से होगी ।

(ख) यदि, तथापि अभ्यर्थी को पता चलता है कि वह बाद की तिथि से अर्हता की शर्त पूरी करता है/करती है और उस तिथि को आवेदन करता/करती है और सफल हो जाता/हो जाती है तो उसका/उसकी पदोन्नति अर्हता पूरी करने की तारीख से लागू होगी ।

(ग) यदि अभ्यर्थी पहले प्रयास में सफल नहीं होता बल्कि अंतिम प्रयास में सफल होता है तो उसकी पदोन्नति सफलता पूर्ण मूल्याँकन वाली बाद की तिथि से मानी जाएगी ।

6.4.0 पदधारियों और नवनियुक्त सहायक प्रोफेसरों/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों का वृत्ति उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के चरण

6.4.1 प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसर (चरण–एक) वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) के अंतर्गत दो पावती चरणों (चरण दो और चरण तीन) के बाद पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते पात्रता और कार्य निष्पादन मानदंड, जैसाकि इस विनियम के खण्ड 6.3 में निर्धारित है, के अनुरूप उनका मूल्याँकन किया जाए ।

6.4.2 प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसर, जिनके पास संबंधित विषय में पीएच0डी0 की डिग्री है, चार वर्ष के सहायक प्रोफेसर की सेवा के बाद अगले उच्च संवर्ग (चरण–2) में जाने के पात्र होंगे ।

6.4.3 प्रवेश के स्तर पर सहायक प्रोफेसर जिन्होंने एम0 फिल0 डिग्री या साँविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे एलएलएम/एमटेक आदि परास्नातक डिग्री ली है, सहायक प्राफेसर के पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) के लिए पात्र होंगे ।

6.4.4 प्रवेश के स्तर पर सहायक प्रोफेसर जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पीएच0डी0 या एम0फिल0 या स्नातकोत्तर डिग्री करनी है, सहायक प्राफेसर के छह वर्ष की सेवा के बाद अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) के लिए पात्र होंगे ।

6.4.5 सभी सहायक प्रोफेसरों के लिए प्रवेश स्तर (चरण–एक) से अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) में पहुंचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस विनियम में बनाए ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0एस0 की शर्तों के अधीन होगा ।

6.4.6 सहायक प्रोफेसर जिन्होंने दूसरे ग्रेड (चरण–दो) में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण की है, वे अगले उच्च ग्रेड (चरण–तीन) में पदोन्नत होंगे जोकि इस विनियम में बनाए ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0एस0 की शर्तों के अधीन होगा ।

6.4.7 सहायक प्रोफेसरजिन्होंने तीसरे संवर्ग (चरण–तीन) में तीन वर्ष का शिक्षण कार्य पूर्ण किया है, वे अगले उच्च संवर्ग (चरण–चार) में पदोन्नति और सह–प्रोफेसरके रूप में पदस्थापित होने के पात्र होंगे जो कि अर्हता की शर्तों और इन विनियमों में निर्धारित पी0बी0ए0एस0 आवश्यकताओं पर आधारित ए0पी0आई0 के अधीन होगा ।

6.4.8 सह प्रोफेसर, जिन्होंने चौथे चरण में तीन वर्षों की सेवा पूर्ण की है और संबंधित विषय में पीएच0डी0 की डिग्री प्राप्त की है, वे प्रोफेसरके रूप में नियुक्ति और पदस्थापन के पात्र होंगे और उन्हें अगले उच्च संवर्ग (चरण–पाँच) में रखा जाएगा जोकि (क) इन विनियमों में निर्धारित परिशिष्ट–चार तालिका एक से तीन में दिए गए पी0बी0ए0एस0 प्रणाली के आधार पर ए0पी0आई0 के आधारित अपेक्षित क्रेडिट प्वाइन्ट को पूरा करता हो और (ख) जैसा कि प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए सुझाव दिया गया है, विधिवत गठित चयन समिति द्वारा मूल्याँकन को पूरा करता हो, बशर्ते पीएच0डी0 धारक शिक्षक के अलावा कोई अन्य शिक्षक को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति या नियुक्ति नहीं दी जाएगी ।

6.4.9 कॉलेज में सह प्रोफेसर के मामले में सी0ए0एस0 के अंतर्गत प्रोफेसरके पद पर पदोन्नति इस विनियम के खण्ड 6.5.1 और 6.5.2 के अधीन होगा ।

6.4.10 विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के दस प्रतिशत स्थान हेतु वे लोग हैं जिन्होंने प्रोफेसर के रूप में पूर्व संशोधित या संशोधित वेतनमान में कम से कम दस वर्ष की सेवा की, वे प्रोफेसर के उच्च संवर्ग (चरण–छह) में पदोन्नति के पात्र होंगे बशर्ते विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा इन विनियमों में निर्धारित पीबीएस प्रणाली के माध्यम से तालिका–एक और दो में दिए गए आपेक्षित ए0पी0आई0 अंकों को पूरा करते हों और उच्च संवर्ग में पदोन्नत होने वाले ऐसे शिक्षक 'प्रोफेसर' के रूप में पदस्थापित किए जाते रहेंगे । जैसा कि प्रोफेसर के लिए यह ए0जी0पी0 मूल्याँकन केवल

विश्वविद्यालय के विभागों के लिए लागू है इसलिए अतिरिक्त साखपत्र के साथ निम्न साक्ष्य होना चाहिए:–

(क) उच्च स्तर का पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान;

(ख) अवार्ड/सम्मान/और पहचान;

(ग) अतिरिक्त अनुसंधान उपाधियाँ जैसे डी0एस0सी0, डी0लिट्0, एल0आई0डी0 आदि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षक के मामले में उत्पादों का पेटेन्ट्स और आईपीआर एवं स्थापित प्रक्रिया/अंतरित की गई प्रौद्योगिकी ।

यह चयन विश्वविद्यालय द्वारा वरिष्ठता के आधार पर पात्र प्रोफेसरों द्वारा विधिवत भरे पीबीए प्रोफार्मा प्राप्त होने के बाद प्रत्येक संकाय में उपलब्ध संख्या का तीन गुना आवेदन के आधार पर किया जाएगा । यदि उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों के तीन गुने से कम है तो विचार का आधार वास्तव में उपलब्ध अभ्यर्थी होंगे। जैसाकि परिशिष्ट–चार की सारणी–दो (क) में निर्धारित है, विश्वविद्यालय के विभागों के शिक्षकों के लिए सभी प्रस्तुत साखपत्रों के मूल्याँकन की प्रक्रिया विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी । इस श्रेणी के लिए अलग से साक्षात्कार आवश्यक नहीं है ।

6.4.11 संकाय के शिक्षकों के वेतनमान और अन्य मेरिट आधारित कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले में मेरिट के संदर्भ में प्रत्येक अभ्यर्थी से समझौता करते समय उन लोगों को अग्रिम वेतन वृद्धि देने का विवेकपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय से संबंधित सक्षम प्राधिकारी या चयन समिति(यों) की सिफारिश के आधार पर भर्ती करने वाले संस्थान का होगा जो सह–प्रोफेसर या प्रोफेसर के पेशे में उच्च योग्यता, बड़ी संख्या में अनुसंधान प्रकाशन और सम्यक स्तर पर अनुभव रखते हैं । विवेक के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि देना उन पर लागू नहीं होगा जो सहायक प्रोफेसर/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षक और खेल–कूद और वे लोग जिन्होंने पीएच0डी0, एम0फिल0, एम0टेक0 आदि की डिग्री प्राप्त करने

पर अग्रिम वेतन वृद्धि मिलती है। तथापि, वे लोग जो सहायक प्रोफेसर/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेल–कूद की सेवा में पीएच0डी0 के बाद पोस्ट डाक्टोरल शिक्षा/अनुसंधान अनुभव के साथ आए और तथा जिनका प्रमाणित प्रत्यय पत्र हो, वे अग्रिम वेतन वृद्धि विवेकपूर्ण अवार्ड के पात्र होंगे और इस संबंध में निर्णय को चयन समिति के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाए ।

6.5.0 स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर कॉलेजों में प्रोफेसर

6.5.1(i) किसी स्नातक पूर्व कॉलेज में सह प्रोफेसर के पदों की संख्या का दस प्रतिशत पद प्रोफेसरों का होगा जोकि विश्वविद्याालयों के प्रोफेसरों के चयन/नियुक्ति के मानदंड के समान होगा ।

बशर्ते, एक विभाग में एक से ज्यादा प्रोफेसर नहीं होंगे;

बशर्ते, स्नातक पूर्व कॉलेज में प्रोफेसरों के पदों का एक चौथाई पद (25 प्रतिशत) पात्र शिक्षकों द्वारा सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएगी और शेष तीन चौथाई (75 प्रतिशत) प्रोफेसरों के पदों को स्नातक कॉलेज के संबधित विभाग के पात्र सह–प्रोफेसरों को सी0ए0एस0 पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा ।

शँका दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृति पदों में सीधी भर्ती और सी0ए0एस0 पदोन्नति दोनो के अंतर्गत स्वीकृत पद शामिल है ।

(ii) सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से स्नातक कॉलेज में प्रोफेसरों के पद को भरने की पहचान संबद्ध/संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज के परामर्श से किया जाएगा । जहाँ सह–प्रोफेसर के पदों के सी0ए0एरा0 पदोन्नति या सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर संख्या के प्रतिशत के आधार पर प्रोफेसरके पदों की संख्या पूर्णांक में नहीं है तो इसे अगली संख्या के पूर्णांक में बदल दिया जाएगा ।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा वरिष्ठता और उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की तीन गुनी संख्या के आधार पर पात्र सह प्रोफेसरों से पीबीएस प्रोफार्मा प्राप्त करने के बाद चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी । यदि रिक्तियों की संख्या की तुलना में अभ्यर्थी तीन गुने से कम हैं तो चयन का दायरा उपलब्ध अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर होगा । चयन पी0बी0ए0एस0 प्रणाली के साथ ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए इन विनियमों में निर्धारित चयन प्रक्रियाके आधार पर की जाएगी । सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत पदों के लिए पदोन्नति सहित 'रोटा–कोटा' प्रणाली अपनाया जाएगा ।

6.5.2 स्नातकोत्तर कॉलेज के प्रत्येक विभाग में एक प्रोफेसरका पद होगा जोकि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के चयन/नियुक्ति के मानदंड के अधीन होगा बशर्ते प्रोफेसरों के एक चौथाई पदों (25 प्रतिशत) पात्र शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा और शेष तीन चौथाई (75 प्रतिशत) पदों को स्नातकोत्तर कॉलेज के संबंधित विभाग के पात्र सह–प्रोफेसरों में से मेरिट पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा । प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रोफेसर के पदों को स्नातकोत्तर कॉलेज. में चिन्हित करने का कार्य संबद्ध संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज के परामर्श से किया जाएगा। प्रोफेसर के पदों को सी0ए0ए0एस0पदोन्नति या सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा, इसका निर्णय विश्वविद्यालय कॉलेज के परामर्श से लिया जाएगा। जहाँ सी0ए0ए0एस0 पदोन्नति या सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी स्नातकोत्तर कॉलेज के कुछ पदों की संख्या के आधार पर प्रतिशत में निकाला गया है और यह पूर्णांक नहीं है तो यह अगली संख्या का पूर्णांक होगा ।

विश्वविद्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया, पात्र सह–प्रोफेसर की वरिष्ठता और उपलब्ध रिक्ति की तीन गुनी संख्या के आधार पर पी0बी0ए0ए0एस0 प्रोफार्मा प्राप्त करने के बाद की जाएगी। यदि उपलब्ध रिक्ति तीन गुनी संख्या से कम है तो वास्तविक उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर विचार किया जाएगा । चयन पी0बी0ए0ए0एस0

प्रणाली के साथ ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए इन विनियमों में निर्धारित चयन प्रक्रियाके आधार पर की जाएगी । सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत पदों हेतु पदोन्नति सहित 'रोटा–कोटा' प्रणाली अपनायी जाएगी और सीधी भर्ती कोटा वर्णक्रमानुसार चलेगी ।

6.6.0 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष आदि के लिए वृत्ति उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के चरण

6.6.1 प्रवेश के स्तर पर विश्वविद्यालय/कॉलेज के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने पुस्तकालय विभाग में पीएच0डी0 की है, निम्न संवर्ग में चार वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद, यदि अन्यथा वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्धारित ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार पात्र हैं, तो वे अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) के पात्र होंगे ।

6.6.2 प्रवेश के स्तर पर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज के पुस्तकालयाध्यक्ष, जिन्होंने पुस्तकाल विषये में पीएच0डी0 नहीं की है, निम्न संवर्ग में पाँच वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद, यदि अन्यथा वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्धारित ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार पात्र हैं, तो वे अगले संवर्ग (चरण–दो) के पात्र होंगे ।

6.6.3 प्रवेश के स्तर पर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज के पुस्तकालयाध्यक्ष, जिन्होंने संबंधित विषयो में पीएच0डी0 या एम0फिल0 नहीं की है, निम्न संवर्ग में छह वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद, यदि अन्यथा वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्धारित ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार पात्र हैं, तो वे अगले संवर्ग (चरण–तीन) के पात्र होंगे ।

6.6.4 पाँच वर्षों की सेवा पूर्ण करने के बाद सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज के पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/समान पदो के योग्य और अगले संवर्ग (चरण–तीन) में रखे जाएँगे बशर्ते वे इन विनियमों में सी0ए0एस0पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा

निर्धारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति के आधार पर ए0पी0आई0 अंक प्रणाली की पात्रता की अन्य शर्तें (जैसे उप–पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए पीएच0डी0 आदि) पूरी करते हों । उन्हें उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन संवर्ग)/कॉलेज के पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन संवर्ग), जैसी स्थिति हो, के रूप में पदस्थापित किया जाएगा ।

6.6.5 उक्त संवर्ग में तीन वर्ष पूरा करने के बाद उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ समान पद अगले संवर्ग (चरण–चार) में जाएँगे जोकि इन विनियमों में सी0ए0एस0पदोन्नति के लिए वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति के आधार पर ए0पी0आई0 अंक प्रणाली की अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा ।

6.7.0 शारीरिक शिक्षा और खेल–कूद से संबंधित कर्मियों हेतु वृत्ति उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के चरण

6.7.1 प्रवेश के स्तर पर सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस0/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 की डिग्री ली है, प्रवेश के स्तर पर (चरण–एक) चार वर्ष पूरा करने के बाद, वे अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) के लिए पात्र होंगे यदि वे अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सी0ए0एस0पदोन्नति के इन विनियमों में निर्धारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति और ए0पी0आई0 अंक प्रणाली के पात्र होते हैं ।

6.7.2 प्रवेश के स्तर पर सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस00/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस00 जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में एम.फिल. किया है, वे प्रवेश के स्तर पर पाँच वर्ष पूरा करने के बाद और यदि वे अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सी0ए0एस0 पदोन्नति के इन विनियमों में निर्धारित पीपवीएएस पद्धति और ए0पी0आई0 अंक प्रणाली के अनुसार पात्र है, तो वे अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) में जाने के पात्र होंगे ।

6.7.3 प्रवेश के स्तर पर संबधित विषय में पीएच0डी0 और एम.फिल. धारी सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस0/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 उक्त स्तर पर सहायक

डी0पी0ई0 एण्ड एस0/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 के साथ छह वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) के लिए पात्र होंगे यदि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सी0ए0एस0 पदोन्नति के इन विनियमों में निर्धारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति और ए0पी0आई0 अंक प्रणाली के पात्र होते हैं ।

6.7.4 दूसरे चरण में पाँच वर्ष की पूर्ण करने के बाद और ए0पी0आई0 अंक प्रणाली तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियमों में निर्धारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अध्यधीन सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस00 (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस00 (वरिष्ठ वेतनमान) के अगले उच्च वर्ग (चरण–तीन) में पदोन्नत किया जाएगा । उन्हें उप डी0पी0ई0 एण्ड एस0/सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग)/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग) जैसी स्थिति हो, में पदस्थापित किया जाएगा ।

6.7.5 तीसरे चरण में तीन वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्धारित ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और पी0बी0ए0एस0 पद्धति को पूरा करने के अधीन उप डी0पी0ई0 एण्ड एस0/सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग)/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग) अगले उच्च संवर्ग (चरण–चार) में जाएँगे । उन्हें उप डी0पी0ई0 एण्ड एस0/सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग)/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग) के रूप में पदस्थापित किया जाएगा ।

6.8.0 इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची पदधारी और नव नियुक्त शिक्षक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उसके अधीनस्थ कॉलेजों में पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में समान पदों का सी0ए0एस0के अंतर्गत वेतनमान, पदनाम और पदोन्नति के चरणों को रेखाँकित करता है एवं उन संस्थानों को मानद–विश्वविद्यालय माना जाएगा जिसका अनुरक्षण व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है ।

7.0.0 विश्वविद्यालयों के सम–कुलपति/कुलपति का चयनः

7.1.0 सम–कुलपतिः

सम–कुलपति विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक प्रोफेसरहोंगे और उनकी नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद् द्वारा की जाएगी ।

7.2.0 सम कुलपति एक अवधि के लिए पद को धारण करेंगे जो कि कुलपति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा । तथापि, कुलपति का यह विशेषाधिकार होगा कि वे अपने कार्यकाल के दौरान एक नए सम–कुलपति के लिए कार्यकारी परिषद् से अनुमोदन करे । सम–कुलपति के चयन के इन विनियमों को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधिनियम/संविधि में संशोधन के माध्यम से अंगीकार किया जाएगा ।

7.3.0 कुलपति

1. उच्च स्तर की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थान के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा । कुलपति के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अकादमीविद होना चाहिए और जिनके पास किसी विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसरके रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव या समान पद पर किसी ख्याति प्राप्त अनुसंधान और/या अकादमिक प्रशासनिक संगठन में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

2. कुलपति का चयन सार्वजनिक अधिसूचना या नामाँकन या मेधा खोज प्रक्रियाया इनके मिलकर खोज समिति द्वारा उसे 3–5 नामों के पैनल द्वारा सम्यक् खोज के माध्यम से किया जाएगा। उक्त खोज समिति के सदस्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग होंगे और किसी भी तरीके से संबंधित विश्वविद्यालय या इसके कॉलेज से संबंधित नहीं होंगे । पैनल तैयार करते समय खोज समिति अकादमिक उत्कृष्टता, देश और विदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली में योगदान को उचित वेटेज देना होगा तथा अकादमिक तथा प्रशासनिक शाखा के समुचित अनुभव को लिखित में देय होगा और इसे पैनल के साथ दर्शक/राज्यपाल को

प्रस्तुत करना होगा । राज्य और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में खोज समिति का गठन निम्नलिखित रूप में होगा :–

क) कुलपति/कुलाध्यक्ष का नामिती जो समिति के अध्यक्ष होंगे ।

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के एक नामिती ।

ग) विश्वविद्यालय के सिंडीकेट/कार्यकारी परिषद्/प्रबंध समिति के नामिती ।

3. दर्शक/राज्यपाल खोज समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से कुलपति की नियुक्ति करेंगे ।

4. कुलपति की सेवा शर्तें इन विनियमों अनुरूपता के साथ संबंधित विश्वविद्यालय के संविधि में निर्धारित होगी ।

5. कुलपति का कार्यकाल पदधारी की सेवावधि का हिस्सा होगा और उसे सेवा से संबंधित सभी लाभ मिलेंगे।

7.4.0 विश्वविद्यालय/राज्य सरकारें इन विनियमों को अंगीकार करने के छह महीने के भीतर विश्वविद्यालय के संगत अधिनिमय संविधियों में परिवर्तन या संशोधन करेंगे ।

8.0 ड्यूटी अवकाश, अध्ययन अवकाश विराम अवकाश

8.1 ड्यूटी अवकाश

1. निम्नलिखित को एक अकादमिक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का ड्यूटी अवकाश मिलेगा;

(क) विश्वविद्यालय की ओर से या विश्वविद्यालय की अनुमति से सम्मेलन, सभा, संगोष्ठी ओर सम्मेलन में भाग लेने के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे संस्थानों या विश्वविद्यालयों द्वारा उस संस्थान या विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए निमंत्रण मिलने और कुलपति द्वारा अपनी स्वीकृति मिलने पर;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय, किसी अन्य एजेन्सी, संस्थान या संगठन में कार्य करने पर;

(घ) किसी शिष्टमंडल अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, किसी निकटस्थ विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य अकादमिक निकाय द्वारा नियुक्त किसी समिति में कार्य करना; और

(ड़) विश्वविद्यालय के लिए किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करना ।

2. छुट्टी की अवधि ऐसी होनी चाहिए जैसी कि प्रत्येक अवसर पर स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाए ।

(4) छुट्टी पूरे वेतन पर दी जाए बशर्ते कि यदि अध्यापक को कोई अध्येतावृत्ति अथवा मानदेय अथवा सामान्य व्ययों के लिए आवश्यक धनराशि से अधिक कोई अन्य वित्तीय सहायता मिलती हो, उसको वेतन एवं भत्तों में कटौती करके ड्यूटी लीव स्वीकृत की जाए ।

(5) ड्यूटी लीव को अर्जित छुट्टी, अर्द्ध–वेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है ।

(6) ड्यूटी लीव यू0जी0सी0, डीएसटी इत्यादि जहाँ किसी अध्यापक को अकादमिक निकायों, सरकारी अथवा एनजीओ के साथ विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, की बैठकों में भाग लेने के लिए भी ड्यूटी लीव दी जानी चाहिए ।

8.2 अध्ययन अवकाशः

(1) अध्ययन अवकाश सेवा में प्रविष्टि स्तर पर नियुक्ति पाने वालों जैसे सहायक प्रोफेसर/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक और खेलों/महाविद्यालयों के डी.पी.ई. को तीन वर्ष की अनवरत सेवा के बाद विश्वविद्यालय में उसके कार्य से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित अध्ययन अथवा अनुसंधान के

विशेष क्षेत्र की पढ़ाई करने अथवा विश्वविद्यालय संगठन और शिक्षा की प्रविधियों का अध्ययन करने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2) इस खण्ड 8.2 में अंन्तर्विष्ट निबन्धनों के अधीन सेवा में रहते हुए किसी संगत विषय में पीएच0डी0 की डिग्री प्राप्त करने के लिए वेतन सहित अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के मामले में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्यापकों और अन्य संवर्गों के लिए रिक्त पदों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रविष्टि के बाद लगाए जाने वाले वर्षों की संख्या न्यूनतम दो वर्ष अथवा संबंधित विश्वविद्यालयों की संविधियों में निर्दिष्ट परिवीक्षा के वर्षों जितनी होगी ताकि कोई भी अध्यापक और अन्य संवर्ग के सदस्यों जो बिना पीएच0डी0 अथवा उच्चतर योग्यता की सेवा में भर्ती हो जाते हैं, को ये योग्यताएँ अपने संबंधित विषयों में कैरियर के बहुत बाद की अवस्था में प्राप्त करने के बजाय शीघ्रताशीघ्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ।

(3) अध्ययन अवकाश की वेतन सहित अवधि तीन वर्ष की होनी चाहिए लेकिन पहले दो वर्ष दिए जाएँ और यदि अनुसंधान मार्गदर्शक (गाईड) द्वारा पर्याप्त प्रगति होने की रिपोर्ट दी जाती है तो इसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अध्ययन अवकाश पर भेजे गए अध्यापकों की संख्या किसी विभाग में अध्यापकों की निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो जाए बशर्ते कि कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट किसी मामले की विशेष परिस्थितियों में दो वर्षों की अनवरत सेवा की शर्त में छूट प्रदान कर दे ।

स्पष्टीकरणः– सेवा की दीर्घता की गणना करने में उस समय जिसके दौरान कोई व्यक्ति परिवीक्षा पर था अथवा उसे अनुसंधान सहायक लगाया गया था, की भी गणना की जाए बशर्तेः–

(क) आवेदन की तिथि के दिन व्यक्ति अध्यापक है;

(ख) सेवा में कोई अन्तराल नहीं है; और

(ग) अवकाश का अनुरोध पीएच0डी0 अनुसन्धान कार्य करने के लिए किया गया है ।

(4) अध्ययन अवकाश संबंधित विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। अवकाश एक बार में तीन वर्ष से अधिक का बहुत अधिक अपवाद के मामलों में जिनमें कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विस्तार अकादमिक कारणों से अपरिहार्य और विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक है, को छोड़कर स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

(5) अध्ययन अवकाश ऐसे अध्यापक को नहीं दिया जाएगा जो उस तिथि जिस में उसके अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद ड्यूटी पर लौट आने की संभावना है, के पाँच वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाला है ।

(6) अध्ययन अवकाश किसी भी व्यक्ति को उसके सेवा काल में दो बार से अधिक नहीं दिया जाए बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में समूचे सेवाकाल के दौरान अधिकतम स्वीकार्य अध्ययन अवकाश पाँच वर्षों से अधिक न हो ।

(7) कोई भी अध्यापक जिसको अध्ययन अवकाश दिया गया है, को कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट की पूर्वानुमति के बिना अध्ययन के पाठ्यक्रम अथवा अनुसंधान के कार्यक्रम में कोई भारी परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । स्वीकृत अध्ययन अवकाश से कम अवधि में ही अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा हो जाने की स्थिति में अध्यापक अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम के पूरा होते ही तुरन्त अपनी ड्यूटी पर आ जाएगा जब तक कि उसने अध्ययन अवकाश की इस शेष अवधि को सामान्य छुट्टी के रूप में माने जाने का पूर्वानुमोदन कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट से न ले लिया हो ।

(8) निम्नलिखित उप–खण्ड (नौ) के उपबन्धों के अधीन अध्ययन अवकाश पूर्ण वेतन सहित दो वर्ष तक दिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय के विवेक पर एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है ।

(9) अध्येतावृत्ति, फेलोशिप अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता की धनराशि जो अध्ययन अवकाश पर भेजे गए शिक्षक को दी जाती है, वह उस शिक्षक/शिक्षिका को अध्ययन अवकाश वेतन एवं भत्तों सहित प्रदान करने के आड़े नहीं आएगी लेकिन इस प्रकार प्राप्त अध्येतावृत्ति इत्यादि वेतन एवं भत्तों जिन पर अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, का

निर्धारण करते समय हिसाब में रखा जाएगा । विदेशी अध्येतावृत्ति/फेलोशिप को वेतन के विरुद्ध तभी समायोजित किया जाएगा यदि फेलोशिप एक निर्दिष्ट धनराशि जिसका निर्धारण समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उस देश जिसमें अध्ययन किया जाएगा, में एक परिवार के लिए रहन–सहन की लागत के आधार पर किया जाएगा, से अधिक हो । भारतीय फेलोशिप जो शिक्षक के वेतन से अधिक हो, के मामले में वेतन नहीं दिया जाएगा ।

(10) छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि जो तीन वर्ष से अधिक न हो, के अध्यधीन अध्ययन अवकाश के साथ अर्जित छुट्टी, अर्द्ध–वेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी अथवा छुट्टियों को जोड़ा जा सकता है बशर्ते कि शिक्षक के खाते में जमा अर्जित छुट्टियाँ शिक्षक के विवेक पर ली जाएँगी । शिक्षक जिसका अध्ययन अवकाश के दौरान उच्चतर पद के लिए चयन हो जाता है तो उस पद पर रख दिया जाता है और उसे उच्चतर वेतन पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही दिया जाएगा ।

(11) अध्ययन अवकाश पर भेजे गए शिक्षक के वापिस आने पर और विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः कार्य भार ग्रहण करने के बाद वह वार्षिक वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) जो उसको उस समय मिलती जब वह अध्ययन अवकाश पर नहीं जाता, का भी लाभ उठाने का पात्र होगा । तथापि, कोई भी अध्यापक वेतनवृद्धियों के बकाया की राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(12) अध्ययन अवकाश की पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि हेतु सेवा के रूप में ही गणना की जाएगी बशर्ते शिक्षक अपने अध्ययन अवकाश की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लेता है ।

(13) किसी शिक्षक को स्वीकृत किए गए अध्ययन अवकाश को रद्द माना जाएगा यदि यह स्वीकृति के 12 माह के अंदर नहीं लिया जाता है । बशर्ते कि जहाँ स्वीकृत अध्ययन अवकाश इस प्रकार रद्द हो जाता है तो शिक्षक ऐसे अवकाश के लिए पुनः आवेदन कर दे ।

(14) अध्ययन अवकाश लेने वाला/लेने वाली शिक्षक/शिक्षिका यह वचन देगा/देगी कि वह कम से कम तीन वर्ष तक की अनवरत अवधि जिसकी गणना अध्ययन अवकाश की समाप्ति पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी, तक विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएँ देगा/देगी ।

(15) अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के बाद शिक्षक अवकाश लेने से पहले विश्वविद्यालय के पक्ष में एक बॉन्ड निष्पादित करेगा जिसके अंतर्गत वह अपने आपको उपर्युक्त उप–खण्ड में निहित शर्तों को समुचित रूप से पूरा करने के लिए बाध्य करेगा और वित्त अधिकारी/कोषाध्यक्ष की संतुष्टि के अनुरूप अचल संपत्ति की जमानत देगा अथवा किसी बीमा कंपनी का 'फाइडेलिटी बॉन्ड' अथवा किसी अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति अथवा उस धनराशि जो उपर्युक्त उप–खण्ड (चौदह) के अनुसार विश्वविद्यालय में जमा करवानी पड़ सकती हैं, के लिए दो स्थायी शिक्षकों की जमानत देगा/देगी ।

(16) शिक्षक अपने पर्यवेक्षक/संस्थान के प्रमुख से प्राप्त छमाही प्रगति प्रतिवेदन रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा/करेगी । यह प्रतिवेदन अध्ययन अवकाश के प्रत्येक छह माह की समाप्ति के बाद एक माह के अन्दर रजिस्ट्रार के पास अवश्य पहुंचाना होगा । यदि यह प्रतिवेदन रजिस्ट्रार के पास निर्दिष्ट समय के अंदर नहीं पहुंचता है तो अवकाश के वेतन का भुगतान ऐसा प्रतिवेदन मिलने तक स्थगित कर दिया जाएगा ।

8.3 विराम अवकाश

(1) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के उन स्थायी, पूर्णकालिक शिक्षकों जिन्होंने रीडर/सह–प्रोफेसरअथवा प्रोफेसरके रूप में सेवा के सात वर्ष पूरे कर लिए हों, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए उनकी प्रवीणता और उपादेयता में वृद्धि करने के एक मात्र उद्देश्य से अध्ययन अथवा अनुसंधान अथवा कोई अन्य अकादमिक कार्य को पूरा करने के लिए विराम अवकाश की स्वीकृत की जा सकती है ।

(2) इस अवकाश की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक और एक शिक्षक के पूरे सेवा काल में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) जिस शिक्षक ने अध्ययन अवकाश लिया है वह विराम अवकाश प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

परन्तु यह भी कि विराम अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पहले वाले अध्ययन अवकाश अथवा अन्य किसी प्रकार के एक वर्ष से या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम से शिक्षक के वापिस आने की तिथि से पाँच वर्ष समाप्त न हो गए हों ।

(4) किसी भी शिक्षक को विराम अवकाश की अवधि के दौरान उसके विराम अवकाश पर जाने से तुरंत पहले उस पर लागू दरों पर (निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन) पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएँगे ।

(5) कोई भी शिक्षक जो विराम अवकाश पर है उस अवकाश की अवधि के दौरान भारत अथवा विदेष में किसी भी संगठन के अधीन कोई भी नियमित नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा । तथापि उसे किसी भी उच्च अध्ययन संस्थान में नियमित नियुक्ति को छोड़कर मानदेय अथवा किसी अन्य सहायता के रूप में कोई भी फेलोशिप, अथवा अनुसंधान अध्येतावृत्ति अथवा तदर्थ शैक्षिक अथवा अनुसंधान उत्तरदायित्व स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि ऐसे मामलों में कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट यदि ऐसा चाहे, तो वह कम वेतन और भत्तों पर विराम अवकाश को स्वीकृत करे ।

(6) विराम अवकाश की अवधि के दौरान शिक्षक को नियत तिथि पर वेतन वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति होगी । अवकाश की अवधि की पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि के प्रयोजनों हेतु सेवा के रूप में गणना की जाएगी बशर्ते कि शिक्षक अपने अवकाश की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में अपने कार्यभार को ग्रहण करता है ।

8.4 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों के लिए अन्य प्रकार के अवकाश नियम

(क) स्थायी शिक्षकों को निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी अनुमेय होगी:–

(1) छुट्टी जिसे ड्यूटी माना जाएगा अर्थात् आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश और ड्यूटी अवकाश;

(2) ड्यूटी द्वारा अर्जित छुट्टी अर्थात् अर्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी और परिणत छुट्टी

(3) छुट्टी जो ड्यूटी द्वारा अर्जित नहीं की गई है अर्थात् असाधारण छुट्टी और अर्जनशोध्य छुट्टी;

(4) छुट्टियों के खाते से न काटी जाने वाली छुट्टी;

(5) अकादमिक कार्यों के लिए छुट्टी अर्थात् अध्ययन अवकाश और विराम अवकाश/अकादमिक अवकाश;

(6) स्वास्थ्य के आधार पर छुट्टी उदाहराणार्थ मातृत्व अवकाश, संगरोध अवकाश ।

(ख) कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट अपवादात्मक मामलों में उन कारणों से जिनको रिकॉर्ड किया जाना है, ऐसे निबंधनों एवं शर्तों जिन्हें यह लागू करना उचित समझे, के अध्यधीन किसी अन्य प्रकार की छुट्टी स्वीकृत कर सकती है ।

8.4.1 आकस्मिक छुट्टी

(1) किसी भी शिक्षक को एक वर्ष में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश 8 दिनों से अधिक का नहीं होगा ।

(2) आकस्मिक छुट्टी को, विशेष आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी भी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है । तथापि, ऐसी आकस्मिक छुट्टी को रविवारों सहित अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है । आकस्मिक

छुट्टी की अवधि में पड़ने वाले अवकाशों अथवा रविवारों की आकस्मिक छुट्टी के रूप में गणना नहीं की जाएगी ।

8.4.2 विशेष आकस्मिक छुट्टी

(1) विशेष आकस्मिक छुट्टी, जो एक अकादमिक वर्ष में 10 दिन से अधिक की न होगी, किसी भी शिक्षक को स्वीकृत की जा सकती है:–

(क) किसी विश्वविद्यालय/लोक सेवा आयोग/परीक्षा बोर्ड अथवा अन्य सदृश निकायों/संस्थाओं की परीक्षा का संचालन

(ख) किसी भी साँविधिक बोर्ड इत्यादि से संबद्ध अकादमिक संस्थाओं इत्यादि का निरीक्षण करनाँ

(2) अनुमेय 10 दिन की छुट्टी की गणना करने में उन स्थानों जहाँ उपर्युक्त निर्दिष्ट कार्यकलाप घटित होते हैं, की दोनों तरफ की वास्तविक यात्रा, यदि कोई हो, में लगने वाले दिनों को शामिल नहीं किया जाएगा ।

(3) इसके अतिरिक्ति निम्नलिखित दिनों की भी विशेष आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है:–

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वंय की बन्ध्याकरण शल्य चिकित्सा (नसबन्दी अथवा साल्पिनजेक्टोमी) करवाना । इस मामले में छुट्टी को 6 कार्य दिवसों तक सीमित कर दिया जाएगा; तथा

(ख) किसी भी महिला शिक्षक जो स्वयं का अस्थाई बन्ध्याकरण करवाती है, इस मामले में छुट्टी 14 दिन तक सीमित कर दी जाएगी ।

(4) विशेष आकस्मिक छुट्टी का संचय नहीं किया जा सकता और न ही इसे आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी अन्य छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है । इसे अवकाशों अथवा छुट्टियों के साथ जोड़कर प्रत्येक अवसर पर स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है ।

8.4.3 अर्जित छुट्टी

(1) किसी भी शिक्षक को अनुमेय अर्जित छुट्टी निम्नानुसार होगी:–

(क) वेकेशन सहित वास्तविक सेवा का 1/30; जमा

(ख) उस अवधि जिसके दौरान उसको छुट्टियों के दौरान ड्यूटी करनी पड़ती है, का 1/3 वास्तविक सेवा की अवधि की गणना करने के प्रयोजनों से आकस्मिक, विशेष और ऑन ड्यूटी छुट्टी की सभी अवधियों को शामिल नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी भी शिक्षक के खाते में जमा अर्जित छुट्टी 300 दिनों से अधिक की संचित नहीं होगी । एक बार में स्वीकृत की जा सकने वाली अधिकतम अर्जित छुट्टी 60 दिन से अधिक की नहीं होगी । तथापि, 60 दिनों से अधिक की अर्जित छुट्टी उच्चतर अध्ययन, अथवा प्रशिक्षण, अथवा चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी, अथवा जब समूची छुट्टी अथवा उसका एक भाग भारत से बाहर व्यतीत हो गया हो, के मामले में स्वीकृत की जा सकती है ।

शंका निवारण के लिए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए:–

1. जब कोई शिक्षक अर्जित अवकाश के साथ छुट्टियों को मिलाता है तो छुट्टियों की अवधि को औसत वेतन पर छुट्टी की अधिकतम सीमा की गणना करते समय छुट्टी माना जाएगा जिसे छुट्टी की विशेष अवधि में शामिल किया जाए ।

2. उस मामले, जिसमें छुट्टी का केवल एक भाग ही भारत से बाहर व्यतीत किया गया है, 120 दिनों से अधिक की छुट्टी की स्वीकृति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि छुट्टी का वह भाग जो भारत में व्यतीत किया गया है कुल मिलाकर 120 दिन से अधिक का नहीं होगा।

3. अर्जित छुट्टी का नकदीकरण शैक्षणिक स्टॉफ के नॉन–वेकेशन सदस्यों को अनुमेय होगा जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू होता है ।

8.4.4. अर्द्ध वेतन छुट्टी

किसी भी स्थायी शिक्षक को अनुमेय अर्द्ध वेतन छुट्टी सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 20 दिन की होगी । ऐसी छुट्टी पंजीकृत चिकित्सक से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर, निजी कार्यों अथवा अकादमिक प्रयोजनों हेतु स्वीकृत की जा सकती है ।

स्पष्टीकरण

"सेवा का पूरा किया गया वर्ष" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय के अधीन निर्दिष्ट अवधि की अनवरत सेवा और इसमें ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधियाँ तथा असाधारण छुट्टी सहित छुट्टी शामिल है ।

8.4.5 परिणत छुट्टी

किसी भी स्थायी शिक्षक को परिणत छुट्टी जो देय अर्द्ध वेतन छुट्टी के आधे से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन पंजीकृत चिकित्सक से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है ।

(1) परिणत छुट्टी समग्र सेवा के दौरान अधिकतम 240 दिनों तक सीमित होगी ।

(2) जब परिणत छुट्टी स्वीकृत की जाती है तो देय अर्द्ध वेतन छुट्टियों में से ऐसी छुट्टी की दो गुणा छुट्टियाँ काट ली जाएँगी ।

(3) एक साथ जोड़कर लेने पर अर्जित छुट्टी और परिणत छुट्टी की कुल अवधि एक बार में 240 दिनों से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि इन नियमों के अंतर्गत कोई भी परिणत छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इसकी समाप्ति पर शिक्षक ड्यूटी पर वापिस लौट आएगा ।

8.4.6 असाधारण छुट्टी

(1) किसी भी स्थायी शिक्षक को निम्नलिखित स्थिति में असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है:—

(क) जब कोई अन्य छुट्टी अनुमेय न हो; अथवा

(ख) अन्य छुट्टी अनुमेय हो और शिक्षक लिखित में असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन करता है ।

(2) असाधारण छुट्टी हमेशा वेतन एवं भत्तों रहित होगी । असाधारण छुट्टी की निम्नलिखित मामलों को छोड़कर वेतन वृद्धि के लिए गणना नहीं की जाएगी:—

(क) स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों के आधार पर ली गई छुट्टी;

(ख) उन मामलों में जिनमें कुलपति/प्रधानाचार्य इस बात से संतुष्ट हों कि छुट्टी उन कारणों से ली गई थी जो शिक्षक के वश में नहीं थे जैसे असैन्य उपद्रव अथवा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अपना कार्यभार ग्रहण करने/कार्यभार पुनः ग्रहण करने में असमर्थता बशर्ते कि शिक्षक के खाते में कोई अन्य प्रकार की छुट्टी शेष न हो;

(ग) उच्च अध्ययन करने के लिए ली गई छुट्टी; और

(घ) किसी शैक्षणिक पद अथवा फेलोशिप अथवा अनसंधान—सह—शैक्षणिक पद अथवा महत्वपूर्ण तकनीकी अथवा अकादमिक कार्य करने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए स्वीकृत की गई छुट्टी ।

(3) असाधारण छुट्टी को आकस्मिक छुट्टी अथवा विशेष आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़कर लिया जा सकता है बशर्ते कि ड्यूटी से अनवरत अनुपस्थिति की कुल अवधि (छुट्टियाँ जब ऐसी छुट्टी के साथ जोड़कर ली जाए, की अवधियों सहित) उन मामलों जिनमें छुट्टी

स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के आधार पर ली जाती है, को छोड़कर तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । ड्यूटी से अनुपस्थिति की कुल अवधि किसी भी स्थिति में व्यक्ति के पूर्ण कार्यकाल में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(4) छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी भूतलक्षी प्रभाव से बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की अवधियों को असाधारण छुट्टी में परिणत कर सकता है ।

8.4.7 अर्जन शोध्य छुट्टी

(1) कुलपति/प्रधानाचार्य के विवेक पर किसी भी स्थायी शिक्षक को अर्जन शोध्य छुट्टी उतनी अवधि के लिए स्वीकृत की जा सकती है जो सेवा की समग्र अवधि के दौरान 360 दिन, जिसमें से एक बार में 90 दिन और कुल मिलाकर 180 दिन से अनधिक को चिकित्सकीय प्रमाणपत्र के अलावा स्वीकार किया जा सकता है । ऐसी छुट्टी बाद में उसके द्वारा अर्जित की जाने वाली अर्द्ध–वेतन– छुट्टी से काट ली जाएगी ।

(2) अर्जन शोध्य छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि कुलपति/प्रधानाचार्य इस बात से संतुष्ट न हो कि जहाँ तक तार्किक दूरदृष्टि से अनुमान लगाया जा सकता है, शिक्षक छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर लौट आएगा और स्वीकृत की जा चुकी छुट्टी को अर्जित करेगा ।

(3) किसी भी शिक्षक जिसको अर्जन शोध्य छुट्टी स्वीकृत की जाती है, को तब तक सेवा से त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके छुट्टी के खाते से काटी जाने वाली छुट्टियों के बकाया को सक्रिय सेवा के द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता अथवा वह इस प्रकार अर्जित न की गई अवधि के लिए भुगतान की गई वेतन और भत्तों की धनराशि को वापिस नहीं लौटा देता । उस मामले जिसमें खराब स्वास्थ्य जो शिक्षक को और आगे सेवा करने में अक्षम कर दे, के कारण से सेवानिवृत्ति अपरिहार्य हो जाए तो छुट्टी की उस अवधि जिसे अर्जित किया जाना है, के छुट्टी वेतन

का वापिस भुगतान करने को कार्यकारी परिषद् द्वारा माफ किया जा सकता है ।

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद्, किसी अन्य अपवादात्मक मामले में, लिखित में दिए जाने वाले कारणों के लिए छुट्टी की अवधि जिसे अभी तक अर्जित नहीं किया गया है, के छुट्टी वेतन का वापिस भुगतान करने को माफ कर दे ।

8.4.8 मातृत्व अवकाश

(1) किसी भी महिला शिक्षक को 180 दिनों से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर मातृत्व अवकाश जिसे समग्र सेवा काल में दो बार लिया जा सकता है, स्वीकृत किया जा सकता है । मातृत्व अवकाश गर्भपात सहित अपरिपक्व प्रसव के मामले में भी इस शर्त कि इस संबंध में किसी भी महिला शिक्षक को उसके सेवा काल में स्वीकृत की गई कुल छुट्टी 45 दिन से अधिक न हो और छुट्टी के आवेदन के समर्थन में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी लगाया गया है, के अध्यधीन स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2) मातृत्व अवकाश को अर्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ जोड़कर लिया जा सकता है लेकिन कोई भी छुट्टी जो मातृत्व अवकाश की अनवरतता में आवेदित की गई है, को स्वीकृत किया जा सकता है यदि समर्थन में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी लगा हुआ हो ।

8.4.9 बच्चों की देखभाल हेतु छुट्टी

अवयस्क बच्चों वाली महिलाओं को अपने अवयस्क बच्चों की देखभाल करने के लिए दो वर्ष तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है । महिला शिक्षकों को उनके समग्र सेवा काल में केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों की तर्ज पर अधिकतम दो वर्षों (730 दिनों) की 'बच्चों की देखभाल हेतु छुट्टी' (चाइल्ड केयर लीव) स्वीकृत की जा सकती है । उन मामलों जिनमें 45 दिन से अधिक की चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जाती है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग को सूचना देकर अंश–कालिक/अतिथि स्थानापन्न शिक्षक की नियुक्ति कर सकता है ।

8.4.10 पितृत्व अवकाश

पुरुष शिक्षकों को उनकी पत्नी के प्रसवोपरान्त घर पर रहने के दौरान 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है और ऐसी छुट्टी केवल दो बच्चों तक ही स्वीकृत की जाएगी ।

8.4.11 दत्तक अवकाश

दत्तक अवकाश केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार दिया जा सकता है ।

9. अनुसंधान संवर्धन अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा संबंधित एजेन्सी (केन्द्रीय/राज्य सरकारें) शिक्षकों और अन्य गैर–व्यावसायिक अकादमिक स्टॉफ को उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद अनुसंधान शुरू करने के लिए सामाजिक विज्ञान, मानविकी और भाषाओं में 3 लाख रुपये और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 6 लाख रुपये का प्रारंभिक अनुदान स्वीकृत कर सकती हैं ।

9.1 परामर्शदात्री कार्य

परामर्शदात्री नियम, निबंधन एवं शर्तें तथा संस्थाओं और परामर्शदाता शिक्षकों के बीच राजस्व का बँटवारा करने का मॉडल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्शदात्री नियमों जो अलग से दिए जाएँगे, के अनुरूप होगा ।

10.0 सी.ए.एस. के अधीन प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति हेतु विगत सेवाओं की गणना करना

10.1 सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसरअथवा प्रोफेसरके रूप में किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा अन्य वैज्ञानिक/व्यावसायिक संगठनों जैसे सी.एस.आई.आर., आई.सी.ए.आर., डी.आर.डी.ओ., यू.जी.सी., आई.सी.एस.एस.आर., आई.सी.एच.आर., आई.सी.एम.आर., डी.बी.टी इत्यादि में दी गई विगत सेवाओं

चाहे वे राष्ट्रीय हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, को सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, प्रोफेसरअथवा किसी अन्य नाम के पद के रूप में शिक्षक की सी.ए.एस. के अधीन सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए गणना की जानी चाहिए । इन पदों का वर्णन परिशिष्ट–तीन तालिका सं0 2 के अनुसार किया गया है बशर्ते कि:

(क) धारित पद की आवश्यक अर्हताएँ सहायक प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसी भी स्थिति हो, के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएँ से न्यूनतर न रही हों ।

(ख) पद समकक्ष ग्रेड अथवा सहायक प्रोफेसर(व्याख्याता) सह प्रोफेसर(रीडर) और प्रोफेसर के पदो के रूप में संशोधन पूर्व वेतनमान का है/थी ।

(ग) सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवार ने केवल उचित माध्यम से आवेदन किया है ।

(घ) संबंधित सहायक प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर और प्रोफेसरके पास वही न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए जो कि सहायक प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर और प्रोफेसर, जैसी भी स्थिति हो, के पद के लिए नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई हो ।

(ड़) पद को ऐसी नियुक्तियों हेतु विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/संबंधित संस्थाओं के विनियमनों में यथा विहित निर्धारित चयन प्रक्रियाके अनुरूप भरा गया हो ।

(च) पूर्ववर्ती नियुक्ति किसी भी अवधि के लिए अतिथि व्याख्याता अथवा तदर्थ आधार पर अथवा एक सेमेस्टर से कम अवधि की अवकाश रिक्ति के स्थान पर न रही हो । एक सेमेस्टर से अधिक की अवधि की तदर्थ सेवा अथवा अस्थायी सेवा की गणना की जा सकती है बशर्ते कि

(1) सेवा की अवधि एक सेमेस्टर अवधि से अधिक की रही हो;

(2) पदधारी को विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था; और

(3) पदधारक का स्थायी पद के लिए चयन बिना किसी अन्तराल के तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा के अनुक्रम में किया गया था ।

(छ) उस संस्थान जहाँ पूर्ववर्ती सेवाएँ प्रदान की गई हैं, जहाँ इस खण्ड के अधीन विगत सेवाओं की गणना करने पर विचार किया गया था, के प्रबंधन के स्वरूप (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी) के संबंध में कोई अन्तर नहीं किया जाना चाहिए ।

11.0 परिवीक्षा और स्थायीकरण की अवधि

11.1 परिवीक्षा की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी जिसे असंतोषजनक कार्य निष्पादन के मामले में एक वर्ष की और अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

11.2 एक वर्ष के अंत में स्थायीकरण स्वतः हो जाएगा जब तक कि, प्रथम वर्ष की समाप्ति से पहले एक विशिष्ट आदेश के द्वारा एक और वर्ष के लिए न बढ़ा दिया जाए ।

11.3 इस खण्ड 11 के अध्यधीन, विश्वविद्यालय/संस्थान की ओर से संतोषजनक कार्य निष्पादन के विधिवत सत्यापन के बाद परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के 45 दिन के अंदर पुष्टि का एक आदेश जारी करना बाध्यकारी है ।

11.4 केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परिवीक्षा और पुष्टि नियम केवल भर्ती की प्रारंभिक अवस्था में लागू होते हैं ।

11.5 परिवीक्षा और पुष्टि संबंधी सभी अन्य केन्द्रीय सरकार के नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

12.0 शैक्षणिक पदों का सृजन और भरना

12.1 जहाँ तक व्यवहार्य हो, विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों का सृजन पिरामिड के क्रम में किया जाए अर्थात्, उदाहरण के लिए प्रति विभाग प्रोफेसरके एक पद के लिए दो पद सह प्रोफेसरके और चार पद सहायक प्रोफेसरके होंगे ।

12.2 विश्वविद्यालय प्रणाली में सभी स्वीकृत/अनुमोदित पदों को तत्काल आधार पर भरा जाएगा ।

13.0 अनुबन्ध आधार पर नियुक्तियॉ

13.1 शिक्षकों को अनुबन्ध आधार पर तभी नियुक्त किया जाएगा जब ऐसा करना नितॉत आवश्यक हो और तब किया जाए जब छात्र–शिक्षक अनुपात विहित मानकों को पूरा न करता हो । किसी भी मामले में ऐसी नियुक्तियों की संख्या किसी भी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । उनको नियुक्त करने की अर्हताएँ और चयन प्रक्रियावही होनी चाहिए जो नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक पर लागू होती है । ऐसे अनुबन्ध शिक्षकों को अदा की गई निर्धारित परिलब्धियॉ नियमित रूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसरके सकल मासिक वेतन से कम नहीं होनी चाहिए । प्रारंभ में ऐसी नियुक्तियाँ एक अकादमिक सत्र से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ऐसे किसी प्रविष्ट शिक्षक की अगले सत्र में संविदा आधार पर पुनर्नियुक्ति पूर्व उसके निष्पादन की अकादमिक कार्यनिष्पादन के लिए समीक्षा की जानी चाहिए ।

14.0 शिक्षण के दिवस

14.1 विश्वविद्यालय/कॉलेजों को कम से कम 180 कार्य दिवस को अंगीकार करना होगा अर्थात् एक सप्ताह में 6 दिवसों के 30 सप्ताहों का वास्तविक शिक्षण होना चाहिए । शेष अवधि में से 12 सप्ताह प्रवेश तथा परीक्षा क्रियाकलाप तथा सह–पाठ्येत्तर, खेलकूद, कॉलेज दिवस आदि के गैर अनुदेशात्मक दिवस को समर्पित किए जाने चाहिए । 8 सप्ताह अवकाश तथा 2 सप्ताह विभिन्न सार्वजनिक अवकाश के लिए रखे जाने चाहिए । यदि विश्वविद्यालय सप्ताह में 5 कार्य दिवस के पैटर्न को अपनाती है तो एक सप्ताह में छह दिवसों के समान 30 सप्ताहों का वास्तविक शिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

उपरोक्त को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

	सप्ताहों की संख्या = एक सप्ताह में 6 कार्य दिवस का पैटर्न		सप्ताहों की संख्या = एक सप्ताह में 5 कार्य दिवस का पैटर्न	
श्रेणीकरण	विश्वविद्यालय	कॉलेज	विश्वविद्यालय	कॉलेज
शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया	30(180 दिवस सप्ताह)	30(180 दिवस सप्ताह)	30(180 दिवस सप्ताह)	36(180 दिवस सप्ताह)
परीक्षा के लिए प्रवेश/ परीक्षा की तैयारी	12	10	8	8
छुट्टियाँ	8	10	6	6
सार्वजनिक अवकाश (तदनुसार, शिक्षण दिवस को बढ़ाया तथा समायोजित किया जाए	2	2	2	2
कुल	52	52	52	52

14.2 छुट्टियों को 2 सप्ताह कम करने की एवज में विश्वविद्यालय शिक्षकों को अर्जित अवकाश की 1/3 अवधि उनके खाते में जोड़ दी जाए । तथापि, कॉलेज के पास संपूर्ण वर्ष में 10 सप्ताह की कुल छुट्टियों तथा शून्य अर्जित अवकाश का भी विकल्प है सिवाय जब छुट्टियों के दौरान कार्य करना हो तो विश्वविद्यालय शिक्षकों के मामले में अवधि की 1/3 भाग को उनके खाते में अर्जित अवकाश के रूप में जोड़ दिया जाए ।

15.0 **कार्य भार**

15.1 पूर्ण नियोजन के मामले में एक अकादमिक वर्ष में शिक्षक पर कार्य भार 30 कार्य सप्ताह (180 शिक्षक दिवसों के एक सप्ताह में 40 घंटे से कम नहीं होना चाहिए । शिक्षक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह रोजाना विश्वविद्यालय/कॉलेज में 5 घंटे के लिए उपलब्ध रहे जिसके विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा आवश्यक स्थान तथा अवसंरचना उपलबध कराई जानी चाहिए । प्रत्यक्ष शिक्षण–सीखने की प्रक्रिया निम्नवत होनी चाहिए ।

सहायक प्रोफेसर 16 घंटे
सह–प्रोफेसर तथा प्रोफेसर 14 घंटे

15.2 तथापि, प्रोफेसरों को कार्य भार में दो घंटे की छूट दी जा साकती है जो विस्तार क्रियाकलापों तथा प्रशासन में सक्रिय रूप से जुड़े हों । शिक्षक के अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए प्रति सप्ताह 6 घंटो की न्यूनतम अवधि आवंटित की जा सकती है ।

16.0 **सेवा समझौता तथा वरिष्ठता का निर्धारण**

16.1 विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में भर्ती के समय, विश्वविद्यालय/कॉलेज तथा संबंधित शिक्षक के बीच एक सेवा समझौता निष्पादित किया जाना चाहिए जिसकी एक प्रति रजिस्ट्रार/प्रोफेसरके पास जमा की जानी चाहिए । ऐसा सेवा समझौता मौजूदा लागू दरों के यथोचित स्टाम्प पेपर पर बनाया जाएगा ।

16.2 स्व–मूल्याँकन अथवा संबंद्ध निष्पादन आधारित मूल्याँकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) पद्धति, सेवा समझौते/रिकार्ड का एक भाग होगी ।

16.3 **सीधे भर्ती तथा सी0ए0एस0के तहत पदोन्नत शिक्षकों के बीच परस्पर वरिष्ठता**

सीधे भर्ती शिक्षक की परस्पर वरिष्ठता कार्यग्रहण की तिथि से निर्धारित होगी तथा सी0ए0एस0के तहत पदोन्नत शिक्षक के लिए चयन समिति की सिफारिशों में यथा दर्शायी गई अर्हता तिथि होगी । संबंधित केन्द्र/राज्य सरकार के नियम और विनियम वरिष्ठता के अन्य मामलों पर भी लागू होंगे ।

17.0 **पेशेवर आचरण नियम**

1. **शिक्षक और उनके उत्तरदायित्व**

जो कोई व्यक्ति भी शिक्षण को अपनी आजीविका के रूप में चयन करता है, उसकी बाध्यता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप आचरण करे । शिक्षक लगातार छात्रों, वृहद् रूप से समाज की नजरों में रहता है । इसलिए, प्रत्येक शिक्षक को यह देखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए । पहले से निर्धारित राष्ट्रीय आदर्शों को जिन्हें उसे छात्रों में भी अंतर्निविष्ट करना चाहिए वे उसके स्वयं के आदर्श भी

होने चाहिए । इस पेशे में यह भी अपेक्षित है कि शिक्षक, स्वभाव से शाँत, धैर्यशील तथा अभिव्यक्तिशील तथा मिलनसार मनोभाव वाला होना चाहिए ।

शिक्षकों को चाहिए कि:

(i) समाज में उन्हें जिम्मेदारी पूर्ण आचरण तथा व्यवहार के पैटर्न का पालन करना चाहिए जिसकी समाज उनसे आशा करता है;

(ii) अपने निजी मामलों को पेशे की गरिमा के अनुरूप संचालित करना चाहिए;

(iii) अध्ययन तथा अनुसंधान के माध्यम से व्यावसायिक विकास को सतत बनाना चाहिए;

(iv) ज्ञान के क्षेत्र में योगदान की दिशा में पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेकर अपने निःसंकोच तथा खुले विचार व्यक्त करने चाहिए ।

(v) पेशेवर संगठनों का सक्रिय सदस्य बने रहना चाहिए तथा उनके माध्यम से शिक्षा तथा पेशे में सुधार के लिए प्रत्यनशील रहना चाहिए;

(vi) शिक्षण, शिक्षकीय, व्यावहारिक ज्ञान, संगोष्ठी तथा अनुसंधान कार्य के रूप में कर्तव्यनिष्ठा तथा लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए;

(vii) विश्वविद्यालय तथा कॉलेज के शैक्षणिक उत्तरदायित्वों से संबंधित कार्यों में सहयोग तथा सहायता प्रदान करे, जैसे दाखिले के लिए आवेदनों के मूल्याँकन में सहायता, छात्रों को सलाह और परामर्श देना साथ ही पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा मूल्याँकन सहित विश्वविद्यालय तथा कॉलेज परीक्षाएँ करवाना; और

(viii) सामुदायिक सेवा सहित विस्तार, सह–पाठ्येतर तथा पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लेना

2. शिक्षक तथा छात्र

शिक्षकों को चाहिए कि:

(i) वह छात्रों को उनके विचार प्रकट करने के अधिकार तथा उनकी गरिमा का आदर करे;

(ii) छात्रों को उनके धर्म, जाति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शारीरिक विशेषताओं पर ध्यान दिए बिना उनसे एक समान तथा निष्पक्षता का व्यवहार करे ।

(iii) छात्रों की परस्पर योग्यताओं तथा उनकी क्षमताओं विद्यमान अंतर को पहचानने तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में प्रयास करें ।

(iv) छात्रों को उपलब्धि में सुधार करने, उनके व्यक्तित्व का विकास करने हेतु प्रोत्साहित करे तथा वहीं सामुदायिक कल्याण में योगदान दे;

(v) छात्रों में वैज्ञानिक सोच का अंतर्निवेशन करे तथा शारीरिक श्रम, लोकतंत्र में आदर्शों, देशभक्ति तथा शाँति के प्रति आदर का भाव पैदा करे;

(vi) छात्रों के प्रति स्नेहशील रहे तथा किसी कारण से उनमें से किसी के भी प्रति प्रतिशोध पूर्ण बर्ताव न करें;

(vii) गुणावगुण के मूल्याँकन में छात्रों की उपलब्धियों/प्राप्तियों पर ही ध्यान देना चाहिए;

(viii) कक्षा के बाहर भी छात्रों के लिए उपलब्ध रहे तथा बिना किसी पारिश्रमिक या पुरस्कार के छात्रों की मदद करे तथा उनका मार्गदर्शन करें;

(ix) हमारी राष्ट्रीय धरोहर तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ पैदा करने में छात्रों की मदद करे; और

(x) छात्रों को दूसरे छात्रों, सहकर्मियों या प्रशासन के विरुद्ध भड़काने से बचें ।

3. शिक्षक तथा सहकर्मी

शिक्षकों को चाहिए कि:

(i) पेशे के अन्य सदस्यों के साथ ऐसा आचरण करें जैसा कि वे स्वयं के साथ चाहते हैं;

(ii) अन्य शिक्षकों के साथ सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए । पेशे की भलाई के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए;

(iii) उच्च प्राधिकारियों के पास सहकर्मियों पर बेबुनियाद आरोप लगाने से बचना चाहिए;

(iv) अपने पेशे प्रत्यनों के आड़े जाति, वंश, धर्म, नस्ल या लिंग को महत्व देने से बचें ।

4. शिक्षक तथा प्राधिकारी:

शिक्षक को चाहिए कि:

(i) वह अपने पेशेवर उत्तरदायित्व को मौजूदा नियमों के अनुरूप वहन करे तथा प्रक्रियाओं का पालन करे । पेशेवर हितों के लिए घातक किन्हीं ऐसे नियमों में परिवर्तन के लिए अपने संस्थागत निकायों और/अथवा पेशेवर संगठनों के माध्यम से ऐसे कदम उठाने में ऐसी प्रक्रियाओं तथा पद्धति का पालन करें जो उनके पेशे के अनुकूल हों;

(ii) निजी ट्यूशन तथा अनुशिक्षण कक्षाओं सहित किसी अन्य रोजगार या वचनबद्धता को अपनाने से बचें जो उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों के साथ हस्तक्षेप करती हो;

(iii) विभिन्न अन्य कर्त्तव्यों को स्वीकार कर संस्थान की नीतियों को तैयार करने में सहयोग करें तथा ऐसे उत्तरदायित्वों का वहन करें जो ऐसा संस्थान चाहे;

(iv) अपने संगठनों के माध्यम से अन्य संस्थानों की नीतियाँ तैयार करने में सहयोग करे तथा पद स्वीकार करे;

(v) संस्थान के हितों तथा पेशे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए संस्थान की भलाई के लिए प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें;

(vi) संविदा की शर्तों का पालन करें;

(vii) नया पद स्वीकार करने तथा पुराना पद त्यागने से पूर्व विधिवत्‌रूप से नोटिस दें;

(viii) अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा छुट्टी लेने से बचें । अकादमिक अनुसूची की पूर्णता के प्रति जो उनका विशिष्ट उत्तरदायित्व है, के मद्‌देनजर जहाँ तक हो सके पूर्व सूचना देकर छुट्टी लें ।

5. शैक्षणिक तथा गैर–शैक्षणिक स्टाफः

(i) शिक्षकों को प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में गैर–शिक्षक स्टाफ को सहकर्मी तथा सहयोग पूर्ण वातावरण के लिए बराबर का भागीदार मानना चाहिए; और

(ii) शिक्षकों को शिक्षकों तथा गैर शिक्षक स्टाफ दोनों को कवर करने वाले संयुक्त स्टाफ–परिषद्‌ों के कार्यकरण में मदद करनी चाहिए ।

6. शिक्षक तथा अभिभावक

शिक्षकों को चाहिए किः

(i) शिक्षक निकाय तथा संगठनों के माध्यम से यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि संस्थान अभिभावकों, उनके छात्रों, से संपर्क बनाकर रखे तथा उनके निष्पादन की रिपोर्टों को जहाँ कहीं जरूरी हो उनके अभिभावकों को

भेजें तथा जहाँ कहीं भी आवश्यक हो विचारों के आपसी आदान–प्रदान के प्रयोजनार्थ तथा संस्थान के भले के लिए बुलाई गई बैठकों में अभिभावकों से भेंट करें ।

7. **शिक्षक तथा समाज**

शिक्षकों को चाहिए कि:

(i) यह पहचानना चाहिए कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है तथा जनसाधारण को उपलब्ध कराए जा रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराने के लिए प्रयत्नरत रहे ।

(ii) समुदाय में शिक्षा में सुधार करने के लिए कार्य करना चाहिए और समुदाय के हौसले तथा बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करना चाहिए ।

(iii) सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत रहें तथा ऐसे क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज के तथा समग्र रूप से देश की प्रगति के लिए उपयुक्त हों ।

(iv) नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करे तथा सामुदायिक क्रियाकलापों में भाग लें तथा सार्वजनिक हित के मामलों का उत्तरदायित्व वहन करें ।

(v) ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने, उनमें सहायता प्रदान करने से बचे जिससे विभिन्न समुदायों, धर्मों और भाषायी समूहों के बीच घृणा को बढ़ावा मिलता हो बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करें ।

खण्ड 6.8.0 के लिए अनुसूची

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों तथा उनके तहत सम विश्वविद्यालयों जिनके रख–रखाव का व्यय वि.अ.आ. वहन करता है, में पदाधारियों तथा सीधी भर्ती के तहत नियुक्त सहायक प्रोफेसर/सह प्रोफेसर/प्रोफेसर तथा पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में अन्य समान संवर्गों के लिए सी0ए0एस0 वेतनमान, पदनाम तथा पदोन्नति के चरण

1.0 विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षण के पेशे में आने वाले व्यक्तियों का पदनाम सहायक प्रोफेसर होगा तथा उनका 15,600–39,100 रु. के वेतनमान तथा वेतन बैंड 3 और 6,000 रु. की ए0जी0पी0 होगी । पहले ही सेवारत प्रोफेसर जो कि संशोधन पूर्व के 8000–13500 के वेतनमान में कार्यरत हैं उन्हें 6000 रु. की उक्त ए0जी0पी0 के साथ सहायक प्रोफेसरके रूप में पुनः–पदनामित किया जाएगा । उनकी सी0ए0एस0 पदोन्नतियाँ इन विनियमों दिए गए पी0बी0ए0एस0 प्रणाली के आधार पर ए0पी0आई0 मानदंड के अधीन होगी ।

1.1 चार वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सहायक प्रोफेसर, जो संगत विषय में पीएच0डी0 डिग्रीधारक हों, वे 7000 रु. की ए0जी0पी0 प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

1.2 एम0फिल0 डिग्रीधारक, संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित पेशेवर पाठ्यक्रम जैसे एल0एल0एम0/एम0टेक0 इत्यादि में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक सहायक प्रोफेसर, पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद 7000 रु. की ए0जी0पी0 के लिए पात्र होगा ।

1.3 सहायक प्रोफेसर जिसके पास पीएच0डी0 या एम0फिल0 या संगत पेशेवर पाठ्यक्रम में निष्णात, उपाधि न हो वह सहायक प्रोफेसर के रूप में छह वर्ष पूरे होने पर ही 7000 रु. की ए0जी0पी0 के लिए पात्र होंगे ।

1.4 सभी सहायक प्रोफेसरों के लिए 6000 से 7000 रु. की ए0जी0पी0 उन्नति उनके द्वारा इन विनियमों में वि.अ.आ. के उपबंधों के अनुसार पी0बी0ए0एस0 शर्तों के आधार पर ए0पी0आई0 मानदण्ड पर खरा उतरने के अध्यधीन होगी ।

2.0 प्रोफेसर(वरिष्ठ वेतनमान पर) अर्थात् संशोधन पूर्व 10,000–15,200 रु. के वेतनमान के पदों पर पदधारियों को सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनः–पदनामित किया जाएगा तथा उन्हें 7000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ उनके वर्तमान वेतन के आधार पर 15600 – 39100 रु. के वेतन बैंड 3 में उपयुक्त चरण पर रखा जाएगा ।

2.1 7,000 रु. की ए0जी0पी0 में पाँच वर्षों की सेवा पूरी कर चुके सहायक प्रोफेसर, उन वि.अ.आ. विनियमों में निर्धारित अन्य ए0पी0ई0 अपेक्षाओं के अध्यधीन, 8000 रु. की ए0जी0पी0 में उन्नति पाने के पात्र होंगे ।

3.0 सह–प्रोफेसर का पद 9000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 37400–67000 रुपये के वेतन बैंड 4 में होगा । इन विनियमों के तहत सीधी भर्ती वाले सह–प्रोफेसर को 9000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ नियुक्ति की निबंधन व शर्तों के अनुसार 37400–67000 रु. के वेतन बैंड 4 के उपयुक्त चरण पर रखा जाएगा ।

3.1 पदधारी रीडर तथा लेक्चरर (चयन ग्रेड) जिन्होंने 1 जनवरी, 2006 को 12,000 रु. – 18000 रु. के मौजूदा वेतनमान में तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उन्हें 9000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 37000–67000 रु. के वेतन बैंड 4 में रखा जाएगा तथा उन्हें सह–प्रोफेसरके रूप में पुनः–पदनामित किया जाएगा ।

3.2 पदधारी रीडर तथा लेक्चरर (चयन ग्रेड) जिन्होंने 1 जनवरी 2006 को 12000–18300 रु. के वेतनमान में तीन वर्ष पूरे नहीं किए थे, उन्हें लेक्चरर (चयन ग्रेड)/ रीडर के ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूरी किए जाने तक 8000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 15600–39100 रु. के वेतन बैंड में उपयुक्त स्टेज पर रखा जाएगा तथा तत्पश्चात् उसे 37400–67000 के उच्च वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा तदनुसार सह–प्रोफेसरके रूप में पुनः–पदनामित किया जायेगा ।

3.3 37400–67000 रु. के वेतन बैंड में ऊपर 3.1 तथा 3.2 में दिए गए तरीके से सह–प्रोफेसर के रूप से पदनामित किए जाने तक वर्तमान में सेवारत रीडर/लेक्चरर (चयन ग्रेड) का पदनाम लेक्चरर (चयन ग्रेड) या रीडर जैसा भी मामला हो, रहेगा ।

3.4 8000 रु. की ए0जी0पी0 में तीन वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाला सहायक प्रोफेसर, इन विनियमों में विहित अर्हक शर्तों के अध्यधीन 9000 रु. के ए0जी0पी0 के साथ 37400–67000 के वेतन बैंड 4 में उन्नति पाएगा तथा वह सह–प्रोफेसर के रूप में पुनः–पदनामित होगा ।

3.5 9000 रु. की ए0जी0पी0 में तीन वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाला तथा संगत विषय में पीएच0डी0 की डिग्री पूर्ण करने वाले सह–प्रोफेसर इन विनियमों में विहित परिशिष्ट–चार की तालिका एक से तीन में उपबंधित पी0बी0ए0एस0 पद्धति के आधार पर ए0पी0आई0 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट प्वाइंट पाने पर, तथा प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती हेतु विधिवत रूप से गठित चयन समिति द्वारा मूल्याँकन किए जाने पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पाने तथा पदनामित किए जाने का पात्र होगा । पीएच0डी0 डिग्री धारक शिक्षक के अलावा कोई भी शिक्षक प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत या नियुक्त नहीं किया जाएगा । प्रोफेसरके पद के लिए वेतन बैंड 4 की 10,000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ वेतनमान 37400–67000 रु. होगा ।

4.0 सीधी भर्ती किए गए प्रोफेसर का वेतन 37400–67000 रु. के वेतन बैंड 4 में 10,000 की लागू ए0जी0पी0 के साथ 43000 रु. से कम नहीं होगा ।

4.1 विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 10 प्रतिशत पद 12000 रु. की उच्च ए0जी0पी0 में स्थापित किए जाने के पात्र होंगे । तथापि, 12000 रु. की उच्च ए0जी0पी0 पर पदोन्नत शिक्षक प्रोफेसरके रूप में पदनामित किए जाते रहेंगे । प्रोफेसरके रूप में संशोधन पूर्व के प्रोफेसर के 16,400–22,400 के वेतनमान या 10,000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ वेतन बैंड 4 के वेतनमान पर कम से कम दस वर्षों का शिक्षण तथा अनुसंधान का अनुभव तथा विधिवत रूप से गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से इन विनियमों में विहित पी0बी0ए0एस0 पद्धति द्वारा तालिका दो के अनुसार अपेक्षित ए0पी0आई0 अंक की प्राप्ति पर ही 12000 रु. के उच्च अकादमिक ग्रेड वेतन में प्रोफेसर को पदोन्नत किए जाने हेतु पात्रता होगी ।

5.0 कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के वेतनमान

5.1 स्नातक पूर्व कॉलेजों के प्रधानाचार्य

स्नातक पूर्व कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद पर 10,000 रु. की ए0जी0पी0 तथा प्रति 2000 रु. के विशेष भत्ते के साथ 37,400–67,000 रु. के वेतन बैंड में होगी तथा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए प्रोफेसर के मामले में इसे 43000 रु. से कम के स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाएगा । सेवारत सभी प्रधानाचार्यों के वेतन को 10,000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ उपर्युक्त वेतन बैंड में निर्धारित किया जाएगा ।

5.2 स्नातकोत्तर कॉलेजों के प्रधानाचार्य :

स्नातकोत्तर कॉलेजों में प्रधानाचार्य का पद 10,000 रु. की ए0जी0पी0 के 3000 रु. प्रति माह के विशेष भत्ते के साथ 37400–67000 के वेतन बैंड में होगा तथा सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए प्रोफेसरों के मामले में इसे 43000 रु. से नीचे की स्टेज में निर्धारित नहीं किया जाएगा । सेवारत सभी प्रधानाचार्यों के वेतन को 10,000 रु. ए0जी0पी0 के साथ वेतन बैंड 4 में उपयुक्त रूप से निर्धारित किया जाएगा ।

6.0 पुस्तकालय अध्यक्ष आदि के लिए वेतनमान तथा वृत्ति उन्नति योजना विनियम

6.1 विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष

(i) संशोधन पूर्व 8000–13500 रु. के वेतन में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को 6000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 15600–39100 रु. के वेतन बैंड में रखा जाएगा ।

(ii) वि.अ.आ. द्वारा इन विनियमों के अनुसार निर्धारित अर्हता की सभी शर्तें तथा अकादमिक योग्यता सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालय अध्यक्ष की सीधी भर्ती पर भी लागू होगी ।

6.2 सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)

(i) 10,000–15,200 रु. के संशोधन पूर्व के वेतनमान में सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) को 7,000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 15600–39100 रु. के वेतन बैंड में रखा जाएगा ।

(ii) पुस्तकालय विज्ञान में पीएच0डी0 डिग्रीधारक सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष 6000 रु. की ए0जी0पी0 में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तथा वि.अ.आ. द्वारा इन विनियमों में दी गई ए0पी0आई0 प्राप्तांक प्रणाली और पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार अर्हक होने पर वह 15600–39100 रु. के वेतन बैंड के साथ 7000 रु. की उच्च ए0जी0पी0 के लिए पात्र होगा ।

(iii) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष जिसके पास पीएच0डी0 डिग्री न हो परंतु पुस्तकालय विज्ञान में एम0फिल0 डिग्री हो वह प्रवेश स्तर पर 6000 रु. की ए0जी0पी0 में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद, इन विनियमों में वि.अ.आ. द्वारा दी गई ए0पी0आई0 प्राप्ताँक प्रणाली तथा पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार अन्यथा अर्हक होने पर वह 7000 रु. की उच्च ए0जी0पी0 के लिए पात्र हो जाएगा ।

(iv) 6000 रु. की ए0जी0पी0 में छह वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तथा संगत विषय में पीएच0डी0 तथा एम0फिल0 डिग्री न होने पर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष, इन विनियमों में वि.अ.आ. द्वारा दी गई ए0पी0आई0 प्राप्ताँक प्रणाली तथा पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार अन्यथा अर्हक होने पर वह 7000 रु. की उच्च ए0जी0पी0 के लिए पात्र होगा ।

(v) संशोधन पूर्व 10,000–15200 रु. के वेतनमान में कार्यरत सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) का वेतनमान 7000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 15600–39100 रु. के वेतनमान पर उनके वर्तमान वेतन के आधार पर उपर्युक्त स्टेज पर निर्धारित की जाएगी ।

6.3 उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)

(i) उप पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्हें सीधे नियुक्त किया गया है उन्हें 8000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 15600–39100 रु. के वेतन बैंड में रखा जाएगा ।

(ii) पँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) 8000 रु. के अकादमिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 रु. के वेतन बैंड की उप पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष पद के लिए योग्य होगा, जो कि इन विनियमों में सी0ए0एस0 पदोन्नति के लिए अ.अ.आ. द्वारा निर्धारित ए0पी0आई0 प्राप्ताँक प्रणाली आधारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार अर्हता की अन्य शर्तें पूरा करने (जैसे की उप पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए पीएच0डी0 डिग्री आदि) के अध्यधीन होगा । उन्हें उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड), जैसा भी मामला हो, पदनामित किया जाएगा ।

(iii) 8000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 15600–39100 के वेतन बैंड में तीन वर्षों की सेवा पूर्ण किए जाने पर उप पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष पद इन विनियमों में सी0ए0एस0पदोन्नतियों के लिए वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित ए0पी0आई0 प्राप्ताँक प्रणाली आधारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार अर्हता की अन्य शर्तों के अध्यधीन 9000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 37400–67000 रुपये के वेतन बैंड में उन्नति करेंगे ।

(iv) 7000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ पुस्तकालय विज्ञान में पीएच0डी0 की डिग्री अर्जित नहीं किए हुए विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) तथा कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) परंतु जो इन विनियिमों में सी0ए0एस0 पदोन्नति के लिए वि.अ.आ. द्वारा विहित अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं वे 8000 रु. की ए0जी0पी0 में उन्नति के पात्र होंगे ।

(v) उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) के पदधारी, जिन्होंने 1 जनवरी, 2006 को संशोधन पूर्व 12000–18300 रु. के वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी उन्हें 9000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 37400–67000 रु. के वेतन बैंड में उपयुक्त स्तर पर निर्धारित किया जाएगा । उनका पदनाम उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) ही रहेगा ।

(vi) उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) के पदधारी जिन्होंने 12000–18300 रु. के संशोधन पूर्व वेतनमान में तीन वर्ष की अपेक्षित सेवा पूर्ण नहीं की है जिससे वे 37400–67000 रु. के उच्च वेतन बैंड के पात्र नहीं हो पाएँ है, उन्हें 8000 रु. की अकादमिक ग्रेड वेतन के साथ उपयुक्त स्तर पर रखा जाएगा । जब तक कि वे उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर लेते हैं ।

(vii) सीधी भर्ती के तहत नियुक्त किए गए उप पुस्तकालयाध्यक्ष को प्रारंभ में 8000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 15600–39100 रु. के वेतन बैंड में निर्धारित किया जाएगा । 8000 रु. की ए0जी0पी0 में तीन वर्ष की सेवा

पूर्ण करने पर वे 9000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 37400–67000 रु. के वेतन बैंड में चले जायेंगे ।

(viii) इन विनियमों में वि.अ.आ. द्वारा विहित पात्रता की शर्तें तथा अकादमिक योग्यता, को उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती के लिए अंगीकार किया जाएगा ।

6.4 पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय)

(i) पुस्तकालयाध्यक्ष का पद 10,000 रु. के अकादमिक वेतन के साथ 37400–67000 रु. के वेतन बैंड में होगा ।

(ii) इन विनियमों में वि.अ.आ. द्वारा विहित पात्रता की शर्तें तथा अकादमिक अर्हता को पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) के पद पर नियुक्ति हेतु अंगीकार किया जाएगा ।

(iii) 9000 रु. की ए0जी0पी0 में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाला उप पुस्तकालयाध्यक्ष साथ ही पीएच0डी0 डिग्रीधारक, जो इन विनियमों में विकसित ए0पी0आई0 प्राप्ताँक प्रणाली तथा पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार अन्यथा योग्य हो, वह खुली भर्ती के माध्यम से पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र है ।

(iv) पदधारी पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) को परिशिष्ट–दो में उपलब्ध कराए गए 'वेतन–निर्धारण' सूत्र के अनुसार 10,000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 37400–67000 रु. के वेतन बैंड में उपयुक्त स्तर पर रखा जाएगा ।

7.0 **शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संवर्गों के लिए वेतनमान तथा वृत्ति उन्नति योजनाएँ**

7.1 **शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद सहायक निदेशक (सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस0) शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद का कॉलेज निदेशक (कॉलेज डी0पी0ई0 एण्ड एस0):**

(i) संशोधन पूर्व के 8000–13500 रु. के वेतनमान में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद सहायक निदेशक/कालेज डी0पी0ई0 एण्ड एस0 को 6000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 15600–39100 रु. के वेतन बैंड में रखा जाएगा ।

(ii) शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद सहायक निदेशकों/ कॉलेज डी0पी0ई0 एण्ड एस0 पदधारियों के वेतन को परिशिष्ट दो में दिए 'वेतन निर्धारण' सूत्र के अनुसार 6000 रु. की ए0जी0पी0 के साथ 15600–39100 रु. के वेतन बैंड में उपयुक्त स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा ।

(iii) इन विनियमों में वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित सभी पात्रता की शर्तें तथा अकादमिक योग्यताएँ शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 एण्ड एस0 की सीधी भर्ती पर भी लागू होंगी ।

7.2 **सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद (वरिष्ठ वेतनमान/महाविद्यालय DPE&S (वरिष्ठ वेतनमान) :**

(i) सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद (वरिष्ठ वेतनमान/महाविद्यालय DPE&S (वरिष्ठ वेतनमान) 10,000 रु.– 15,200रु. के पूर्व संशोधित वेतनमान को 15,600 रु.–39,100 रु.. के वेतनमान में 7000 रु. के AGP सहित रखा जाएगाँ

(ii) सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद DPE&S जो कि सहायक DPE&S/महाविद्यालय DPE&S 6,000 रु. के AGP में प्रवेश स्तर शारीरिक शिक्षा में पी. एच.डी., 6,000 रु. के AGP में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात, एवं इन विनिमयों के अंतर्गत कैस (CAS) पदोन्नति हेतु यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित API स्कोरिंग पद्धति तथा PBAS

पद्धति के अनुसार यदि वे अन्यथा पात्र है, उन्हें 15,600 रु.–39,100 रु. के वेतनमान में 7000 रु. के उच्च AGP के अन्तर्गत रखा जाएगाँ

(iii) सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद DPE&S जो कि सहायक DPE&/ महाविद्यालय DPE&S 6000रु. के AGP में प्रारंभिकस्तर पर शारीरिक शिक्षा में एम. फिल. AGP 6000 रु. में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात्, इन विनियमों के अंतर्गत कैस उन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित API स्कोरिंग पद्धति तथा PBAS पद्धति की संपुष्टि करते हुए उन्हें 7000 रु. की उच्च AGP के अन्तर्गत जायेगाँ

(iv) सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद DPE&S संबंधित पीएच0डी0 एवं एम.फिल. के बगैर 6000 रु. AGP में सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/कालेज DPE&S के रूप में 6 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात यदि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित API स्कोरिंग प्रणाली तथा PBAS पद्धति के अनुसार पात्र हैं, उन्हें इन विनियमों में CAS उन्नति हेतु AGP 7000 रु. के अन्तर्गत रखा जायेगा ।

(v) पदस्थ सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का वेतन (वरिष्ठ वेतनमान/कालेज DPE&S वरिष्ठ वेतनमान) को परिशिष्ट में दर्शाये गये 'नियतन फार्मूला' के अनुसार AGP 7000 रु. में उपयुक्त स्तर पर वेतन बैंड 15,600 रु. 39,100 रु. में नियत किया जायेगाँ

7.3 उपनिदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं, खेलकूद/सहायक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद (चयन ग्रेड/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद (चयन ग्रेड वेतन समूह

(i) 15,600 रु.–39,100 रु. AGP 7000 रु. सहित 5 वर्ष की सेवाएँ पूरी करने के पश्चात तथा जो कि इन यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित विनियमों API स्कोरिंग पद्धति तथा PBASपद्धति की संपुष्टि हो जाने पर, सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद

(वरिष्ठ वेतनमान/महाविद्यालय DPE&S (वरिष्ठ वेतनमान) को 15,600 रु.–39,100 रु. AGP 8000 रु. सहित, के वेतनबैंड समूह के अन्तर्गत रखा जाएगाँ उन्हें मामलानुसार, उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/सहायक DPE&S (चयन ग्रेड)/महाविद्यालय DPE&S (चयन ग्रेड) पर नियुक्त किया जाएगा।

(ii) वेतन बैंड 15,600 रु.–39,000 रु. तथा AGP 8,000 रु. सहित, में, 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विनियमों में AGP/स्कोरिंग प्रणाली की तथा PBAS की संपुष्टि हो जाने पर उप DPE&S सहायक DPE&S (चयन ग्रेड), कालेज DPE&S (चयन ग्रेड) को 37,400 रु. –67,000 रु., AGP 9,000 रु. सहित, के अन्तर्गत भेज दिया जाएगा वे अपने पदों DPE&S, सहायक DPE&S (चयन ग्रेड), कालेज DPE&S (चयन ग्रेड) पर बने रहेंगे।

(iii) उप DPE&S/सहायक DPE&S (चयन ग्रेड), कालेज DPE&S (चयन ग्रेड) पर सभी पदस्थ जिन्होंने 12,000 रु., 18,300 रु. के असंशोधित वेतनमान में दिनांक 01–01–2006 को कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे वेतन बैंड 37,400 रु.–67,000 रु., AGP 9000 रु. सहित, के अंतर्गत पात्र समझे जाएँगे।

(iv) उप DPE&S/ सहायक DPE&S (चयन ग्रेड), कालेज DPE&S (चयन ग्रेड) के पद पर सभी पदस्थ जिनकी सेवाएँ 12,000 रु.–18,300 रु. के असंशोधित वेतनमान के अन्तर्गत 3 वर्ष से कम हों, जो उन्हें उच्च वेतन बैंड की पात्रता प्रदान कर सकती थीं, उन्हें उप DPE&S/ सहायक DPE&S (चयन ग्रेड), कालेज DPE&S (चयन ग्रेड) के पद पर असंशोधित वेतनमान में उनकी 3 वर्ष की अपेक्षित सेवा पूरी होने तक 15,600 रु. 39,000 रु. के वेतन बैंड, AGP 8000 रु. सहित, के अन्तर्गत रखा जायेगाँ

(v) प्रत्यक्ष भर्ती किए गए उप DPE&S का वेतन प्रारंभ में 15,600 रु. 39,100 रु. के वेतन बैंड में AGP 8,000 रु. सहित निश्चित किया जाएगा तथा 3 वर्ष की सेवा पूरी कर

लेने के पश्चात उन्हें वेतन बैंड 37,400 रु.–67,000 रु. AGP 9,000 रु. सहित के अन्तर्गत रखा जाएगाँ

7.4 विश्वविद्यालयों में निदेशक, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद का पद

(i) विश्वविद्यालयों में निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का पद, वेतन बैंड 37,400 रु.–67,000 रु. AGP 10,000 रु. सहित, के अन्तर्गत होगा।

(ii) निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद (विश्वविद्यालय) का पद प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से जाएगा तथा मौजूदा पात्रता शर्तें अर्थात् न्यूनतम योग्यता, संबंधित अनुभव के वर्ष तथा इन विनियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें, भर्ती की पात्रता समझी जाएँगी।

(iii) पदस्थ का वेतन, परिशिष्ट–(ii) में दर्शाये गए नियतन फार्मूले के अनुसार वेतन बैंड 37,400 रु.–67,000 रु. के उपयुक्त स्तर पर तय किया जाएगाँ

8.0 विश्वविद्यालयों के सम उप–कुलपति/कुलपति के वेतनमान

8.1 सम उप–कुलपति :

8.1.1 पूर्व उप–कुलपति के पद का वेतन बैंड 37,400 रु.–67,000 रु., 10,000 रु. या 12,000 रु. AGP सहित, जैसा भी मामला हो, 4000 रु. प्रतिमाह के विशेष भत्ते सहित इस शर्त पर होगा कि इस वेतन बैंड में कुल वेतन, अकादमिक ग्रेड वेतन तथा विशेष भत्ता मिलाकर 80,000 रु. से अधिक नहीं होगा।

8.2 उप–कुलपति :

8.2.1 उप–कुलपति के पद पर 5,000 रु. विशेष वेतन सहित 75,000 रु. प्रतिमाह नियत होगा। उप–कुलपति हेतु अन्य सभी अर्हताएँ एवं सुविधाएँ, वेतन के अतिरिक्त अनुप्रयोज्य होंगी जैसा कि संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम/सांविधि में दर्शाया गया है।

9.0 पी.एच.डी./एम.फिल. तथा अन्य उच्च योग्यता हेतु दिनांक 01.09.2008 से लागू प्रोत्साहन राशि

9.1 पीएच0डी0 की डिग्री प्राप्त व्यक्ति को सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती के प्रारंभिकस्तर पर 5 मिश्रित अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान की जाएँगी, बशर्ते, आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला, पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य तथा बाह्य मूल्याँकन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदान की गई हो।

9.2 एम.फिल. डिग्री प्राप्त व्यक्ति, सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के समय 2 गैर मिश्रित अग्रिम वेतनवृद्धियों के हकदार होंगे ।

9.3 एल.एल.एम./एम.टेक/एम.आर्क./एम.ई./एम.वी.एस.सी./एम.डी. आदि संबद्ध सांविधि निकाय/परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्ति भी प्रारंभिक स्तर पर 2 गैर मिश्रित अग्रिम वेतनवृद्धियों के हकदार होंगे।

9.4(i) शिक्षक, जिन्होंने सेवा में रहते हुए अपनी पीएच0डी0 पूरी कर ली हो यदि रोजगार संबंधी विषय में उसे यह पीएच0डी0 डिग्री उनके नामाँकन, पाठ्यक्रम कार्य, मूल्याँकन आदि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रदान की गई है, वह 3 गैर मिश्रित वेतन वृद्धियों के हकदार होंगे।

(ii) वैसे, सेवारत शिक्षक, जिन्होंने इन विनियमों के लागू होने तक विश्वविद्यालय में पीएच0डी0 हेतु नामाँकन करा लिया हो तथा पाठ्यक्रम एवं मूल्याँकन या केवल अधिसूचना ही पीएच0डी0 प्रदान करने के संबंध में प्रतीक्षित है, वे 3 गैर मिश्रित वेतनवृद्धियों के हकदार होंगे, उस स्थिति में भी, यदि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री की अधिसूचना आयोग को अब तक नहीं दी गई है तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुपालित की जा चुकी है।

9.5 प्रत्येक उस मामले में, जिसमें शिक्षक जिसका पीएच0डी0 में पहले ही नामाँकन हो चुका है वह केवल उसी स्थिति में 3 गैर मिश्रित वेतनवृद्धियों का लाभ प्राप्त करेंगे जब विश्वविद्यालय द्वारा पीएच0डी0 प्रदान करने की अधिसूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा चुकी हो जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम या मूल्याँकन या दोनों के संबंध में पीएच0डी0 प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुपालित की जा चुकी हो; जैसा भी मामला हो ।

9.6 सेवारत शिक्षक, जिन्होंने अब तक पीएच0डी0 के लिए नामाँकन नहीं कराया है, सेवा में बने रहने तक, पीएच0डी0 प्राप्त होने पर, 3 गैर मिश्रित वेतनवृद्धियों का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते, यदि उसका नामाँकन उस विश्वविद्यालय में है जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नामाँकन सहित पूरी प्रक्रिया का अनुपालन किया हो।

9.7 शिक्षक, जिन्होंने एम.फिल. डिग्री प्राप्त की हो या सेवा में रहते हुए संबंधित संविधि निकाय/परिषद् द्वारा किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो।

9.8 सहायक लाइब्रेरियन/कालेज लाइब्रेरियन जो उस विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस विषय में पीएच0डी0 डिग्री के प्रारंभिक स्तर पर भर्ती हुए हैं, जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में पीएच0डी0 प्राप्त करने के लिए नामाँकन पाठ्यक्रम कार्य, मूल्याँकन प्रक्रिया के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया हो, 5 गैरमिश्रित अग्रिम वेतनवृद्धियों के हकदार होंगें।

9.8.1(i) सहायक लाइब्रेरियन/ कालेज लाइब्रेरियन जिन्होंने सेवा में रहते हुए किसी भी समय उस विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में पीएच0डी0 की डिग्री प्राप्त की हो तथा नामाँकन, पाठ्यक्रम कार्य तथा मूल्याँकन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया हो, 3 गैर मिश्रित अग्रिम वेतनवृद्धियों कें हकदार होंगे।

(ii) यद्यपि, सहायक लाइब्रेरियन/कालेज लाइब्रेरियन या उच्च पदाधिकारी जिन्हें विनियमों के लागू होने के समय पीएच0डी0 प्रदान की जा चुकी हो या पाठ्यक्रम कार्य तथा मूल्याँकन यदि कोई है, पूरा हो चुका हो तथा पीएच0डी0 प्रदान करने से संबंधित केवल अधिसूचना प्रतीक्षित है; वह भी 3 गैर मिश्रित वेतनवृद्धियों के हकदार होंगे। उस स्थिति में भी, जब आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पीएच0डी0 प्रदाता विश्वविद्यालय को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

9.8.2 सहायक लाइब्रेरियन/कालेज लाइब्रेरियन या उच्च पदाधिकारी जिनका पहले ही पीएच0डी0 में नामाँकन हो चुका है, वे केवल उसी स्थिति में 3 गैर मिश्रित वेतनवृद्धियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यदि, पीएच0डी0 प्रदाता विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्यक्रम कार्य या मूल्याँकन या दोनों, जैसा भी मामला हो , के संबंध में पीएच0डी0 प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन की अधिसूचना दी जा चुकी हो।

9.8.3 सहायक लाइब्रेरियन/कालेज लाइब्रेरियन तथा लाइब्रेरी के अन्य उच्चाधिकारी जिन्होंने अभी तक पीएच0डी0 हेतु नामाँकन नहीं भरा है, वे सेवा में रहते हुए पीएच0डी0 ही प्राप्त करने पर 3 गैर मिश्रित वेतन वृद्धियों का लाभ उठा सकते हैं, यदि उनका नामाँकन उस विश्वविद्यालय में है जो अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नामाँकन सहित पूरी प्रक्रिया का अनुपालन करता है।

9.8.4 सहायक लाइब्रेरियन/कालेज लाइब्रेरियन तथा लाइब्रेरी साँइस में एम.फिल. डिग्री हेतु प्रारंभिक स्तर पर दो गैर मिश्रित अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकार्य होंगी। सहायक लाइब्रेरियन/कालेज लाइब्रेरियन तथा लाइब्रेरी साँइस में एम.फिल.डिग्री प्राप्त उच्च पदाधिकारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी भी समय एक अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

9.9 शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक/कालेज निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद जिनकी भर्ती प्रारंभिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा विषय में पीएच0डी0

डिग्री सहित उस विश्वविद्यालय से हुई है जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 प्रदान करने हेतु नामाँकन, पाठ्यक्रम कार्य तथा मूल्याँकन प्रक्रिया संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया हो, 5 गैर मिश्रित अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकार्य होंगी।

9.10 इन सभी नियमों के पूरा किए जाने पर भी, जो पूर्व स्कीमों/विनियमों के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर पी.एच.डी./एफ.फिल. डिग्री प्राप्ति हेतु अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इन विनियमों कें अंतर्गत अग्रिम वेतनवृद्धियों के लाभ के हकदार नहीं होंगे।

9.11 शिक्षक, लाइब्रेरी एवं शारीरिक शिक्षा संवर्ग, जो सेवा के दौरान पी.एच.डी./एम.फिल. प्राप्त करने हेतु उस समय मौजूदा नीति अनुसार, वेतनवृद्धियों का पूर्व में ही लाभ प्राप्त कर चुके हैं; वे इन विनियमों के अंतर्गत वेतनवृद्धियों के हकदार नहीं होंगे।

9.12 प्रारंभिक स्तर पर पदों हेतु पूर्व स्कीमों/विनियमों के अंतर्गत पी.एच.डी./एम.फिल. प्राप्त व्यक्तियों हेतु जहाँ कोई भी वेतनवृद्धि स्वीकार्य नहीं थी, अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ केवल उन्हीं को प्राप्त होगा जिन्हें इन्हीं के आधार पर या इन विनियमों को लागू होने के पश्चात् भर्ती किया गया हो।

10.0 अन्य नियम एवं शर्ते

10.1 वेतनवृद्धियाँ

10.2 प्रत्येक वार्षिक वेतनवृद्धि, संबंधित वेतन बैंड तथा AGP में कुल वेतन के योग के 3 प्रतिशत के बराबर होगा जैसा कि वेतन बैंड में इसके संबंध में अनुप्रयोजनीय है तथा यह गैर मिश्रित होगी।

10.3 प्रत्येक अग्रिम वेतनवृद्धि संबंधित वेतन बैंड में कुल वेतन एवं AGP का 3 प्रतिशत होगा जैसा कि अनुप्रयोजनीय है तथा यह गैर मिश्रित होगा ।

10.4 AGP के प्रत्येक उच्च स्तर पर भर्ती, पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ निम्न वेतनवृद्धि की मौजूदा स्कीमौं/विनियमों के अनुसार होंगी जो कि निम्न से उच्च वेतनमान में लागू

पदोन्नति के वेतन बैंड़ दो वेतन बैंडों के प्रभावी वेतन में अधिक बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। वेतन बैंड 15,600 रु. –39.100 रु. से वेतन बैंड 37,400 रु. 67,000 हजार रु. में जाने पर कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

10.5 विश्वविद्यालय प्रणाली में इंजीनियरिंग/तकनीकी पाठ्यक्रमों को पढ़ाने में संलिप्त शिक्षकों को अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान करने संबंधी सभी मामले उस समिति की सिफारिशों के आधार पर होंगे जिसे तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों की वेतन समीक्षा हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अलग से गठित किया गया है।

11.0 **भत्ते:**

11.1 अवकाश यात्रा रियायत, विशेष मुआवजा भत्ते, बालकों का शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, गृह–किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता स्थान आधारित विशेष मुआवजा भत्ता आदि भत्ते जो कि शिक्षकों, लाइब्रेरी तथा शारीरिक शिक्षा संवर्गों के लिए अनुप्रयोजनीय हैं, वे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान होंगे।

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों एवं समान संवर्गों के वेतन संशोधन संबंधी स्कीम छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों का अनुपालन करते हुएँ (पत्रसं.सं 1–32 /2008–U.II/U.I (1) भारत सरकार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय,उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008	
परिशिष्ट ii	फिटमेंट टेबल्स (टेबल नं 1 से 9) मौजूदा पदस्थों के वेतन नियतन हेतु, जो दिनॉक 01–01–2006 को विभिन्न पदों पर आसीन थे जैसा कि तालिकाओं में दर्शाया गया है। (पत्र सं. एफ. 3–1/2009, U.I भारत सरकार, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) (दिनांक 4 जून, 2009)	
परिशिष्ट iii **(तालिका I-IX)**	कार्य निष्पादन आधारित मूल्याँकन स्कीम (PBAS) एवं वार्षिक कार्य– निष्पादन प्रतिदर्श (APIS) वृत्ति (कैरियर) उन्नति योजना के तहत प्रत्यक्ष भर्ती एवं पदोन्नति तालिका I-IV–विश्वविद्यालयों तथा कालेज के शिक्षकों हेतु तालिका V-VIII–सहायक निदेशक /उप–निदेशक/ निदेशक शारीरिक शिक्षा संवर्ग आदि हेतु तालिका IX-XII–सहायक लाइब्रेरियन, उप–लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन आदि हेतु	

परिशिष्ट– I

मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय,

उच्च शिक्षा विभाग,

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008

सेवा में,

सचिव,.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

बहादुरशाह जफर मार्ग,

नई दिल्ली –110002

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सुझावों पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के अनुपालन में विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में प्रत्येक एवं समान संवर्गों के वेतन में संशोधन संबंधी स्कीम।

महोदय,

सं. 1–32/2006–U.II/U.I (1)

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन करने की लिए दिनांक 7–8 अक्तूबर 2008, को हुई आयोग की बैठक में लिये गए निर्णयों पर आधारित थी, भारत सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में संशोधन करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन संबंधी स्कीम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा, जैसा कि इस पत्र में दर्शाया गया है तथा नीचे दी गई स्कीम के अनुसार इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निश्चित किये

गए विनियमों के अनुसार होगा । संशोधित वेतनमान तथा स्कीम के अन्य प्रावधान निम्नवत हैं :

(1) <u>सामान्य</u>

(i) विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में शिक्षकों से संबंधित केवल 3 पद होंगे अर्थात् सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर। तथापि, पुस्तकालय तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के विभिन्न स्तरों पर वर्तमान पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति, प्रोफेसर के रूप में नियुक्त, पदोन्नत या पदनामित होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पीएच0डी0 की डिग्री प्राप्त न हो तथा अन्य अकादमिक शर्तों की संपुष्टि न करता हो जो कि समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं। वैसे, इसका प्रभाव उन पर नहीं होगा जो पहले से ही प्रोफेसर के पद पर हैं।

(iii) विश्वविद्यालय एवं कालेजों में शिक्षकों एवं समान पदों का वेतन, उनके पदनामों के अनुसार दो वेतन बैंड 15,600 रु.–39,000 रु. तथा 37,400 रू .67,000 रु. उचित अकादमिक ग्रेड पे (संक्षेप में AGP) सहित नियत किया जाएगा। प्रत्येक वेतन बैंड का AGP भिन्न होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षक एवं अन्य समान संवर्ग, जो इस स्कीम के अंतर्गत् शामिल किए गए हैं, पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने पर अपने कैरियर के दौरान अपना स्तर ऊँचा उठाने के बहुतायत अवसर प्राप्त कर सकेगा।

(iv) प्रोफेसरों के पद, स्नातक पूर्व कालेजों के अलावा स्नातकोत्तर कालेजों में भी सृजित किए जाएँगे। स्नातक पूर्व कालेज में प्रोफेसरों की संख्या, कालेजों में सहायक प्रोफेसरों के पदों की संख्या की 10 प्रतिशत होगी। कालेज में विभागों की संख्या के अनुसार प्रत्येक स्नातकोत्तर कालेज में प्रोफेसर के कई पद होते हैं। स्नातक पूर्व

या स्नातकोत्तर कालेजों में किसी भी नए विभाग का सृजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन के बगैर नहीं किया जाएगा।

(v) विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के 10 प्रतिशत तक पद, उच्च अकादमिक ग्रेड वेतन 12,000 रु. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों सहित होंगे।

(vi) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) सहायक प्रोफेसर के प्रारंभिक स्तर पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य होगी। उन पी.एच.डी.डिग्री प्राप्त व्यक्तियों के लिए इसमें छूट होगी जिन्होंने इसे पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य तथा बाह्य मूल्याँकन के जरिए प्राप्त किया है, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के जरिये इसे निर्धारित किया गया है तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया गया है। NET ऐसे निष्णात कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य नहीं है जिन विषयों के लिए नेट की परीक्षा संचालित नहीं की जाती।

2. **संशोधित वेतनमान, सेवा शर्तें तथा कैरियर उन्नति योजना, शिक्षकों तथा समान पदों हेतु :**

शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों तथा समान पदों हेतु वेतन का स्वरूप नीचे दर्शाये अनुसार होगा :

(क) **कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर /प्रोफेसर**

(i) कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षण व्यवसाय प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों को सहायक प्रोफेसर के रूप में पदनामित किया जाएगा तथा वेतन बैंड 15,600 रु. 39,100 रु. AGP 6000 रु. सहित, के अंतर्गत रखा जायेगा। पूर्व संशोधित वेतनमान 8000–13,500 रु. के अंतर्गत पूर्व में ही सेवा में रहने वाले लेक्चरार, सहायक प्रोफेसर के रूप में कथित AGP 6000 रु. सहित पुनःपदनामित किए जाएँगे।

(ii) सहायक प्रोफेसर, 4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, संबंधित विषय में पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त, AGP 7000 रु. के अन्तर्गत अंतरित किए जाने के पात्र होंगे।

(iii) एल.एल.एम./एम.टेक. आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एम.फिल. डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री संबंधित साँविधि निकाय द्वारा अनुमोदन प्राप्त सहायक प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 वर्ष की सेवाएँ पूरी कर लेने के पश्चात AGP 7000 रु. हेतु पात्र होंगे।

(iv) सहायक प्रोफ़ेसर जिनके पास संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पी.एच.डी./एम. फिल. या निष्णात डिग्री नहीं है। वे केवल सहायक प्रोफेसर के पद के रूप में 6 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् ही AGP 7000 रु. के पात्र होंगे।

(v) सभी सहायक प्रोफेसर हेतु AGP 6000 रु. से AGP 7000 रु. में तभी बढ़ोत्तरी होगी जब वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(vi) लेक्चरार (वरिष्ठ वेतनमान) के पदों पर पदस्थों का वेतन (10,000 रु. 15,200 रु. का असंशोधित वेतनमान) को सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा तथा उनके वर्तमान वेतन पर आधारित वेतन बैड 15,600 रु.– 39,000 रु., AGP 7000 रु. सहित उपयुक्त स्तर पर नियत किया जाएगा।

(vii) 5 वर्ष की सेवा, AGP 7000 रु. सहित 5 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात सहायक प्रोफेसर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात AGP 8000 रु. के अंतर्गत जाने के पात्र होंगे ।

(viii) सह प्रोफेसर(एसोसिएट प्रोफेसर) को 9000/– रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000 रु. के वेतन बैंड में रखा जाएगा । सीधे भर्ती किए गए सह–प्रोफेसर को नियुक्ति की शर्तों के अनुसार वेतन बैंड में उचित स्तर पर 9000/–रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000/रु. के वेतन बैंड में रखा जाएगा ।

(ix) पदधारी रीडर और प्रवक्ता (चयन वेतनमान) जिन्होंने 1.1.2006 तक वर्तमान 12000–18300/–रु. के वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें

9000 /–रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000/रु. के वेतन बैंड में रखा जाएगा और सह–प्रोफेसर(एसोसिएट प्रोफेसर) के रूप में पुनः–पदनामित किए जाएँगे ।

(x) पदधारी रीडर और प्रवक्ता (चयन वेतनमान) जिन्होंने 1.1.2006 को 12000–18300/–रु. के वेतनमान में तीन वर्ष पूरे नहीं किए थे, को प्रवक्ता (चयन वेतनमान/रीडर के ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा पूरी करने तक 8000/–रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100/–रु. के वेतन बैंड में उचित स्तर पर रखा जाएगा और इसके पश्चात् उन्हें 37400–67000/रु. के उच्च वेतन बैंड में रखा जाएगा और तदनुसार सह–प्रोफेसर के रूप में पुनः–पदनामित किए जाएँगे ।

(xi) सेवा में कार्यरत वर्तमान रीडर/प्रवक्ताओं (चयन वेतनमान) को जब तक उन्हें 37400–67000/रु. के वेतन बैंड में नहीं रखा जाता और उपर्युक्त (दस) में बताई गई प्रक्रियाके अनुसार सह–प्रोफेसर(एसोसिएट प्रोफेसर) के रूप में पुनः–पदनामित नहीं किया जाता, प्रवक्ता (चयन वेतनमान) अथवा रीडर, जैसी भी स्थिति हो, पदनाम जारी रहेगा ।

(xii) सहायक प्रोफेसर(असिस्टेंट प्रोफेसर) को 8000/– रु. के शैक्षिक ग्रेड वेतन में 3 वर्षों की शैक्षिक सेवा पूरी करने के पश्चात् 9000/– रु. के शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000/रु. के वेतन बैंड में रखा जाएगा और सह–प्रोफेसर(एसोसिएट प्रोफेसर) के रूप में पदनामित किए जाएँगे, बशर्ते वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता हो ।

(xiii) 9000/– रु. के शैक्षिक ग्रेड वेतन में तीन वर्षों की सेवा पूरी करने वाले और संगत विषय में पीएच0डी0 डिग्री धारक सह–प्रोफेसर(एसोसिएट प्रोफेसर) के रूप में नियुक्त और पदनामित किए जाने के पात्र होंगे बशर्ते, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शैक्षणिक निष्पादन, यदि कोई हो, तो पूरा करता हो । कोई अन्य शिक्षक जिसके पास पीएच0डी0 की डिग्री है को, प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत, नियुक्त अथवा मनोनीत नहीं किया जाएगा । प्रोफेसरों

के पद का वेतन बैंड 37400–67000/रु. और शैक्षणिक ग्रेड वेतन 10000/–रु. होगा ।

(xiv) सीधे भर्ती किए गए प्रोफेसर का वेतन 37400–67000/रु. के वेतन बैंड में 43000/– रु. से कम निर्धारित नहीं किया जाएगा और 10000/रु. शैक्षणिक ग्रेड वेतन लागू होगा ।

(xv) विश्वविद्यालय में 12000/– रु. के उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन में प्रोफेसर के दस प्रतिशत पद होंगे पदों पर नियुक्त किए गए शिक्षक प्राफेसर के रूप में पदनामित होंगे । उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन में प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु पात्रता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा–निर्धारित और अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी पात्र शर्तें जिनमें उत्कृष्ट समीक्षा/संदर्भित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन प्रोफेसर के रूप में 10 वर्षों का अध्यापन अनुभव और उच्च स्तर का डॉक्टरेट–उपरांत कार्य शामिल है, के आधार पर होगी । 17000/रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में प्रोफेसर के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति का वेतन शैक्षणिक ग्रेड वेतन सहित न्यूनतम 48000/–रु. पर निर्धारित किया जाएगा ।

(xvi) सह–प्रोफेसरों (एसोसिएट प्रोफेसरों) और प्रोफेसरों के स्तर पर सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक और शोध आवश्यकताओं के संबंध में पात्र शर्तें वि.अ.आ. और विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित नियमन के माध्यम से निर्धारित की जाएंगी ।

(xvii) पेशे में प्रवेश करने वाले उन सह–प्रोफेसर(एसोसिएट प्रोफेसर) प्रोफेसर जिन्हें उच्च योग्यता, शोध प्रकाशनों में अधिक अंक और उचित स्तर पर अनुभव है, को अग्रिम वेतन वृद्धि दिए जाने का विवेकाधिकार, प्रत्येक मामले के योग्यता के संदर्भ में प्रत्येक उम्मीदवार के साथ बातचीत करते समय संकाय में अन्य शिक्षकों के वेतन ढाँचे और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विश्वविद्यालय अथवा भर्ती संस्थान के उचित प्राधिकार की साक्षगता के अधीन होगा ।

(ख) स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर कॉलेजों में प्राफेसर

(xviii) स्नातक–पूर्व कॉलेज में सह–प्रोफेसर(एसोसिएट प्रोफेसर) के स्वीकृत पदों की संख्या का 10 प्रतिशत प्रोफेसर होंगे और उनके चयन/नियुक्ति के मानदंड विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति जैसे ही होंगे बशर्ते कि प्रत्येक विभाग में प्रोफेसर का एक से अधिक पद नहीं होगा इसके अतिरिक्त बशर्ते यह कि स्नातक–पूर्व कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों का एक चौथाई (25 प्रतिशत) सीधी भर्ती अथवा पात्र शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से भरी जाएँगी और प्रोफेसरों के शेष तीन चौथाई (75 प्रतिशत) पद अंडर ग्रेजुएट कॉलेजों से संबधित विभागों के पात्र सह–आचार्यों/एसोसिएट प्रोफेसरों से योग्यता पदोन्नति से भरे जाएँगे । सीधी भर्ती/पदोन्नति के माध्यम से स्नातक–पूर्व कॉलेजों में प्रोफेसरों के भरे जाने वाले पदों की पहचान करने की सक्षमता कॉलेजों के साथ परामर्श करके विश्वविद्यालय के अधीन होगी । योग्यता पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए प्रोफेसर के पदों की संख्या का निर्धारण, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों की संख्या का प्रतिशत करते समय संख्या पूर्णांक नहीं होने पर उसे अगले उच्च पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

(xix) प्रत्येक स्नातकोत्तर कॉलेज के प्रत्येक विभाग में प्रोफेसर का एक पद होगा और चयन/नियुक्ति हेतु वही मानदंड होंगे जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए हैं, बशर्ते कि प्रोफेसरों के पदों के एक चौथाई (25 प्रतिशत) पद पात्र शिक्षकों से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती से भरे जाएँगे और शेष तीन चौथाई (75 प्रतिशत) पद स्नातकोत्तर कॉलेज के संबंधित विभगों में पात्र सह–प्रोफेसर(एसोसिएट प्रोफेसरों) में से योग्यता पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा । सीधी भर्ती/पदोन्नति के माध्यम से स्नातकोत्तर कॉलेजों में भरे जाने वाले प्रोफेसरों के पदों की पहचान की सक्षमता कॉलेज के साथ परामर्श कर विश्वविद्यालय के अधीन होगी । जब योग्यता के आधार पर पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती /प्रतिनियुक्ति हेतु प्रोफेसरों के पदों की संख्या स्नातकोत्तर कॉलेज में पदों की कुल संख्या का प्रतिशत यदि पूर्णांक नहीं है तो उसे अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाएगा । कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए शैक्षणिक अवसंरचना (पुस्तकालय,

शोध सुविधाएँ आदि) के न्यूनतम मानदंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पृथक दिशा–निर्देश जारी करेगा ।

3. विश्वविद्यालयों में सम–कुलपति/कुलपति का वेतनमान

(1) सम–कुलपतिः

सम–कुलपति का पद 10000/– रु. अथवा 12000/– रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ जैसी भी स्थिति हो 37400–67000/रु. के वेतन बैंड में रखा जाएगा, साथ ही प्रतिमाह 4000/– रु. का विशेष भत्ता दिया जाएगा बशर्ते वेतन बैंड में वेतन, शैक्षणिक ग्रेड वेतन और विशेष भत्ता कुल मिलाकर 80,000/– रु. से अधिक न हो ।

(2) कुलपति

कुलपति का पद 75,000/– रु. नियत वेतन पर निर्धारित होगा साथ ही 5000/–रु. प्रतिमाह का विशेष भत्ता दिया जाएगा ।

4. कॉलेजों में प्रधानाचार्यों का वेतनमान

(1) स्नातक–पूर्व कॉलेज में प्रधानाचार्य की नियुक्ति हेतु पात्रता की शर्तें वि.अ.आ. और समय–समय पर, यदि कोई हों तो, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता और शिक्षण/शोध अनुभव के आधार पर की जाएगी । स्नातक–पूर्व कॉलेज में प्रधानाचार्य पद 10000/–रु. शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000/रु. के वेतन बैंड में होगा साथ ही प्रतिमाह 2000/–रु. का विशेष भत्ता दिया जाएगा । कार्यरत सभी प्रधानाचार्यों को 10000/– रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड में उचित निर्धारण किया जाएगा ।

(2) स्नातकोत्तर कॉलेज में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हेतु पात्रता की शर्तें वि.अ.आ. और–समय समय पर यदि कोई हों विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता और शिक्षण/ शोध अनुभव के आधार पर की जाएगी । स्नातक–पूर्व कॉलेज में प्रधानाचार्य पद 10000/–रु. शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000/रु. के वेतन बैंड में होगा साथ ही प्रतिमाह 3000/–रु. का विशेष भत्ता दिया जाएगा ।

सेवा में कार्यरत सभी प्रधानाचार्यों को 10000/– रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ ग्रेड वेतन बैंड में उचित निर्धारण किया जाएगा ।

5. **पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु वेतनमान और वृति उन्नति योजनाः**

(क) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्षः

(1) 8000–13500/–रु. के पूर्व संशोधित वेतनमान में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को 6000/– रु. के शैक्षणिक ग्रेड के साथ 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जाएगा ।

(2) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष की सीधी भर्ती में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की सभी मौजूदा शर्तें प्रभावी रहेगी ।

(ख) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)

(1) पूर्व संशोधित 10000–15200/–रु. के वेतनमान में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) के पदों को को 7000/– रु. के शैक्षणिक ग्रेड के साथ 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जाएगा ।

(2) प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पीएच0डी0 धारक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को 6000/– रु. की शैक्षणिक ग्रेड वेतन में 4 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है और अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार योग्य होने पर 7000/– के उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जाएगा ।

(3) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष जिनके पास पीएच0डी0 डिग्री नहीं है परन्तु प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में एम0फिल0 डिग्री है और 6000/– के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है अथवा अथवा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं 7000/– के उच्च उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन के पात्र होंगे ।

(4) 6000 रु. की शैक्षणिक ग्रेड वेतन में 6 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष जिनके पास पीएच0डी0 और एम फिल की डिग्री नहीं है, बशर्ते अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं तो उन्हें 7000/–रु. के उच्च उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन में रखा जाएगा ।

(5) 10000–15000/–रु. के पूर्व संशोधित वेतनमान में मौजूदा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) का वेतन 7000/– रु. के शैक्षणिक ग्रेड के साथ 15600–39100 के वेतन बैंड में निर्धारित किया जाएगा ।

(ग) उप–पुस्तकाालयाध्यक्ष /सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)

(1) वर्तमान में सीधे भर्ती किए गए उप–पुस्तकालयाध्यक्ष को भर्ती के समय आरंभ में 8000/– रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जाएगा ।

(2) पाँच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) 8000/– रु. शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 के वेतन बैंड में उप–पुस्तकालायाध्यक्ष/समकक्ष पद के पात्र होंगे, बशर्ते वे वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित शर्तों (उप–पुस्तकालयध्यक्ष पद हेतु पीएच0डी0 डिग्री अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य आदि) को पूरा करते हों । उप–पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड), जैसी भी स्थिति हो, के रूप में पदनामित किए जाएँगे ।

(3) उप–पुस्तकालयाध्यक्ष और उनके समकक्ष पदों पर पदोन्नति के संबंध में चयन समिति द्वारा चयन की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी ।

(4) 8000/—रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600—39100 के वेतन बैंड में 3 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् उप—पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष पद को 9000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400—67000/— के ग्रेड वेतन में उन्नति दी जाएगी, बशर्ते वह वि.अ.आ. और यदि कोई हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करता हो ।

(5) विश्वविद्यालय में 7000/— के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में कार्यरत सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) पुस्तकालय विज्ञान अथवा समकक्ष प्रकाशन कार्य नहीं है परन्तु वि.अ.आ. और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य मानदंड, यदि कोई हो, तो उन्हें पूरा करते हैं तो वे 8000/— के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में रखे जाने के पात्र होंगे ।

(6) उप—पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान) कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान) जिन्होंने 1.1.2006 को पूर्व संशोधित 12000—18300 रु. के वेतनमान में तीन वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, उनका वेतनमान 9000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400—67000/— रु. के वेतन बैंड में उचित स्तर पर निर्धारित किया जाएगा । उनका पदनाम उप—पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान) जारी रहेगा ।

(7) उप—पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान) कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान) पद पर 37400—67000/— रु. के वेतन बैंड में रखे जाने के पात्र होने के लिए जिन पदधारियों ने पूर्व संशोधिति वेतनमान पर तीन वर्षों की सेवा पूरी नहीं की है को उप—पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान) के रूप में तीन वर्षों की सेवा पूरी करने तक 8000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ उचित स्तर पर रखा जाएगा ।

(8) सीधे भर्ती किए गए उप–पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन 8000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 के वेतन बैंड में निर्धारित की जाएगी । 8000रु. के शैक्षणिक ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् उन्हें 9000रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000/– रु. के वेतन बैंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।

(9) उप–पुस्तकालयाध्यक्ष पद हेतु सीधी भर्ती में वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित योग्यताएँ और शैक्षणिक योग्यताओं की मौजूदा शर्तें लागू रहेंगी ।

(घ) पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय)

(1) पुस्तकालयाध्यक्ष का पद 10000/–रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000/– रु. के वेतन बैंड में होगा ।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) के पद पर नियुक्ति हेतु वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यताओं की मौजूदा शर्तें लागू रहेंगी।

(3) 9000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में तीन वर्षों की सेवा पूरी करने वाले उप–पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य प्रकार से वि.अ.आ. और विश्वविद्यालय द्वारा यदि कोई हो, निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र होंगे, सीधी भर्ती के माध्यम से पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु विचार के भी पात्र होंगे ।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) पदधारी का वेतन 10000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000/–रु. के वेतन बेंड में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के 'निर्धारण सूत्र' के अनुसार उचित स्तर पर निर्धारित किया जाएगा ।

6. **शारीरिक शिक्षा कार्मिक हेतु वेतनमान और वृति उन्नति योजनाः**

(क) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (सहायक डी0पी0ई0)/शारीरिक शिक्षा कॉलेज निदेशक (कॉलेज डी0पी0ई0)

(1) पूर्व–संशोधित 8000–13500/– रु. वेतनमान में शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 को 6000 रु. शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जाएगा ।

(2) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 पदधारियों का वेतन 6000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 के वेतन बैंड में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के 'निर्धारण सूत्र' के अनुसार उचित स्तर पर निर्धारित किया जाएगा ।

(3) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 की सीधी भर्ती के लिए वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताओं की मौजूदा शर्तें लागू रहेंगी ।

(ख) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (वरिष्ठ वेतनमान) कॉलेज डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान)

(1) पूर्व संशोधित 10000–15200/– रु. के वेतनमान में शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (वरिष्ठ वेतनमान) कॉलेज डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान) को 7000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जाएगा ।

(2) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (वरिष्ठ वेतनमान) कॉलेज डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान) 6000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में जो सहायक डी0पी0ई0/कॉलेज डी0पी0ई0 प्रवेश स्तर पर पीएच0डी0 डिग्रीधारी है, 6000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और वि.अ.आ. और विश्वविद्यालय द्वारा, यदि कोई हो तो, निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार 7000 रु. के उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 के वेतन बैंड में स्थानांतरित किया जाएगा ।

(3) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (वरिष्ठ वेतनमान) कॉलेज डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान) 6000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में सहायक डी0पी0ई0/कॉलेज डी0पी0ई0 के स्तर पर शारीरिक शिक्षा में एम0 फिल0 डिग्री धारकों को 6000रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में पाच वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् 7000 रु. के उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन के पात्र होंगे ।

(4) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 जो पीएच0डी0 और एम.फिल. डिग्रीधारी नहीं हैं, 6000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 के रूप में छह वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् और अन्यथा वि.अ.आ. और विश्वविद्यालय द्वारा, यदि कोई हो तो, निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार 7000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में रखे जाने के पात्र होंगे ।

(5) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (वरिष्ठ वेतनमान) कॉलेज डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान) पदधारी का वेतन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के 'निर्धारित सूत्र' के अनुसार 7000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में 15600–39100 रु. के वेतन बैंड में उचित स्तर पर निर्धारित किया जाएगा ।

(ग) शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (चयन वेतनमान)/शारीरिक शिक्षा कॉलेज निदेशक (चयन वेतनमान)

(1) 7000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड सहित 15600–39100 के वेतन बैंड में 5 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् और वि.अ.आ. और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य दिशानिर्देशों की शर्तें, यदि कोई हों तो, उन्हें पूरा करता है, तो उसे शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (वरिष्ठ वेतनमान) कॉलेज डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान) 8000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 रु. के वेतन बैंड में उन्नति दिया जाना प्रस्तावित है । उनका शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/ सहायक डी0पी0ई0 (चयन वेतनमान कॉलेज डी0पी0ई0 (चयन वेतनमान) ,जैसी भी स्थिति हो, पदनाम होगा ।

(2) 8000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन और 15600–39100 के वेतन बैंड में 3 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् वि.अ.आ. और विश्वविद्यालय द्वारा यदि कोई हो निर्धारित योग्यतों की शर्तों को पूरा करता है, उप डी0पी0ई0/सहायक डी0पी0ई0 चयन वेतनमान)/कॉलेज डी0पी0ई0 (चयन वेतनमान) को 9000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000 रु. के वेतन बैंड प्रस्तावित है। उनका पदनाम उप डी0पी0ई0/सहायक डी0पी0ई0 (चयन वेतनमान)/कॉलेज डी0पी0ई0 (चयन वेतनमान) जारी रहेगा ।

(3) उप डी0पी0ई0/सहायक डी0पी0ई0 (चयन वेतनमान)/कॉलेज डी0पी0ई0 (चयन वेतनमान) के पद पर सभी पदधारी जिन्होंने 12000–18300/–रु. के संशोधन–पूर्व के वेतनमान में 1.1.2006 तक कम से कम 3 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है उनका वेतन 9000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000/– रु. के वेतन बैंड में निर्धारित किया जाएगा ।

(4) उप डी0पी0ई0/सहायक डी0पी0ई0 (चयन वेतनमान)/कॉलेज डी0पी0ई0 (चयन वेतनमान) के पद पर सभी पदधारी जिन्होंने 12000–18300/–रु. के पूर्व–संशोधित वेतनमान पर 3 वर्षों की सेवा पूरी नहीं की है, जिसके आधार पर वे अगले उच्च वेतन बैंड में जाने के पात्र होंगे, असंशोधित वेतनमान में उप डी0पी0ई0/एडी0पी0ई0 (चयन वेतनमान)/कॉलेज डी0पी0ई0 (चयन वेतनमान) के रूप में तीन वर्षों की अपेक्षित सेवा पूरी करने तक 8000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 रु. के वेतन बैंड में उचित स्तर पर निर्धारित किया जाएगा ।

(5) सीधे भर्ती किए गए उप डी0पी0ई0 का वेतन आरंभ में 8000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 रु. के वेतन बैंड में निर्धारित की जाएगी और उप डी0पी0ई0 और समकक्ष पद पर सीधे भर्ती होने के पश्चात् 3 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् 9000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000 रु. के वेतन बैंड में प्रस्तावित है ।

(घ) शारीरिक शिक्षा निदेशक (विश्वविद्यालय):

(1) विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा निदेशक पद का वेतन 10000 रु. के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 37400–67000 के वेतन बैंड में होगी ।

(2) शारीरिक शिक्षा निदेशक (विश्वविद्यालय) के पद को सीधी भर्ती से भरा जाना जारी रहेगा और पात्रता की मौजूदा शर्तें अर्थात् न्यूनतम योग्यताएँ, वर्षों का संबंधित अनुभव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें, भर्ती की योग्यता हेतु जारी रहेगी ।

(3) पदधारी का वेतनमान छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के 'निर्धारण सूत्र' के अनुसार 37400–67000 रु. के वेतन बैंड में उचित स्तर पर निर्धारित किया जाएगा ।

7. पीएच0डी0/एम0फिल0 और अन्य उच्च योग्यता हेतू प्रोत्साहन :

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा निर्धारित पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य और बाह्य मूल्याँकन की प्रक्रिया के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदान की गई पीएच0डी0, डिग्रीधारी सहायक प्रोफेसर(सहायक प्रोफेसर) के रूप में भर्ती होने पर प्रवेश स्तर पर पाँच गैर चक्रवृद्धि अग्रिम वेतनवृद्धि का हकदार होगा ।

(ii) सहायक प्रोफेसर(सहायक प्रोफेसर) के पद पर भर्ती एम0फिल0 डिग्रीधारक दो गैर–चक्रवृद्धि अग्रिम वेतन वृद्धि का हकदार होगा ।

(iii) संबंधित सांविधिक निकाय/परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे एल0एल0बी0/एम0टेक0 में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक भी प्रवेश स्तर पर दो गैर–चक्रवृद्धि अग्रिम वेतनवृद्धि के हकदार होंगे ।

(iv) वे शिक्षक जिन्होंने सेवाकाल के दौरान अपनी पीएच0डी0 पूरी कर ली है, तीन गैर–चक्रवृद्धि वेतनवृद्धि के हकदार होंगे बशर्ते, ऐसी पीएच0डी0 डिग्री संबंधित विषय में है और पंजीकरण पाठ्यक्रम कार्य और मूल्याँकन आदि हेतु वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् प्रदान की गई है ।

(v) तथापि, सेवा में कार्यरत शिक्षकों जिनको इस योजना के प्रभावी होने के समय पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है अथवा पीएच0डी0 के लिए पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं, पाठ्यक्रम कार्य साथ ही मूल्याँकन यदि कोई हो पहले ही पूरा कर लिया है और पीएच0डी0 प्रदान किए जाने के संबंध में केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा है, यदि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान ऐसी पीएच0डी0 को वि.अ.आ. द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, जैसा आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में अनुपालन किया जाता है, वे भी तीन गैर–चक्रवृद्धि वेतनवृद्धि के हकदार होंगे ।

(vi) अन्य मामलों के संबंध में, एक शिक्षक जो पहले ही पीएच0डी0 के लिए पंजीकृत है, को तीन गैर–चक्रवृद्धि वेतन वृद्धि का लाभ उसी स्थिति में मिलेगा यदि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली पीएच0डी0 या तो पाठ्यक्रम कार्य अथवा मूल्याँकन अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो, पीएच0डी0 प्रदान किए जाने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के संकलित होने पर वि.अ.आ. द्वारा अधिसूचित की जा चुकी है ।

(vii) वे सेवारत शिक्षक जिन्होंने अभी तक पीएच0डी0 हेतु पंजीकरण नहीं करवाया है, सेवाकाल में विश्वविद्यालय के साथ ऐसे पंजीकरण जिसमें वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित पूरी प्रक्रिया, पंजीकरण सहित शामिल है, पीएच0डी0 प्रदान किए जाने पर तीन गैर–चक्रवृद्धि वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त करेंगे ।

(viii) वे शिक्षक जिन्होंने सेवा के दौरान संगत साँविधिक निकाय/परिषद् से एम0फिल0 डिग्री अथवा/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है एक अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे यदि विषय विशेष में पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता भर्ती के प्रवेश स्तर पर अनिवार्य योग्यता नहीं है, सेवाकाल के दौरान ऐसी योग्यता प्राप्त करने वाला उम्मीदवार भी एक अग्रिम वेतन वृद्धि का हकदार होगा ।

(ix) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए पंजीकरण पाठ्यक्रम, कार्य और मूल्याँकन प्रक्रिया के संबंध में वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात्

विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में पीएच0डी0 की डिग्री है, को पाँच गैर चक्रवृद्धि अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी ।

(x) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य पुस्तकालयकर्मी जिन्होंने पंजीकरण, पाठ्यक्रम, कार्य और मूल्याँकन प्रक्रिया के संबंध में वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में सेवाकाल के दौरान पीएच0डी0 की डिग्री प्राप्त की है, तीन गैर–चक्रवृद्धि अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे ।

(xi) तथापि, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा उच्च पदों पर जिन व्यक्तियों को इस योजना के प्रभावी होने के समय पुस्तकालय विज्ञान में पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है अथवा पुस्तकालय विज्ञान में पीएच0डी0 हेतु पंजीकरण करा लिया है और पाठ्यक्रम कार्य, साथ ही मूल्याँकन, यदि कोई हो, जो पहले ही किए जा चुके हैं और पीएच0डी0 प्रदान करने के संबंध में केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा है, यदि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के पश्चात् आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संकलित होने पर वि.अ. आ. द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है तो वे भी तीन गैर चक्रवृद्धि वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के हकदार होंगे ।

(xii) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा उच्च पदों पर प्रत्येक अन्य व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने पीएच0डी0 के लिए पहले ही पंजीकरण कराया हुआ है को तीन गैर–चक्रवृद्धि वेतनवृद्धि का लाभ उसी स्थिति में जब पीएच0डी0 डिग्री प्रदान किए जाने के संबंध में या तो पाठ्यक्रम कार्य अथवा मूल्याँकन अथवा दोनों ,जैसी भी स्थिति हो, हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया संकलित होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान डिग्री को वि.अ.आ. द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है ।

(xiii) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष और पुस्तकालय सेवाओं में अन्य उच्च पदों पर जिन्होंने अभी तक पीएच0डी0 के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है, सेवा के दौरान पीएच0डी0 प्रदान किए जाने पर तीन गैर–चक्रवृद्धि वेतनवृद्धियों का

लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब ऐसे पंजीकरण वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें पंजीकरण भी शामिल है, विश्वविद्यालय में संकलित करा दी है ।

(xiv) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में एम0फिल0 डिग्री है, को दो गैर–चक्रवृद्धि वेतनवृद्धियाँ दी जाएँगी । सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य पदों पर तैनात हैं और अपनी सेवा के दौरान किसी समय पर पुस्तकालय विज्ञान में एम0फिल0 की डिग्री प्राप्त की है, एक अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे ।

(xv) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/शारीरिक शिक्षा कॉलेज निदेशक पद पर भर्ती स्तर पर, शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने हेतु पंजीकरण, पाठ्यक्रमों और मूल्याँकन प्रक्रिया के संबंध में वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अनुपालन करने पर विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा की विद्या में पीएच0डी0 धारकों को पाँच गैर–चक्रवृद्धि अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान की जाएँगी ।

(xvi) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 अथवा उच्च पदों पर भर्ती स्तर पर, सेवाकाल के दौरान पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्यों और मूल्याँकन प्रक्रियाके संबंध में वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में शारीरिक शिक्षा विषय में पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति तीन गैर–चक्रवृद्धि अग्रिम वेतनवृद्धियों के हकदार होंगे ।

(xvii) तथापि, शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 अथवा उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों जिन्हें इस योजना के लागू होने के समय शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 प्रदान की जा चुकी है अथवा जिनके द्वारा शारीरिक शिक्षा पीएच0डी0 हेतु पंजीकरण करवाया जा चुका है, पाठ्यक्रम कार्य, साथ ही मूल्याँकन, यदि कोई हो तो, पहले ही पूरे किए जा चुके हैं और मात्र पीएच0डी0 प्रदान किए जाने के संबंध में अधिसूचना आनी है और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान डिग्री, आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में वि.अ.आ. द्वारा ऐसी पीएच0डी0 डिग्री को

अधिसूचित नहीं किया गया है, वे भी तीन गैर–चक्रवृद्धि वेतनवृद्धियों के हकदार होंगे ।

(xviii) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 अथवा उच्च पदों पर विराजमान व्यक्तियों के मामले में, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 के लिए पहले ही पंजीकरण करा रखा है, ऐसी स्थिति में वे तीन गैर चक्रवृद्धि वेतन वृद्धि का लाभ तब ही मिलेगा जब विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान डिग्री पाठ्यक्रम कार्य अथवा मूल्याँकन अथवा दोनों ,जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में वि.अ.आ. द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है ।

(xix) शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 और सेवा में उच्च पदों पर तैनात अन्य व्यक्ति जिन्होंने अभी तक पीएच0डी0 के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है, को सेवा के दौरान पीएच0डी0 प्रदान होने के पश्चात् तीन गैर चक्रवृद्धि वेतनवृद्धियाँ उसी स्थिति में मिलेंगी यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पूरी प्रक्रिया जिसमें पंजीकरण भी शामिल है, के अनुपालन में विश्वविद्यालय के साथ ऐसे पंजीकरण किए गए हों ।

(xx) प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा में एम.फिल. डिग्रीधारी शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 को दो गैर चक्रवृद्धि अग्रिम वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी । सेवाकाल के दौरान किसी समय शारीरिक शिक्षा में एम.फिल. डिग्री प्राप्त करने वाले शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/कॉलेज डी0पी0ई0 और अन्य उच्च पद पर तैनात व्यक्ति एक अग्रिम वेतनवृद्धि का हकदार होगा ।

(xxi) उपर्युक्त खंडों के होते हुए भी पूर्व योजना के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएच0डी0/एम0फिल0 डिग्रीधारक जो अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के अंतर्गत अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे ।

(xxii)प्रवेश स्तर पर ऐसे पदों पर जहाँ पूर्व योजना के अंतर्गत पीएच0डी0/एम0फिल0 डिग्रीधारकों को ऐसी अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्राप्त नहीं थीं, पीएच0डी0/एम0फिल0 डिग्रीधारकों को पाँच अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ केवल उन नियुक्तियों में मिलेगा जो इस योजना के प्रभावी होने के पश्चात् की गई हैं ।

(xxiii)शिक्षक, पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्ग में सेवा के दौरान पीएच0डी0/एम0फिल0 डिग्री प्राप्त करने पर मौजूदा नीति के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के अंतर्गत लाभ के हकदार नहीं होंगे ।

8. **अन्य निबंधन और शर्तें :**

(क) **वेतन वृद्धिः**

(1) प्रत्येक वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधित वेतन बैंड में वेतन और वेतन बैंड में स्तर हेतु प्रभारी शैक्षणिक ग्रेड वेतन (ए0जी0पी0) के कुल योग के 3 प्रतिशत के समकक्ष होगी ।

(2) **प्रत्येक अग्रिम वेतन वृद्धि संबंधित वेतन बैंड में वेतन और प्रभावानुसार शैक्षणिक ग्रेड वेतन (ए0जी0पी0) के कुल योग के 3 प्रतिशत की दर से देय होगा और यह गैर चक्रवृद्धि होगा ।**

(3) प्रत्येक उच्च स्तर के शैक्षणिक ग्रेड वेतन (ए0जी0पी0) में रखे जाने पर अतिरिकत वेतन वृद्धि(यों) की संख्या निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान पर वेतन वृद्धि की मौजूदा योजना के अनुसार होगी, तथापि, दो वेतन बैंडों के बीच प्रभावी वेतन में पर्याप्त वृद्धि होने के मद्देनजर 15600–39100 रु. के वेतन बैंड से 37000–67000 रु. के वेतन बैंड में जाने करने पर कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ नहीं दी जाएँगी ।

(4) विश्वविद्यालय व्यवस्था में इंजीनियरिंग/तकनीकी पाठ्यक्रमों से जुड़े शिक्षकों को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने संबंधी सभी मुद्दे तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों की वेतन समीक्षा हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित पृथक् समिति के अधीन होंगे ।

(ख) वेतन निर्धारण सूत्र :

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन 'निर्धारण सूत्र', जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है शिक्षकों, पुस्तकालयों में समकक्ष पदों और शारीरिक शिक्षा संवर्गों के लिए स्वीकृत किया जाएगा ।

(ग) भत्ते:

(1) भत्ते जैसे अवकाश यात्रा रियायत, विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, क्षेत्र आधारित विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता आदि जो शिक्षकों, पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्गों पर लागू हैं, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के समान होंगी ओर 1.09.2008 से लागू होंगी ।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालयों/कॉलेजों ओर मानित विश्वविद्यालय संस्थानों में शिक्षकों और पुस्तकालय में समकक्ष पदों और शारीरिक शिक्षा संवर्ग हेतु केन्द्रीय सरकार समूह 'क' कर्मचारियों को यथा प्रभावी भत्तों की दर स्वीकृत की जाएगी ।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालयों/कॉलेजों और मानित विश्वविद्यालय संस्थानों में शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्ग में निःशक्त व्यक्ति (अधिकार संरक्षण, समान अवसर और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत दृष्टि–बाधित, अस्थि, श्रवण संबंधी और अन्य प्रकार से निःशक्त कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के निःशक्त कर्मचारियों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सामान्य दर की तुलना में दो गुना परिवहन भत्ता दिया जाएगा ।

(घ) **अध्ययन अवकाश:**

(1) वि.अ.आ0. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य संवर्गों में रिक्त स्थानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रवेश करने के पश्चात् वर्षों की संख्या में छूट प्रदान कर सेवा के दौरान संबंधित विषय में एम0फिल0 और पीएच0डी0 आदि डिग्री प्राप्त करने के लिए सवेतन अध्ययन अवकाश प्रदान करने के संबंध में अपने दिशानिर्देशों में संशोधन करेगा, ताकि शिक्षक और अन्य संवर्गों में सेवा में प्रवेश करते समय पीएच0डी0 अथवा एम0फिल0 अथवा उच्च योग्यता रहित शिक्षकों और अन्य संवर्गों को वृद्धि के अंतिम स्तर के बजाय शीघ्रातिशीघ्र संगत विषय में ऐसी योग्यताएँ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ।

(ङ) **शोध प्रोत्साहन अनुदान :**

(1) बुनियादी विज्ञान शोध के संबंध में प्रो0 एम.एम. शर्मा समिति और वि.अ.आ. द्वारा सामाजिक विज्ञान/मानविकी और अन्य विद्याओं में शोध हेतु उपयुक्त स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार बुनियादी विज्ञान शोध सहित सभी विषयों में शोध आरंभ करने के लिए शिक्षकों और अन्य संवर्गों को 'आरम्भिक अनुदान' प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उचित दिशानिर्देशों के साथ एक योजना प्रस्तावित करेगा ।

(च) **सेवानिवृत्ति की आयु :**

(1) विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की कमी और उन पदों पर अनुवर्ती रिक्ति से उत्पन्न हुई परिस्थिति का सामना करने के लिए शिक्षण वृति में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए शैक्षणिक कक्षाओं में शामिल और शिक्षकों को लम्बी अवधि तक सेवा में बनाए रखने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग पत्रांक सं0 एफ सं0 119/2006 यू–II, दिनांक 23.3.2007 के द्वारा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु पहले ही बढ़ा कर पैंसठ वर्ष कर दी गई है । शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोत्तरी संबंधी संशोधन करने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग अर्धशासकीय पत्र

सं0 1–24/2006–डेस्क(यू), दिनांक 30.3.2007 के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्राधिकृत किया है, बशर्ते उक्त संविधि में सक्षम प्राधिकारी (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में कुलाध्यक्ष) की अनुमति से संशोधन किए जाएँ ।

(2) रिक्त पदों की उपलब्धता, शिक्षकों की शारीरिक क्षमता के आधार पर पैसठ वर्ष की आयु के पश्चात् सत्तर वर्ष की आयु तक अनुबंधात्मक नियुक्ति पर पुनःनियोजित किया जाएगा । सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः रोजगार तथापि चयनित आधार पर होगा, पहली बार 3 वर्षों की सीमित अवधि के लिए और उसके पश्चात् 2 वर्षों की अवधि के लिए होगी, जो पूर्णतः योग्यता अनुभव, विशिष्टता क्षेत्र और समकक्ष समूह समीक्षा के आधार पर और योग्य शिक्षकों के चयन और पदोन्नति संभावनाओं को प्रभावित किए बिना केवल उपलबध रिक्त पदों पर की जाएगी ।

(3) जबकि, कक्षाओं में शिक्षण कार्यों से जुड़े शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोत्तरी का इरादा शिक्षण वृत्ति में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सेवा में शिक्षकों को लंबी अवधि के लिए रखा जाना है और जहाँ पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा निदेशकों की श्रेणी में कोई कमी नहीं है, मौजूदा पैंसठ वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोत्तरी पुस्तकालयध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा निदेशकों की श्रेणी में उपलब्ध नहीं होगी ।

(छ) पेंशन :

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित संस्थानों में पेंशन प्राप्त कर रहे शिक्षकों और अन्य संवर्गों हेतु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पर पेंशन और ग्रेच्युटी के संबंध में केन्द्र सरकार के नियम लागू होंगे । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु पेंशन के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें, पूर्ण पेंशन हेतु अर्थात् औसत वेतन का 50 प्रतिशत अथवा अंतिम आहरित वेतन 20 वर्षों की सेवा के पश्चात् जो भी अधिक हो केवल उन शिक्षकों और अन्य संवर्गों के मामले में स्वीकार

किया जाएगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/कॉलेजों और अन्य मानित विश्वविद्यालय संस्थानों में पहले सही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ।

(2) 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना के मद्देनजर पेंशन योजना में परिवर्तन के नए मामलों को परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।

(ज) पारिवारिक पेंशन :

(1) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में केन्द्र सरकार यथा अनुमोदित पारिवारिक पेंशन सुविधा केन्द्रीय विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित अन्य संस्थानों में कार्यरत उन शिक्षकों और अन्य संवर्गों को उपलब्ध होगी जो फिलहाल ऐसी पेंशन के पात्र हैं ।

(झ) वरिष्ठ पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन :

(1) केन्द्र सरकार के वरिष्ठ पेंशनधारियों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन की सुविधा उन व्यक्तियों को मिलेगी जो शिक्षक और अन्य संवर्गों में थे और जिनकी आयु 80 वर्ष की हो चुकी है, बशर्ते वे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और वि.अ.आ. द्वारा अनुरक्षित अन्य संस्थानों में पहले से ही पेंशन योजनाओं के अंतर्गत हैं ।

(ञ) उपदान और छुट्टी का नकद भुगतान

केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत उपदान और छुट्टी के नकद भुगतान की सुविधाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और वि.अ.आ. द्वारा अनुरक्षित संस्थानों में शिक्षकों और अन्य संवर्गों को प्राप्त होगी ।

(ट) अनुग्रह मुआवजा :

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवारों की भाँति अपनी वास्तविक सेवा के निष्पादन में मृत्यु हो जाने पर शिक्षकों और अन्य संवर्गों के परिवारों को अनुग्रह मुआवजा दिया जाएगा ।

(ठ) भविष्य निधि :

(1) अंशदायी भविष्य निधि के संबंध में वर्तमान नीति के मद्देनजर यथा स्थिति बनी रहेगी ।

(ढ) परामर्शदात्री कार्य :

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और अन्य संस्थानों के अंतर्गत विद्यमान संस्थानों और परामर्शदाता शिक्षकों के बीच राजस्व बंटवारे के मॉडल पर विचार करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक उपयुक्त मॉडल तैयार करेगा ।

(ण) पिछली वेतन समीक्षा समिति की विसंगतियाँ :

(1) पिछली वेतन समीक्षा समिति की विसंगतियाँ और लागू नहीं की गई सिफारिशों यदि कोई हैं तो उनकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से जाँच की जाएगी ।

(त) वेतन समीक्षा समिति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य सिफारिशें :

(1) विभिन्न चयन प्रक्रियाओं, सेवा और कार्यकरण शर्तों, प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आदि के संबंध में वेतन समीक्षा समिति और वि.अ.आ. द्वारा की गई सिफारिशों पर केन्द्र सरकार के अनुमोदन से ,जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में आयोग के विनियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उचित विचार किया जाएगा ।

(थ) योजना की अनुप्रयोज्यता :

(1) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनके अंतर्गत कॉलेज और मानित विश्वविद्यालय संस्थान जिनका व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है, में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयों और शारीरिक शिक्षा के समकक्ष संवर्गों पर यह योजना लागू होगी । संशोधित वेतनमानों का कार्यान्वयन इस पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को स्वीकार करने तथा साथ ही इस संबंध में वि.अ.आ. द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन होगा । इस योजना को कार्यान्वित करने वाले विश्वविद्यालयों को वि.अ.आ. द्वारा इस पत्र के जारी होने के तीन माह के भीतर वि.अ.आ. विनियमन की तर्ज पर अपने संगत साँविधिक और अध्यादेशों में संशोधन करने की सलाह दी जाएगी ।

(2) यह योजना कुल सचिव, वित्त–अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक संवर्गों पर लागू नहीं होगी उनके लिए पृथक् योजना अलग से जारी की जा रही है ।

(3) यह योजना संगतकार, प्रशिक्षकों, अनुशिक्षकों और प्रदर्शकों पर लागू नहीं होगी । उक्त श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन और ग्रेड वेतन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ऐसे निर्धारण तदनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय/संस्थान में उनके मौजूदा वेतन के संगत वेतन बैंड में उचित रूप से निर्धारित की जाएगी ।

(4) यह योजना व्यावसायिक पदों जैसे सिस्टम–एनॉलिस्ट, वरिष्ठ–एनॉलिस्ट, शोध अधिकारी आदि पर लागू नहीं होगी । उन्हें केन्द्र सरकार के अनुसंधान/वैज्ञानिक संगठनों में योग्य कार्मिकों के समकक्ष माना जाएगा ।

(5) इस योजना को राज्य विधानमंडलों के अधीन विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च संस्थानों पर लागू किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार योजना को निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन स्वीकार और लागू करे :

(क) योजना के अंतर्गत कवर किए गए शिक्षकों और अन्य समकक्ष संवर्गों के वेतनमानों में संशोधन पर विचार करने वाली राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से वित्तीय

सहायता संशोधन के कार्यान्वयन में शामिल अतिरिक्त व्यय के 80 (अस्सी प्रतिशत) की सीमा तक सीमित होगी ।

(ख) संशोधन पर विचार करने वाली राज्य सरकारों को अतिरिक्त व्यय की शेष 20 प्रतिशत को अपने संसाधनों से पूरा करना होगा ।

(ग) उप खँड (क) में उल्लेख की गई वित्तीय सहायता 01.01.2006 से 31.03.2010 की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी ।

(घ) विश्वविद्यालय और कॉलेज के वेतनमान आदि के संशोधन के लेखों की पूर्ण देयता 01.04.2010 से प्रभावी वेतनमानों के संशोधन पर विचार करने वाली राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी ।

(ड़) केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता केवल उन पदों, जो पहले मौजूद थे और जिन्हें 01.01.2006 तक भर लिया गया था, के संबंध में वेतनमानों के संशोधन तक सीमित रहेगी ।

(च) राज्य सरकारें, अन्य स्थानीय परिस्थितियों पर विचार कर सकती हैं, अपने विवेकाधिकार से निर्णय ले सकती हैं, इस योजना में उल्लेख किए गए वेतनमानों से अधिक वेतनमान देना आरंभ कर सकती हैं और 01.01.2006 की तिथि से अथवा उसके पश्चात् वेतन के संशोधित बैंडों/वेतनमानों को लागू कर सकती हैं, तथापि ऐसी परिस्थिति में प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना होगा और केन्द्रीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित वेतन बेंडों तक सीमित होगी और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उच्च वेतनमानों पर यह लागू नहीं होगा ।

(छ) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सहायता का भुगतान वेतनमानों की संशोधन की पूरी योजना साथ ही विनियमन के माध्यम से वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित सभी शर्तों के अधीन होगा और अन्य दिशा–निर्देश समग्र योजना के रूप में बिना किसी संशोधन के कार्यान्वयन की तिथि को छोड़कर और उपर्युक्त में बताए गए वेतनमानों

को छोड़कर राज्य सरकारों द्वारा इसके अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के संबंध में लागू की जाएगी ।

9. **संशोधित वेतन और भत्तों तथा बकायों के भुगतान के लागू होने की तिथि :**

(1) इस योजना के अंतर्गत संशोधित वेतन और मंहगाई भत्ते की संशोधित दरें 01.01.2006 से प्रभावी होंगी । अन्य सभी लागू भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता आदि और गैर–चक्रवृद्धि अग्रिम वेतनवृद्धि 01.09.2008 से प्रभावी होंगे ।

(2) कुल बकाये के 40 प्रतिशत राशि का भुगतान चालू वित वर्ष अर्थात् 2008–09 के दौरान ग्राह्य आय कर कटौती के पश्चात् किया जाएगा ।

(3) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी से वचनबंध लिया जाएगा कि संशोधित वेतन बैंड में वेतन के गलत निर्धारण के कारण अथवा अनुचित वेतन बैंड/शैक्षणिक, ग्रेड वेतन का भुगतान अथवा किए गए अधिक भुगतान को भविष्य में लाभार्थी को देय भुगतान के साथ समायोजित किया जाएगा, जैसाकि वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.8.2008 के (व्यय विभाग) अ.शा.संख्या एफ–1/2008–आईसी के साथ पठित मंत्राालय के दिनांक 23.10.2008 के अ.शा.सं.एफ 23–7/2008/एफडी में बताया गया है ।

10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियमन के लंबित मुद्दे इस योजना के अंतर्गत सभी योग्य लाभार्थियों को संगत वेतन बैंड में संशोधित वेतन और शैक्षणिक ग्रेड वेतन मिलाकर बकाये वेतन सहित लागू भत्तों का भुगतान किया जाएगा ।

11. यह योजना वित मंत्रालय (व्यय विभाग) के अ.शा. संख्या 7–23/2008–ई.तीन दिनांक 30.9.2008 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगी ।

12. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई विसंगति पायी जाती हे तो उसे केन्द्रीय सरकार के स्पष्टीकरण/निर्णय हेतु उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय,

(आर. चक्रवर्ती),
उप सचिव,

परिशिष्ट–II

मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय

(उच्च शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 4 जून, 2009

सेवा में,

सचिव
वि.अ.आ.
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–11002

(डॉ. आर. के. चौहान, सचिव के ध्यानाकर्षण हेतु)

विषय : विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों तथा समान संवर्गो तथा रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार आदि के पदों के लिए भी वेतन संशोधन संबंधी स्कीम।

महोदय,

सं.एफ. 3–1/2009–U.I

मुझे, उपरोक्त विषय पर पत्र सं. 1–32/2006–U.II/U.I(i) तथा सं.1–32/2006–U.II/U/1(II) दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 को लिखे गए तथा दिनांक 27 जनवरी, 2009 को लिखे गए आपके अर्धशासकीय पत्र संख्या एफ.1–2/2009 (EC) पर आपका ध्यान दिलाने का तथा तालिकाओं में दर्शाये गए विभिन्न श्रेणियों के पदों में दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा पदस्थ व्यक्तियों के वेतन निर्धारण हेतु प्रमाणित फिटमेंट तालिकाओं (तालिका सं. 1–9) को अग्रसारित करने का निर्देश हुआ है।

भवदीय,

(आर. चक्रवर्ती)
उप–सचिव

तालिका–1

i पदस्थ सहायक प्रोफेसर

ii पदस्थ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कालेज पुस्तकालयाध्यक्ष

iii पदस्थ सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा/कालेज निदेशक, शारीरिक शिक्षा

पूर्व संशोधित वेतनमान 8,000–275–15,200 रु. ('ए' समूह प्रवेश)		संशोधित वेतन बैंड+AGP 15,600–39,100+AGP 6000 रु.	
पूर्व संशोधित मूल वेतन	संशोधित वेतन		
	वेतन बैंड में वेतन	अकादमिक ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
8000	15600	6000	21600
8275	15600	6000	21600
8550	15910	6000	21910
8825	16420	6000	22420
9100	16930	6000	22930
9375	17440	6000	23440
9650	17950	6000	23950
9925	18470	6000	24470
10200	18980	6000	24980
10475	19490	6000	25490
10750	20000	6000	26000
11025	20510	6000	26510
11300	21020	6000	27020
11575	21530	6000	27530
11850	22050	6000	28050
12125	22560	6000	28560
12400	23070	6000	29070
12675	23580	6000	29580
12950	24090	6000	30090
13225	24600	6000	30600
13500	25110	6000	31110
13775	25630	6000	31630
14050	26140	6000	32140
14325	26650	6000	32650

तालिका–2

i पदस्थ सहायक प्रोफेसर (पूर्व लैक्चरर)(वरिष्ठ वेतनमान)

ii पदस्थ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/ कालेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)

iii पदस्थ सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान) /कालेज निदेशक, शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)

पूर्व संशोधित वेतनमान 10,000–325–15,200 रु. ('ए'समूह प्रवेश)		**संशोधित वेतन बैंड+AGP 15,600–39,100+AGP 7,000 रु.**	
पूर्व संशोधित मूल वेतन	**संशोधित वेतन**		
	वेतन बैंड में वेतन	**अकादमिक ग्रेड वेतन समूह**	**संशोधित मूल वेतन**
10000	18600	7000	25600
10325	19210	7000	26210
10650	19810	7000	26810
10975	20420	7000	27420
11300	21020	7000	28020
11625	21630	7000	28630
11950	22230	7000	29230
12275	22840	7000	29840
12600	23440	7000	30440
12925	24050	7000	31050
13250	24650	7000	31650
13575	25250	7000	32250
13900	25860	7000	32860
14225	26460	7000	33460
14550	27070	7000	34070
14875	27670	7000	34670
15200	28280	7000	35280
15525	28880	7000	35880
15850	29490	7000	36490
16175	30090	7000	37090

तालिका–3

i पदस्थ रीडर्स तथा लैक्चरार्स (SG) 3 वर्ष से कम सेवा वाले

ii पदस्थ उप–पुस्तकालयाध्यक्ष /सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (SG) कालेज पुस्तकालयाध्यक्ष (SG) 3 वर्ष से कम सेवा वाले

iii पदस्थ उप DPE /सहायक DPE (SG)/कालेज DPE (SG) 3 वर्ष से कम सेवा वाले

पूर्व संशोधित वेतन 12,000–420–18,300 ('ए'समूह प्रवेश)		संशोधित वेतन बैंड+AGP 15,600–39,100+AGP 8,000 रु.	
पूर्व संशोधित मूल वेतन	संशोधित वेतन		
	वेतन बैंड में वेतन	अकादमिक ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
12000	22320	9000	30320
12420	23110	9000	31110
12840	23890	9000	31890
13260	24670	9000	32670
13680	25450	9000	33450
14100	26230	8000	34230
14520	27010	8000	35010
14940	27790	8000	35790
15360	28570	8000	36570
15780	29360	8000	37360
16200	30140	8000	38140
16620	30920	8000	38920
17040	31700	8000	39700
17460	32480	8000	40480
17880	33260	8000	41260
18300	34040	8000	42040
18720	34820	8000	42820
19140	35610	8000	43610
19560	36390	8000	44390

तालिका–4

i पदस्थ रीडर्स तथा लैक्चरार्स (SG) 3 वर्ष की सेवा वाले

ii पदस्थ उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) (SG) कालेज पुस्तकालयाध्यक्ष (SG) 3 वर्ष की सेवा वाले

iii पदस्थ उप DPE /सहायक DPE (SG)/कालेज DPE (SG) 3 वर्ष की सेवा वाले

पूर्व संशोधित वेतनमान 12,000–420–18,300 रु.		संशोधित वेतन बैंड+AGP 37,400–67,000+AGP 9,000 रु.	
पूर्व संशोधित मूल वेतन	संशोधित वेतन		
	वेतन बैंड में वेतन	अकादमिक ग्रेड वेतन समूह	संशोधित मूल वेतन
13620	37400	9000	46400
13680	37400	9000	46400
14100	37400	9000	46400
14520	37400	9000	46400
14940	38530	9000	47530
15360	38530	9000	47530
15780	39690	9000	48690
16200	39690	9000	48690
16620	40890	9000	49890
17040	40890	9000	49890
17460	42120	9000	51120
17880	42120	9000	51120
18300	43390	9000	52390
18720	43390	9000	52390
19140	44700	9000	53700
19560	44700	9000	53700

तालिका –5

i पदस्थ प्रोफेसर, कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में

ii पदस्थ प्राचार्य, स्नातकोत्तर (कालेजों में)

iii पदस्थ पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय)

iv पदस्थ निदेशक, शारीरिक शिक्षा (विश्वविद्यालय)

पूर्व संशोधित वेतनमान 16,400–450–20,900–500–22,400 रु. (S 27 एँड S 29)		संशोधित वेतन बैंड+AGP 37,400–67,000+AGP 10,000	
पूर्व संशोधित मूल वेतन	संशोधित वेतन		
	वेतन बैंडमें वेतन	अकादमिक ग्रेड वेतन समूह	संशोधित मूल वेतन
16400	40890	10000	50890
16850	40890	10000	50890
17300	42120	10000	52120
17750	42120	10000	52120
18200	43390	10000	53390
18650	43390	10000	53390
19100	44700	10000	54700
19550	44700	10000	54700
20000	46050	10000	56050
20450	46050	10000	56050
20900	47440	10000	57440
21400	47440	10000	57440
21900	48870	10000	58870
22400	48870	10000	58870
22900	50340	10000	60340
23400	50340	10000	60340
23900	51860	10000	61860

तालिका– 6

स्नातक पूर्व कालेजों के पदस्थ प्राचार्य

पूर्व संशोधित वेतनमान 12,000–420–18,300 (12,840 रु. न्यूनतम निर्धारित)		संशोधित वेतन बैंड+AGP 37,400–67,000+AGP 10,000 रु.	
पूर्व संशोधित मूल वेतन	संशोधित वेतन		
	वेतन बैंड में वेतन	अकादमिक ग्रेड वेतन समूह	संशोधित मूल वेतन
12840	37400	10000	47400
13260	37400	10000	47400
13680	37400	10000	47400
14100	37400	10000	47400
14520	37400	10000	47400
14940	38530	10000	48530
15360	38530	10000	48530
15780	39690	10000	49690
16200	39690	10000	49690
16620	40860	10000	50890
17040	40860	10000	50890
17460	42120	10000	52120
17880	42120	10000	52120
18300	43390	10000	53390
18720	43390	10000	53390
19140	44700	10000	54700
19560	44700	10000	54700

तालिका– 7

केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालयों में पदस्थ रजिस्ट्रार

पूर्व संशोधित वेतनमान 16,400–450–20,900–500–22,400 (S 27 तथा S 29)		संशोधित वेतन बैंड+GP 37,400–67,000+GP 10,000 रु.	
पूर्व संशोधित मूल वेतन	संशोधित वेतन		
	वेतन बैंड में वेतन	अकादमिक ग्रेड वेतन समूह	संशोधित मूल वेतन
16400	40890	10000	50890
16850	40890	10000	50890
17300	42120	10000	52120
17750	42120	10000	52120
18200	43390	10000	53390
18650	43390	10000	53390
19100	44700	10000	54700
19550	44700	10000	54700
20000	46050	10000	56050
20450	46050	10000	56050
20900	47440	10000	57440
21400	47440	10000	57440
21900	48870	10000	58870
22400	48870	10000	58870
22900	50340	10000	60340
23400	50340	10000	60340
23900	51860	10000	61860

तालिका– 8

केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित विश्वविद्यालय तथा सम विश्वविद्यालय, पदस्थ उप–रजिस्ट्रार/ उप वित्त अधिकारी/उप परीक्षा नियंत्रक 5 वर्ष से कम सेवा वाले,

पूर्व संशोधित वेतनमान 12,000–420–18,300 रु.		**संशोधित वेतन बैंड+ GP 15,600–39,100+GP 7,600 रु.**	
पूर्व संशोधित मूल वेतन	संशोधित वेतन		
	वेतन बैंड में वेतन	अकादमिक ग्रेड वेतन समूह	संशोधित मूल वेतन
12000	22320	7600	29920
12420	23110	7600	30710
12840	23890	7600	31490
13260	24670	7600	32270
13680	25450	7600	33050
14100	26230	7600	33830
14520	27010	7600	34610
14940	27790	7600	35390
15360	28570	7600	36170
15780	29360	7600	36960
16200	30140	7600	37740
16620	30920	7600	38520
17040	31700	7600	39300
17460	32480	7600	40080
17880	33260	7600	40860
18300	34040	7600	41640
18720	34820	7600	42420
19140	35610	7600	43210
19560	36690	7600	43990

तालिका– 9

केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत : वित्त पोषित विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालयों में, पदस्थ उप–रजिस्ट्रार/ उप वित्त अधिकारी/उप परीक्षा नियंत्रक 5 वर्ष से कम सेवा वाले

पूर्व संशोधित वेतनमान 12,000–420–18,300 रु.		संशोधित वेतन बैंड+ GP 37,400–67,000 + GP 8,700 रु.	
पूर्व संशोधित मूल वेतन	संशोधित वेतन		
	वेतन बैंड में वेतन	अकादमिक ग्रेड वेतन समूह	संशोधित मूल वेतन
14100	37400	8700	46100
14520	37400	8700	46100
14940	38530	8700	47230
15360	38530	8700	47230
15780	39690	8700	48390
16200	39690	8700	48390
16620	40890	8700	49590
17040	40890	8700	49590
17460	42120	8700	50820
17880	42120	8700	50820
18300	43390	8700	52090
18720	43390	8700	52090
19140	44700	8700	53400
19560	44700	8700	53400

परिशिष्ट iii –तालिका – 1

भर्तियों में अकादमिक निष्पादन सूचकाँक हेतु प्रस्तावित स्कोर तथा विश्वविद्यालय /कालेज शिक्षकों का कैरियर उन्नति योजना (कैस) पदोन्नतियाँ

श्रेणी 1 : शिक्षण–प्रशिक्षण, शिक्षा एवं मूल्याँकन संबंधी गतिविधियाँ

संक्षिप्त ब्यौरा: शिक्षकों के आत्म मूल्याँकन पर आधारित अकादमिक निष्पादन सूचकाँक (क) शिक्षण संबंधी कार्यकलापों (ख) क्षेत्रीय जानकारी (ग) परीक्षा तथा मूल्याँकन में सहभागिता (घ) नवोन्मेषी शिक्षण, नवीन पाठ्यक्रमों आदि में योगदान हेतु प्रस्तावित । इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम अकादमिक निष्पादन सूचकाँक 75 है। आत्म मूल्याँकन स्कोर संभवत : उद्देश्यपरक प्रमाणनीय मानदण्ड पर आधारित होना चाहिए तथा जाँच /चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगाँ

विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यकलापों का ब्यौरा दें तथा जहाँ संस्थागत विनिर्देशनों की अपेक्षा की जाती है, वहाँ इस श्रेणी के तहत अपेक्षित कुल न्यूनतम अकादमिक निष्पादन सूचकांक में परिवर्तन किए बगैर धारिता को समायोजित करें।

क्र. सं.	कार्यकलाप की प्रकृति	अधिकतम स्कोर
1.	लैक्चर्स, संगोष्ठियाँ, कक्षाएँ, प्रैक्टिकल्स निर्धारित संपक्र घँटों, आबंटित लैक्चरों के प्रतिशत रूप में	50
2.	यू.जी.सी. मानकों के अतिरिक्त लैक्चर्स तथा अन्य शिक्षण कार्य	10
3	छात्रों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु तैयारी कराना तथा पाठ्यचर्या पाठ्यविवरण की जानकारी/अनुदेश की संवृद्धि करना	20
4.	सहभागिता एवं नवोन्मेषी शिक्षण–प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग, विषयवस्तु को अद्यतन करना, पाठयक्रम सुधार आदि।	20
5.	परीक्षा डयूटी (निरीक्षण, प्रश्न–पत्र तैयार करना,	25

	मूल्याँकन/उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याँकन /आँकलन आबंटन अनुसार	
	कुल स्कोर	**125**
	अपेक्षित न्यूनतम अकादमिक निष्पादन सूचकाँक	75

नोट : शिक्षा के विशेष वर्ग हेतु यू.जी.सी. मानकों में आबंटित लैक्चर्स तथा अनुशिक्षण को शामिल करनाँ विश्वविद्यालय, 80 प्रतिशत न्यूनतम कट ऑफ (यथोचित अवकाश) निर्धारित कर सकता है, 1 तथा 5 से अधिक के लिए इन उप–वर्गो में इससे कम कोई स्कोर नियत नहीं है।

श्रेणी–II: सह–पाठ्येत्तर, विस्तार तथा व्यावसायिक विकास संबंधी क्रियाकलाप ।

संक्षिप्त ब्यौरा: शिक्षक के स्व–मूल्याँकन के आधार पर, सह–पाठ्येत्तर, विस्तार क्रियाकलापों तथा व्यावसायिक विकास संबंधी योगदानों के लिए श्रेणी–दो के एपीआई अंक प्रस्तावित हैं । पदोन्नति के लिए शिक्षक द्वारा अनिवार्य न्यूनतम अर्हता 15 अंक है। मदों की सूची तथा प्रस्तावित अंक नीचे दिए गए हैं । यह नोट किया जा सकता है कि सभी शिक्षक अनेक मदों से अंक अर्जित कर सकते हैं, जबकि कुछ क्रियाकलाप केवल एक शिक्षक या कुछ शिक्षक द्वारा किए जायेंगे । इस श्रेणी में न्यूनतम अपेक्षित अंक (15) हेतु क्रियाकलापों की सूची व्यापक है जो सभी शिक्षक के खाते में जमा होंगे। पूर्व की भाँति, स्व–मूल्याँकन अंक निष्पक्षता द्वारा सत्यापित किए जाने वाले मानदंड पर आधारित होने चाहिए तथा इसे स्क्रीनिंग/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा ।

नीचे दी गई मानक तालिका एपीआई अंक के लिए क्रियाकलापों की सूची को दर्शाता है । विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का विस्तृत ब्यौरा दे सकता है, यदि संस्था द्वारा विशिष्ट किया जाना हो, तो उनके अंक का इस श्रेणी के तहत अपेक्षित न्यूनतम कुल एपीआई अंक को बिना बदले समायोजित करें ।

क्र.सं.	क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम अंक
1.	विद्यार्थी संबंधी सह–पाठ्येत्तर, विस्तार तथा क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप (जैसे एनएसएस/एनसीसी तथा अन्य चैनलों, साँस्कृतिक क्रियाकलापों, विषय संबंधी घटनाक्रम, विज्ञापन तथा परामर्श के माध्यम से विस्तार कार्य)।	20
2.	कारपोरेट जीवन में योगदान तथा विभाग और संस्थान की अकादमिक तथा प्रशासनिक समितियों और उत्तरदायित्वों के माध्यम से प्रबंधन।	15
3.	पेशेवर विकास क्रियाकलापों (जैसे सम्मेलनों, संगोष्ठी, अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, चर्चा, व्याख्यान, संघ की सदस्यता तथा प्रसार तथा सामान्य मदें जिन्हें नीचे श्रेणी III में कवर नहीं किया गया है ।	15
	न्यूनतम अपेक्षित एपीआई अंक	**15**

श्रेणी– III अनुसंधान तथा अकादमिक योगदान

संक्षिप्त ब्यौरा: शिक्षक के स्व–मूल्यांकन के आधार पर, अनुसंधान तथा अकादमिक योगदानों के लिए एपीआई अंक प्रस्तावित है । इस श्रेणी के लिए अपेक्षित न्यूनतम ए0पी0आई0 अंक विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के बीच पदोन्नतियों के विभिन्न स्तरों के लिए अलग हैं । स्व–मूल्यांकन अंक सत्यापन किए जाने योग्य मानदंड पर आधारित है तथा इन्हें स्क्रीनिंग/चयन समितियों द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा ।

क्र.सं.	ए0पी0आई0	इंजीनियरिंग/कृषि/पशु चिकित्सा विज्ञान/चिकित्सा विज्ञान	कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/पुस्तकालय/शारीरिक शिक्षा/प्रबंधन संकाय	विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षक के पद के लिए अधिकतम अंक
III क	इन विषयों में प्रकाशित अनुसंधान पत्र	संदर्भ जनरल*	संदर्भित जनरल*	15 प्रति प्रकाशन
		गैर–संदर्भित परंतु मान्यता प्राप्त तथा जाने माने जनरल तथा पीरीयोडिकल जिनके आईएसबीएन/आइए सएसएन नंबर हो।	गैर–संदर्भितपरंतु मान्यता प्राप्त तथा जाने माने जनरल तथा पीरीयोडिकल जिनके आईएसबीएन/आइएसए सएन नंबर हों।	10 प्रति प्रकाशन
		पूर्ण कागजातों आदि के रूप में सम्मेलन की कार्यवाहियाँ (सार सम्मिलित न किया जाए)	पूर्ण कागजातों आदि के रूप में सम्मेलन की कार्यवाहियाँ (सार सम्मलित न किया जाना)	10 प्रति प्रकाशन
III (ख)	अनुसंधान प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय संदर्भित पत्रिका में संदर्भित अनुच्छेद।	पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा जानी मानी 'पीयर रिव्यू प्रणाली ' द्वारा प्रकाशित किया गया हो ।	पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा जानी मानी 'पीयर रिव्यू प्रणाली ' द्वारा प्रकाशित किया गया हो।	एक मात्र लेखक द्वारा 50; संपादित पुस्तक में 10 प्रति अध्याय ।

		राष्ट्रीय/राज्य स्तर के प्रकाशकों तथा केन्द्र सरकार के प्रकाशकों द्वारा विषयों पर पुस्तकें जिनकी आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या हो ।	राष्ट्रीय/राज्य स्तर के प्रकाशकों तथा केन्द्र सरकार के प्रकाशकों द्वारा विषयों पर पुस्तकें जिनकी आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या हो ।	एक मात्र लेखक द्वारा 25 तथा संपादित पुस्तक में 5 प्रति अध्याय।
		आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या वाली स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषयगत पुस्तकें ।	आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या वाली स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषयगत पुस्तकें ।	एक मात्र लेखक द्वारा 15 तथा संपादित पुस्तक में 3 प्रति अध्याय।
		अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा संपादित ज्ञान आधारित खँडों में अध्यायों का योगदान।	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा संपादित ज्ञान आधारित खँडों में अध्यायों का योगदान।	10 प्रति अध्याय
		आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या वाली पुस्तकों में राष्ट्रीय/भारतीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा ज्ञान आधारित अध्याय तथा राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय डायरेक्टरी के नंबर।	आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या वाली पुस्तकों में राष्ट्रीय/भारतीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा ज्ञान आधारित अध्याय तथा राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय डायरेक्टरी के नंबर।	5 प्रति अध्याय
III.(ग)	**अनुसंधान परियोजनाएँ**			
III.(ग). (i)	प्रायोजित परियोजनाएँ समाप्त/चल रही परियोजनाएँ।	(क) 30 लाख से ऊपर के अनुदान की जुटाई गई धनराशि वाली बड़ी परियोजनाएँ।	5.0 लाख से ऊपर के अनुदान की जुटाई गई धनराशि वाली बड़ी परियोजनाएँ।	20 प्रति परियोजना

		(ख) 5.0 लाख से 30 लाख रूपए तक के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाएँ।	न्यूनतम 5.0 लाख से 30 लाख रूपए तक के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाएँ।	15 प्रति योजनाएँ
		(ग) लघु परियोजनाएँ (50 हजार से 5 लाख रूपए तक जुटाये गए अनुदान वाली परियोजनाएँ)	लघु परियोजनाएँ (25 हजार से 3 लाख रूपए तक जुटाये गए अनुदान की धनराशि)	10 प्रति योजनाएँ
III.(ग). (ii)	**परामर्शदात्री परियोजनाएँ**	न्यूनतम 10.0 लाख रूपए की जुटाई गई धनराशि	न्यूनतम 2.0 लाख रूपए की जुटाई गई धनराशि	क्रमशः प्रत्येक 10 लाख पर 10 तथा 2.00 लाख पर 10
III.(ग). (iii)	पूर्ण की गई परियोजनाएँ: गुणवत्ता मूल्याँकन	पूर्ण की गई परियोजनाओं की रिपोर्ट (वित्तपोषण करने वाली एजेंसी द्वारा स्वीकार्यता)	पूर्ण की गई परियोजनाओं की रिपोर्ट (वित्तपोषण करने वाली एजेंसी द्वारा स्वीकार्यता)	20 प्रति बड़ी परियोजना तथा 10 प्रति लघु परियोजना
III.(ग). (iv)	परियोजनाएँ निष्कर्ष / परिणाम	पेटेंट / प्रौद्योगिकी हस्ताँतरण / उत्पाद / प्रक्रिया	केन्द्र तथा राज्य स्तर पर सरकारी निकायों के बृहद् नीतिगत दस्तावेज	प्रत्येक राष्ट्रीय परिणाम या पेटेंट पर 30 या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रति 50
III.(घ). (ii)	**अनुसंधान मार्गदर्शन**			
III.(घ). (i)	एम0फिल0	केवल डिग्री प्रदान की गई	केवल डिग्री प्रदान की गई	3 प्रति अभ्यर्थी
III.(घ). (ii)	पीएच0डी0	केवल डिग्री प्रदान की गई	केवल डिग्री प्रदान की गई	10प्रति अभ्यर्थी
		शोध प्रबंध जमा किया गया	शोध प्रबंध जमा किया गया	7 प्रति अभ्यर्थी

III.(ड़)	**प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा सम्मेलन/संगोष्ठि/कार्यशाला पत्र।**			
III.(ड़). (ii)	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, पद्धति कार्यशाला, प्रशिक्षण, शिक्षण–विज्ञता कार्यक्रम, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, प्रोग्राम, संकाय विकास कार्यक्रम (अधिकतम 30 प्वाईंट)	(क) दो सप्ताहों से कम की अवधि न हो ।	(क) दो सप्ताहों से कम की अवधि न हो ।	प्रत्येक पर 20
		(ख) एक सप्ताह की अवधिं	(ख) एक सप्ताह की अवधिं	प्रत्येक पर 10
III.(ड़). (iii)	सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि में पत्र** ।	अनुसंधान पत्रों (मौखिक/निम्नलिखित में पोस्टर) में भाग लेना तथा प्रस्तुतिकरणँ	अनुसंधान पत्रों (मौखिक/निम्नलिखित में पोस्टर) में भाग लेना तथा प्रस्तुतिकरणँ	
		(क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	(क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	प्रत्येक पर 10
		(ख) राष्ट्रीय	(ख) राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 7.5
		(ग) क्षेत्रीय/राज्य स्तर	(ग) क्षेत्रीय/राज्य स्तर	प्रत्येक पर 5
		(घ) स्थानीय विश्वविद्यालय/कालेज स्तर	(घ) स्थानीय विश्वविद्यालय/कालेज स्तर	प्रत्येक पर 3
III.(ड़). (iv)	सम्मेलनों/संगोष्ठियों हेतु लेक्चरों पर प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित	(क) अंतर्राष्ट्रीय	(क) अंतर्राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 10
		(ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर	(ख) राष्ट्रीय स्तर	5

ड़	सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि में पत्र।	अनुसंधान पत्रों (मौखिक/निम्नलिखित में पोस्टर) में भाग लेना तथा प्रस्तुतिकरणँ	अनुसंधान पत्रों (मौखिक/निम्नलिखित में पोस्टर) में भाग लेना तथा प्रस्तुतिकरणँ	
		(क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	(क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	प्रत्येक पर 10
		(ख) राष्ट्रीय	(ख) राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 7.5
		(ग) क्षेत्रीय/राज्य स्तर	(ग) क्षेत्रीय/राज्य स्तर	प्रत्येक पर 5
		(घ) स्थानीय विश्वविद्यालय/कालेज स्तर	(घ) स्थानीय विश्वविद्यालय/कालेज स्तर	प्रत्येक पर 10
(ड़)5	सम्मेलनों/संगोष्ठियों हेतु लेक्चरों पर प्रस्तुतिकरण के आमंत्रित	(क) अंतर्राष्ट्रीय	(क) अंतर्राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 10
		(ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर	(ख) राष्ट्रीय स्तर	5

*जहाँ कहीं भी विशिष्ट संकाय के प्रति संगत हो, संदर्भित पत्रिकाओं में पत्र हेतु ए0पी0आई0 अंक को निम्नानुसार बढ़ाया जायेगा (i) इन्डेक्सड जनरल–5 अंक से (ii) 1 तथा 2 के बीच "इम्पेक्ट फैक्टर" वाले पत्र को 25 अंकों द्वारा (iii) 2 से 5 के बीच

"इम्पेक्ट फैक्टर" वाले पत्र के लिए 15 अंकों द्वारा (iv) 5 से 10 के बीच "इम्पेक्ट फैक्टर" वाले पत्र के 25 अंकों से ।

**यदि किसी पत्र को किसी सम्मेलन/संगोष्ठी में रखा गया हो तथा कार्यवाही के रूप में प्रकाशित किया गया हो, तो अंक प्रकाशन के लिए जमा हो जायेंगे (III (क)) न की प्रस्तुतिकरण के लिए जमा होंगे (III ड़ (iii))

नोट करें :

1. इन विनियमों में प्रस्तावित है कि समन्वय समिति तथा विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक होगा कि वह छह माह के भीतर श्रेणी–III क तथा ख के तहत जरनलों, परीरियाडिकल्स तथा प्रकाशनों की विषय–वार सूची तैयार करे तथा उसे प्रकाशित करे। उस समय तक, स्क्रीनिंग/चयन समिति प्रकाशनों के श्रेणीकरण तथा अंकों का मूल्याँकन तथा सत्यापन करेंगी।

2. संयुक्त प्रकाशनों हेतु ए0पी0आई0 का निम्नलिखित पद्धति से परिकलन करना होगाः संबंधित शिक्षक द्वारा संगत श्रेणी के प्रकाशन के कुल अंक से प्रथम/मूल लेखक तथा उसके समकक्ष शिक्षक के लेखक/पर्यवेक्षक/सलाहकार कुल अंकों के 60 प्रतिशत को समान रूप से बाँट लेंगे तथा शेष 40 प्रतिशत सभी अन्य लेखकों द्वारा बराबर बाँटे जायेंगे ।

परिशिष्ट III– तालिका–II (क)

विश्वविद्यालय के विभागों में वृत्ति–उन्नति योजना (सीएएस) के तहत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए लागू किए जाने वाले परिशिष्ट III– तालिका–I में दिया गया न्यूनतम एपीआईएस तथा विशेषज्ञ मूल्याँकन हेतु अंक ।

		सहायक प्रोफेसर/समवर्ती संवर्ग (स्टेज 1 से स्टेज 2)	सहायक प्रोफेसर/समवर्ती संवर्ग (स्टेज 2 से 3 तक)	सहायक–प्रोफेसर (स्टेज 3) से सहायक प्रोफेसर/समवर्ती संवर्ग (स्टेज 4)	सह–प्रोफेसर (स्टेज 4) से प्रोफेसर/समवर्ती संवर्ग (स्टेज 5)	प्रोफेसर (स्टेज 5) से प्रोफेसर(स्टेज 6)
I	शिक्षक–विज्ञता मूल्याँकन संबंधी क्रियाकलाप (श्रेणी–एक)	75 प्रति वर्ष	75 प्रति वर्ष	75 प्रति वर्ष	75 प्रति वर्ष	75 प्रति वर्ष
II	सह–पाठ्येतर विस्तार तथा व्यावसायिक संबंधी क्रियाकलाप (श्रेणी–दो)	15 प्रति वर्ष	15 प्रति वर्ष	15 प्रति वर्ष	15 प्रति वर्ष	15 प्रति वर्ष
III	श्रेणी–एक और श्रेणी–दो के तहत न्यूनतम कुल औसत वार्षिक अंक	100 प्रति वर्ष	100 प्रति वर्ष	100 प्रति वर्ष	100 प्रति वर्ष	100 प्रति वर्ष
IV	अनुसंधान और अकादमिक योगदान (श्रेणी–तीन)	10 प्रति वर्ष (40 प्रति निर्धारण अवधि)	20 प्रति वर्ष (100 प्रति निर्धारण अवधि)	30 प्रति वर्ष (90 प्रति निर्धारण अवधि)	40 प्रति वर्ष (120 प्रति निर्धारण अवधि)	50 प्रति वर्ष (500 प्रति निर्धारण अवधि)

	विशेष निर्धारण प्रणाली	स्क्रीनिंग समिति	स्क्रीनिंग समिति	चयन समिति	चयन समिति	विशेषज्ञ समिति
V	विशेष निर्धारण में वेटेज अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल वेटेज अंक=100) । पदोन्नति के लिए कम से कम 50 अंक की आवश्यकता है।	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	अनुसंधान में 30 प्रतिशत योगदान। डोमेन ज्ञान का निर्धारण तथा शिक्षण पद्धतियाँ – 50 प्रतिशत साक्षात्कार निष्पादन – 20 प्रतिशत	अनुसंधान में 50 प्रतिशत योगदान। डोमेन ज्ञान तथा शिक्षण पद्धतियाँ – 30 प्रतिशत साक्षात्कार निष्पादन – 20 प्रतिशत	अनुसंधान 50 प्रतिशत। निष्पादन मूल्याँकन तथा संदर्भ प्रक्रिया द्वारा प्रत्यय पत्रों का निष्पादन मूल्याँकन – 50 प्रतिशत

*शिक्षक प्रत्येक श्रेणी I या श्रेणी II से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं जिससे वे श्रेणी I+II के तहत न्यूनतम अंक प्राप्त कर सकें ।

नोटः उन विश्वविद्यालयों के लिए जहाँ छठा पीआरसी लागू है (परिशिष्ट 2 को देखें) वहाँ 6000, 7000,8000,9000,10,000 तथा 12000 रुपए की समवर्ती एपीजी की क्रमशः 1,2,3,4,5 और 6 स्टेज हैं ।

परिशिष्ट III– तालिका–II (ख)

वृत्ति–उन्नति योजना (सी0ए0एस0) के तहत कालेजों (स्नातक–पूर्व तथा स्नातकोत्तर) में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए लागू किए जाने वाले विशेषज्ञ निर्धारण हेतु अंक तथा तालिका 1 में दिए एपीआईएस के न्यूनतम अंक मानदंड ।

		सहायक–प्रोफेसर / समवर्ती संवर्ग (स्टेज 1 से स्टेज 2)	सहायक–प्रोफेसर / समवर्ती संवर्ग (स्टेज 2 से 3 तक)	सहायक–प्रोफेसर(स्टेज 3) से सहायक–प्रोफेसर / समवर्ती संवर्ग (स्टेज 4)	समुनदेशित पदों के अनुसार कालेजों में (स्टेज 5) सह–प्रोफेसरसे प्रोफेसरके पद पद पर पदोन्नति
I	शिक्षक–विज्ञता मूल्याँकन संबंधी क्रियाकलाप (श्रेणी–एक)	75 प्रति वर्ष	75 प्रति वर्ष	75 प्रति वर्ष	75 प्रति वर्ष
II	सह–पाठ्येतर विस्तार तथा व्यावसायिक संबंधी क्रियाकलाप (श्रेणी–दो)	15 प्रति वर्ष	15 प्रति वर्ष	15 प्रति वर्ष	15 प्रति वर्ष
III	श्रेणी–एक और श्रेणी–दो के तहत न्यूनतम कुल औसत वार्षिक अंक	100 प्रति वर्ष	100 प्रति वर्ष	100 प्रति वर्ष	100 प्रति वर्ष
IV	अनुसंधान और अकादमिक योगदान (श्रेणी–तीन)	5 प्रति वर्ष (20 प्रति निर्धारण अवधि)	10 प्रति वर्ष (50 प्रति निर्धारण अवधि)	15 प्रति वर्ष (45 प्रति निर्धारण अवधि)	20 प्रति वर्ष (60 प्रति निर्धारण अवधि)
	विशेष निर्धारण प्रणाली	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति
V	विशेष निर्धारण में वेटेज अंकों	अलग से कोई अंक नहीं। स्क्रीनिंग	अलग से कोई अंक नहीं। स्क्रीनिंग	अनुसंधान में 20 प्रतिशत योगदान।	अनुसंधान में योगदान–30

	का प्रतिशत वितरण (कुल वेटेज अंक=100) । पदोन्नति के लिए कम से कम 50 अंक की आवश्यकता है।	समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	डोमेन ज्ञान तथा शिक्षण पद्धतियों का निर्धारण – 60 प्रतिशत साक्षात्कार निष्पादन – 20 प्रतिशत	प्रतिशत । डोमेन ज्ञान तथा शिक्षण पद्धतियाँ – 50 प्रतिशत साक्षात्कार निष्पादन – 20 प्रतिशत

*शिक्षक प्रत्येक श्रेणी I या श्रेणी II से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं जिससे वे श्रेणी I+II के तहत न्यूनतम अंक प्राप्त कर सकें ।

नोटः उन विश्वविद्यालयों के लिए जहाँ छठा पी0आर0सी0 लागू है (परिशिष्ट 2 को देखें) वहाँ 6000, 7000, 8000, 9000 तथा 10,000 रुपए की समवर्ती एपीजी की क्रमशः 1,2,3,4 और 5 स्टेज हैं ।

तालिका दो (क) तथा दो (ख) के लिए व्याख्यात्मक टिप्पण

1. सभी विश्वविद्यालय/कॉलेज इन तालिकाओं में ए0पी0आई0 से संबंधित अपेक्षित सूचना के लिए सत्यापन योग्य प्रणाली, इन विनियमों के अधिसूचित होने से तीन माह के भीतर स्थापित करेंगे । इनका विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के आँतरिक गुणवत्ता मूल्याँकन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) द्वारा वार्षिक रूप से दस्तावेजीकरण, तथा परितुलन करना होगा ताकि विश्वविद्यालय/कॉलेज प्राधिकरण अनुवर्ती कार्यवाही करें । इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, सभी शिक्षक वार्षिक रूप से आईक्यूएसी को एक विधिवत रूप से भरा हुआ निष्पादन आधारित मूल्याँकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) प्रस्तुत करेंगे ।

2. तथापि, पूर्व की सूचना को एकत्रित करने में समस्या का समाधान करने हेतु तथा सी0ए0एस0 प्रोन्नति में 31.12.08 को इन विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0एस0 को भविष्य में समाप्त कर दिया जाएगा ।

3. तदनुसार, प्रारंभ में विश्वविद्यालय/कॉलेजों में मौजूदा प्रणाली के तहत तालिका दो(क) तथा दो(ख) और पंक्ति एक से तीन में यथा दर्शाए गए औसत न्यूनतम प्राप्ताँक के साथ इन तालिकाओं में उल्लिखित श्रेणी 1 तथा 2 के ए0पी0आई0 प्राप्ताँकों के आधार पर पी0बी0ए0एस0 एक वर्ष के लिए लागू की जाएगी । वार्षिक रूप से निकाले गए ए0पी0आई0 प्राप्ताँकों को तत्पश्चात जोड़ते रहा जाएगा जैसे ही शिक्षक अगले संवर्ग में सी0ए0एस0के लिए योग्य हो जाता है । इसलिए, यदि किसी शिक्षक पर वर्ष 2010 में सी0ए0एस0पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो केवल 2009–10 के ए0पी0आई0 प्राप्ताँक ही मूल्याँकन के लिए अपेक्षित होंगे । यदि शिक्षक को वर्ष 2011 में सी0ए0एस0पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, इन श्रेणियों के लिए दो वर्ष की औसत की ही मूल्याँकन हेतु आवश्यकता होगी इसी प्रकार उत्तरोत्तर संपूर्ण मूल्याँकन अवधि पूर्ण की जाएगी ।

4. जैसा कि तालिका दो में दर्शाया गया है, प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम विहित प्राप्ताँकों के अध्यधीन अपेक्षित न्यूनतम ए0पी0आई0 प्राप्ताँक के कुल (जिसे पंक्ति तीन में दिया गया है) को दो विस्तृत श्रेणियों से जोड़ा जा सकता है । यह उन शिक्षकों को उचित महत्व (अंक) प्रदान करेगा जो कि श्रेणी एक तथा दो में दिए गए किसी घटक के माध्यम से

अतिरिक्त योगदान करते हैं साथ ही विभिन्न संस्थागत ढाँचे में पृथक प्रकृति के लिए संभव योगदान भी करते हैं ।

5. श्रेणी तीन के लिए (अनुसंधान तथा अकादमिक योगदान), शिक्षकों द्वारा पिछले रिकार्ड का रख–रखाव सामान्य आधार पर किया जाता है इसलिए संपूर्ण मूल्याँकन अवधि के लिए इस श्रेणी हेतु ए0पी0आई0 प्राप्ताँक को लागू करने में किसी समस्या की परिकल्पना नहीं की गई है । इस श्रेणी में, प्रत्येक स्टेज में पदोन्नति के लिए कुल न्यूनतम प्राप्ताँक अपेक्षित होता है । वैकल्पिक रूप से किसी शिक्षक को पिछले दो स्टेजों को एक साथ मिलाकर न्यूनतम कुल प्राप्ताँक प्राप्त करने होंगे । प्रोफेसरके स्तर पर पदोन्नति के गागले में, प्रकाशन की अपेक्षाएँ पिछले दो स्टेजों में पूरी की जाएँगी ।

6. अभ्यर्थियों, यदि तालिका–एक और दो में दर्शाए गए न्यूनतम ए0पी0आई0 प्राप्ताँकों को पूरा करते हैं, तो उन्हें पदोन्नति के लिए मूल्याँकन एक आवेदन की अपेक्षित प्रोफार्मा में स्वयं पेशकश करनी चाहिए । यदि वे अपने आपको अर्हक मानते हैं तो अंतिम तिथि से तीन माह पूर्व वे ऐसा कर सकते हैं । जो अभ्यर्थी अपने आपको पात्र नहीं समझते हैं वे भी बाद में आवेदन कर राकते हैं ।

7. तथापि, अंतिम मूल्याँकन पर, तालिका दो (क) तथा (ख) की पंक्ति तीन और चार के तहत न्यूनतम मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, तो उनका पुनर्मूल्याँकन एक वर्ष की अवधि के बाद ही किया जाएगा ।

8. (क) यदि अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हक अवधि के पूरा होने पर पदोन्नति के लिए आवेदन करता है तथा सफल होता है तो पदोन्नति की तिथि अर्हता की न्यूनतम अवधि मानी जाएगी ।

(ख) तथापि, यदि अभ्यर्थी यह पाता है कि वह बाद की तिथि में अर्हता की शर्तें पूरा करता है तथा उस तिथि को आवेदन करता है और सफल होता है तो उसकी पदोन्नति आवेदन की तिथि से मानी जाएगी ।

(ग) यदि अभ्यथी प्रथम मूल्याँकन में सफल नहीं होता है परंतु बाद के मूल्याँकन में सफल होता है तो उसकी पदोन्नति बाद की तिथि से मानी जाएगी ।

परिशिष्ट III– तालिका–II (ग)

विश्वविद्यालय/कालेजों में विश्वविद्यालयों/कालेजों/पुस्तकालयध्यक्षों/शारीरिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए एपीआई अंक हेतु न्यूनतम प्राप्तांक तथा विनियम में विनिर्धारित विशिष्ट पात्रता योग्यताओं के साथ–साथ चयन समिति द्वारा वेटेज दिए जाने वाले बिन्दु।

	सहायक–प्रोफेसर/समवर्ती संवर्ग (स्टेज 1)	**सहायक–प्रोफेसर/समवर्ती संवर्ग (स्टेज 4)**	**सहायक–प्रोफेसर/समवर्ती संवर्ग (स्टेज 5)**
न्यूनतम एपीआई अंक	इन विनियमों में विनिर्धारित न्यूनतम अर्हता	एपीआई की श्रेणी III से 300 अंकों की समेकित एपीआई अंक अपेक्षाँ	एपीआई की श्रेणी III से 400 अंकों की समेकित एपीआई अंक अपेक्षाँ
चयन समिति मानदंड/ वेटेज (कुल वेटेज = 100)	(क) अकादमिक रिकार्ड तथा अनुसंधान निष्पादन (50 प्रतिशत) (ख) डोमेन ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का निर्धारण (30 प्रतिशत) (क) साक्षात्कार निष्पादन (20 प्रतिशत)	(क) अकादमिक पृष्ठभूमि (20 प्रतिशत) (ख) एपीआई अंक तथा प्रकाशन की गुणवत्ता के आधार पर अनुसंधान निष्पादन (40 प्रतिशत) (ख) डोमेन ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का निर्धारण (20 प्रतिशत) (क) साक्षात्कार निष्पादन (20 प्रतिशत)	(क) अकादमिक पृष्ठभूमि (20 प्रतिशत) (ख) एपीआई अंक तथा प्रकाशन की गुणवत्ता के आधार पर अनुसंधान निष्पादन (40 प्रतिशत) (ख) डोमेन ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का निर्धारण (20 प्रतिशत) (क) साक्षात्कार निष्पादन (20 प्रतिशत)

नोटः उन विश्वविद्यालयों/कालेजों में जहाँ छठा पीआरसी (देखें परिशिष्ट 2) लागू है, स्टेज 1, 4 तथा 5 के लिए क्रमशः ए0जी0पी0 के 6000, 9000 तथा 10000 रुपए का वेतनमान है ।

परिशिष्ट–।।। तालिका–3

विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम अकादमिक निष्पादन तथा सेवा अपेक्षाएँ

क्रम सं0	सीएएस के माध्यम से शिक्षकों की पदोन्नति	सेवा अपेक्षा	अपेक्षित न्यूनतम अकादमिक निष्पादन तथा छानबीन/चयन मानदंड
1.	सहायक प्रोफेसर/समकक्ष संवर्ग स्टेज 1 से 2	स्टेज 1 में सहायक प्रोफेसरतथा पीएच0डी0 के साथ चार वर्ष की सेवा पूर्ण की हो **अथवा** एलएलएम, एमटेक, एमवीएससी, एमडी जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों में एम0फिल0/स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पाँच वर्ष की सेवा **अथवा** पेशेवर पाठ्यक्रमों में पीएच0डी0, एम0फिल0/स्नातकोत्तर डिग्री के बिना छह वर्ष की सेवा ।	(i) परिशिष्ट–तीन की तालिका दो(क) दो(ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी0बी0ए0एस0 अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए0पी0आई0 अंक। (ii) 2/3 सप्ताह की अवधि का एक पुनश्चर्या तथा एक अभिविन्यास/अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम । (iii) पदोन्नति की सिफारिश के लिए छानबीन सह सत्यापन प्रक्रियाँ
2.	सहायक प्रोफेसर/समकक्ष संवर्ग स्टेज 1 से 2 तक	रहायक प्रोफेसरजिसने स्टेज 2 में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।	(i) परिशिष्ट–तीन की तालिका दो(क) दो(ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी0बी0ए0एस0 अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए0पी0आई0 अंक। (ii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, पद्धति, कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण, शिक्षण–विज्ञता–मूल्याँकन प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम श्रेणी से एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम तथा 2/3 सप्ताह अवधि का एक संकाय विकास कार्यक्रम । (iii) पदोन्नति की सिफारिश के लिए छानबीन सह सत्यापन प्रक्रियाँ

3.	सहायक प्रोफेसर(स्टेज 3) से सह प्रोफेसर(स्टेज 4)	सहायक प्रोफेसरजिनकी स्टेज 3 में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई हो ।	(i) परिशिष्ट–तीन की तालिका दो(क) दो(ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी0बी0ए0एस0 अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए0पी0आई0 अंक। (ii) सहायक प्रोफेसर(बारह वर्ष) के रूप में संपूर्ण अवधि में कम से कम तीन प्रकाशन। तथापि, कॉलेज शिक्षकों के मामले में एम फिल डिग्री धारकों को एक प्रकाशन की छूट दी जाएगी तथा पीएच0डी0 धारकों को दो प्रकाशनों की छूट दी जाएगी । (iii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, पद्धति कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण, शिक्षण–विज्ञता–मूल्यॉकन प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की श्रेणी से एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम तथा कम से कम एक सप्ताह की अवधि का संकाय विकास कार्यक्रम । (iv) परिशिष्ट तीन की तालिका दो(क) तथा दो(ख) तथा इस विनियम में यथा अनुबंधित चयन समिति प्रक्रियाँ
4.	सह–प्रोफेसर(स्टेज 4) प्रोफेसर/समकक्ष संवर्ग (स्टेज 5)	सह प्रोफेसरजिनकी स्टेज 4 में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई हो ।	(i) परिशिष्ट तीन की तालिका दो(क)/दो(ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएस अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम वार्षिक/संचयी ए0पी0आई0 अंक । शिक्षक, आवश्यकता होने पर, दो निर्धारण अवधियों को जोड़ सकता है (स्टेज 2 तथा 3 में) (ii) शिक्षक को स्टेज 3 में रखे जाने से लेकर अवधि से न्यूनतम पाँच प्रकाशन । (iii) परिशिष्ट तीन की तालिका दो(क) तथा दो(ख) तथा इस विनियम में यथा अनुबंधित चयन समिति प्रक्रियाँ
5.	प्रोफेसर(स्टेज 5) से प्रोफेसर(स्टेज 6)	प्रोफेसर जिसकी 10 वर्षों की सेवा पूर्ण हो गई हो (केवल विश्वविद्यालयों में)	(i) परिशिष्ट तीन की तालिका दो(क) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार निर्धारण अवधि के लिए न्यूनतम वार्षिक/संचयी ए0पी0आई0 अंक । (ii) अतिरिक्त प्रत्ययों को निम्नलिखित के साथ निम्नलिखित साक्ष्य देने होंगे--(क) उच्च स्तर के वाचस्पति उपरांत अनुसंधान कार्य , (ख) पुरस्कार/सम्मान/पहचान/उत्पादों पर तथा विकसित प्रक्रियाओं पर पेटेंट तथा

			आईपीआर/प्राप्त प्रौद्योगिकी हस्ताँतरण; तथा (ग) अतिरिक्त अनुसंधान डिग्री जैसे डीएससी, डीलिट, एलएलबी आदि (iii) परिशिष्ट तीन की तालिका दो (क), दो (ख) में तथा इस विनियम में यथा अनुबंधित विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा प्रक्रियाँ

सी0ए0एस0 के तहत शिक्षक से सहायक प्रोफेसरकी पदोन्नति चाहने वाले शिक्षकों को, जो कि इस आशोधन की तिथि पर स्टेज 2 में सहायक प्रोफेसरहैं, उनके लिए प्रकाशनों की अपेक्षाओं को यथा अनुपाततः रूप से समायोजित किया जा सकता है । अन्य सभी जो इस अधिसूचना के उपराँत स्टेज 2 में प्रवेश कर चुके हैं, उन पर इन विनियमों में परिभाषित, तीन प्रकाशनों की अपेक्षाएँ लागू होंगी ।

नोटः उन विश्वविद्यलय/कॉलेज जिनके लिए छठे पीआरसी अवार्ड लागू हैं (परिशिष्ट 2 देखे), स्टेट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ए0जी0पी0 के वेतनमान क्रमशः 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 तथा 12000 रुपये हैं ।

परिशिष्ट–तीन, तालिका–4

अकादमिक निष्पादन सूचक (ए0पी0आई0) तथा शारीरिक शिक्षा के विश्वविद्यालय निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/शारीरिक शिक्षा के कॉलेज निदेशक की वृत्ति उन्नति योजना (सी0ए0एस0) पदोन्नति के लिए निष्पादन आधारित मूल्य–निरूपण प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) अपनाने के लिए वि.अ.आ. द्वारा विकसित प्रस्तावित अंक

श्रेणी– I: शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशिक्षण, खिलाड़ियों के विकास तथा खेल–कूद प्रबंधन क्रियाकलाप

क्रम सं0	गतिविधि का स्वरूप	अधिकतम अंक
1.	छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा कार्यक्रम (शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा में आयोजना, तथा नीतियों का निष्पादन तथा मूल्याँकन (20 प्वाइंट) व्याख्यान–सह–अभ्यास आधारित खेल कूद/क्रीड़ा कक्षाएँ, आबंटित घँटों के प्रतिशत के रूप में की गई संगोष्ठियाँ (20 प्वाइंट)	40
2.	संस्थाओं तथा संगठनों के अवकाश दिवसों पर सेवाएँ, खेलकूद सुविधाएँ तथा प्रशिक्षण प्रदान करना ।	10
3.	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर/अंतर–विश्वविद्यालय/ अंतर–अंचलीय स्तर पर क्रीड़ा तथा खेलकूद स्पर्धाओं का आयोजन करना । (25 प्वाइंट) अनुशिक्षण कैम्प/खिलाड़ी विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना (15 प्वाइंट)	40
4.	शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय ज्ञान का उन्नयन करना (5 प्वाइंट) छात्रों में खिलाड़ी प्रतिभा की पहचान करना तथा छात्रों में खेलकूद में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना । (10 प्वाइंट)	20
5.	खेलकूद के मैदानो का विकास और रख–रखाव, अन्य क्रीड़ा सुविधाओं की खरीद तथा अनुरक्षण	15
	कुल अंक	**125**
	अपेक्षित न्यूनतम ए0पी0आई0 अंक	**75**

श्रेणी 2: सह–पाठ्येत्तर, विस्तार तथा पेशेवर विकास संबंधी क्रियाकलाप

क्रम सं0	गतिविधि का स्वरूप	अधिकतम अंक
1.	छात्र से संबंधित सह–पाठ्येत्तर, विस्तार तथा क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप (जैसे साँस्कृतिक आदान–प्रदान तथा खेलकूद कार्यक्रम (बहिर्विश्वविद्यालयी तथा भित्यंनस्थ कार्यक्रम): एन0एस0एस0/एन0सी0सी तथा अन्य चैनलों के माध्यम से विस्तार कार्य	20
2.	खेलकूद इकाईयों तथा संस्थानों के कॉरपोरेट जीवन तथा प्रबंधन में खेलकूद में भागीदारी तथा प्रशासनिक समितियों और उत्तरदायित्वों के माध्यम से योगदान	15
3.	पेशेवर विकास क्रियाकलाप (जेसे संगोष्ठियों, सम्मेलनों, अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो, कैम्पस तथा आयोजन, चर्चा, लेक्चर, संघ की सदस्यता, प्रसारण तथा सामान्य लेख, जो की नीचे श्रेणी तीन में शामिल न हो)	15
	अपेक्षित न्यूनतम ए0पी0आई0 अंक	**15**

श्रेणी 3 : अनुसंधान तथा अकादमिक योगदान

क्रम सं0	ए0पी0आई0	शारीरिक शिक्षा संकाय	विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षक के पद के लिए अधिकतम अंक
		संदर्भित जरनल*	15 प्रति प्रकाशन
तीन(क)	अनुसंधान प्रकाशन (जरनल)	आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. नंबर वाले गैर संदर्भित परंतु मान्यताप्राप्त तथा जाने माने जनरल तथा पत्रिकाएँ	10 प्रति प्रकाशन
		सम्मेलन कार्यवाहियाँ आदि में पूर्ण पत्र (सार सम्मिलित नहीं किए जाएँगे)*	10 प्रति प्रकाशन
तीन (ख)	अनुसंधान प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय,	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें **	50 प्रति एकमात्र लेखक संपादित पुस्तक में 10 प्रति अध्याय

	संदर्भित से अलग)	राष्ट्रीय/केन्द्र/राज्य सरकारों/सोसायटियों द्वारा प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें **	25 प्रति एकमात्र लेखक संपादित पुस्तक में 5 प्रति अध्याय
		आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. संख्या वाली अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषय पर पुस्तकें **	15 प्रति एकमात्र लेखक संपादित पुस्तक में 3 प्रति अध्याय
		राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय डायरेक्टरी के नम्बर सहित आईएसबीएन/आईएसएसएन नंबर के साथ भारतीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशक द्वारा ज्ञान आधारित खण्डों में अध्याय **	5 प्रति अध्याय

*संयुक्त अनुसंधान पत्रों के लिए, प्रथम/मूल लेखक 60 प्रतिशत को बाटेगें जबकि अन्य लेखक ए0पी0आई0 अंक के 40 प्रतिशत को बाटेगें ।

**अंक (50/25/10/03 जैसी भी मामला हो), सभी लेखकों द्वारा बराबर बॉटा जाएगा ।

तीन (ग)	**अनुसंधान परियोजना**		
तीन (ग) (एक)	पूर्ण किए गए/चालू प्रायोजित परियोजनाएँ	मुख्य परियोजनाएँ/ आयोजन 5.0 लाख से अधिक के अनुदान से जुटाई गई धनराशि	20 प्रति परियोजना
		मुख्य परियोजना/आयोजन कम से कम 4.0 लाख से 5.0 लाख रुपये तक की जुटाई गई धनराशि	15 प्रति मुख्य परियोजना
		लघु परियोजनाएँ 4.00 लाख रुपये से कम अनुदान के साथ केन्द/राज्य द्वारा वित्तपोषित ऐजेन्सियाँ	10 प्रति लघु परियोजना
तीन (ग) (दो)	पूर्ण की गई/चालू परामर्शदात्री परियोजनाएँ	कम से कम 1.00 लाख रुपये की जुटाई गई धनराशि	10 प्रति प्रत्येक 5 लाख रुपये 2 प्रति प्रत्येक 1 लाख रूपये

तीन (ग) (तीन)	पूर्ण की गई परियोजनाएँ: गुणवत्ता मूल्याँकन	पूर्ण की गई परियोजना रिपोर्ट (वित्तपोषण एजेन्सी द्वारा स्वीकृत)	20 प्रति प्रत्येक वृहद परियोजना तथा 10 प्रति प्रत्येक लघु परियोजना
तीन (ग) (चार)	परियोजनाएँ निष्कर्ष / परिणाम	केन्द्र तथा राज्य स्तर पर सरकारी निकायों के नीतिगत दस्तावेज	राष्ट्रीय पेटेंट आदि के लिए 30 प्रति प्रत्येक निष्कर्ष या परिणाम तथा प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंटो के लिए 50
तीन (घ)	**अनुसंधान मार्गदर्शन**		
तीन (घ) (एक)	एम0फिल0	केवल डिग्री प्रदान किया जाना	3 प्रत्येक अभ्यर्थी
तीन (घ) (दो)	पीएच0डी0	डिग्री प्रदान किया जाना	10 प्रत्येक अभ्यर्थी
		शोध प्रबंध जमा किया जाना	7 प्रत्येक अभ्यर्थी
तीन (ड़)	**प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा सम्मेलन / संगोष्ठि / कार्यशाला पत्र**		
तीन (ड़) (एक)	अनुसंधान / पद्धति / प्रशिक्षण / अनुशिक्षण कार्यशालाएँ	अनुसंधान / पद्धति / प्रशिक्षण / अनुशिक्षण कार्यक्रम (तीन सप्ताह से कम नहीं) / कार्यशाला जिसकी अवधि एक सप्ताह से कम न हो)	20
तीन (ड़) (दो)	सम्मेलनों / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं आदि में पत्र	निम्नलिखित में अनुसंधान पत्र (मौखिक / पोस्टर) में भागीदारी तथा प्रस्तुतिकरण :	
		क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	प्रत्येक पर 10
		ख) राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 7.5
		ग) क्षेत्रीय / राज्य स्तर	प्रत्येक पर 5
		घ) स्थानीय –विश्वविद्यालय / कॉलेज स्तर	प्रत्येक पर 3
तीन (ड़) (चार)	व्याख्यान देने के लिए / सत्रों की अध्यक्षता करने के लिए सम्मेलनों / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / विचार गोष्ठियों हेतु निमंत्रण	क) अंतर्राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 10
		ख) राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 7.5
		ग) राज्य स्तरीय / क्षेत्रीय	प्रत्येक पर 5
		घ) विश्वविद्यालय / कॉलेज स्तर धर्मस्व व्याख्यान	प्रत्येक पर 5

परिशिष्ट –तीन, तालिका– 5 (क)

परिशिष्ट–तीन, तालिका चार में यथाउपबंधित ए0पी0आई0एस के न्यूनतम मानदंड जिन्हें शारीरिक शिक्षा के विश्वविद्यालय निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक को पदोन्नति हेतु वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) पर लागू किया जाना है तथा चयन समितियों में विशेषज्ञ द्वारा मूल्याँकन का वेटेज

	शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक (स्टेज 1 से 2) (वरिष्ठ वेतनमान)	शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक(वरिष्ठ वेतनमान) (स्टेज 2) से शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (चयन ग्रेड) (स्टेज 3)	शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (चयन वेतनमान) (स्टेज 3 से 4)	शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/ सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (चयन ग्रेड) (स्टेज 4) से शारीरिक शिक्षा निदेशक (स्टेज 5) (केवल विश्वविद्यालय)
एक. शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशिक्षण, खिलाड़ी विकास तथा खेलकूद प्रबंधन क्रियाकलाप (श्रेणी–एक)	प्रति वर्ष 75	प्रति वर्ष 75	प्रति वर्ष 75	प्रति वर्ष 75
दो. विस्तार तथा पेशेवर संबंधी क्रियाकलाप (श्रेणी–दो)	प्रति वर्ष 15	प्रति वर्ष 15	प्रति वर्ष 15	प्रति वर्ष 15
तीन. श्रेणी एक और श्रेणी दो* के तहत न्यूनतम कुल औसत ए0पी0आई0 वार्षिक अंक	प्रति वर्ष 100	प्रति वर्ष 100	प्रति वर्ष 100	प्रति वर्ष 100

चार. अनुसंधान तथा अकादमिक योगदान (श्रेणी–तीन)– न्यूनतम वार्षिक अपेक्षित अंक जिनका संचयी रूप से मूल्याँकन किया जाएगा ।	प्रति वर्ष 10 (40 प्रति मूल्याँकन अवधि)	प्रति वर्ष 20 100 प्रति मूल्याँकन अवधि)	प्रति वर्ष 30 (90 प्रति मूल्याँकन अवधि)	प्रति वर्ष 40 (120 प्रति मूल्याँकन अवधि)
विशेषज्ञ मूल्याँकन प्रणाली	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति
पाँच. विशेषज्ञ द्वारा मूल्याँकन में जिन प्वाइंटो का महत्व दिया जाएगा उनका प्रतिशत वितरण (कुल महत्व= 100 न्यूनतम अपेक्षित – 50	अलग से कोई प्वाइंट नहीं छानबीन समितियाँ ए0पी0आई0 प्राप्ताँकों की जाँच करेगी ।	अलग से कोई प्वाइंट नहीं छानबीन समितियाँ ए0पी0आई0 प्राप्ताँकों की जाँच करेगी ।	30 प्रतिशत – अनुसंधान मूल्याँकन 50 प्रतिशत– डोमेन ज्ञान का निर्धारण तथा खेलकूद कौशल 20 प्रतिशत– साक्षात्कार निष्पादन	50 प्रतिशत– अनुसंधान मूल्याँकन 30 प्रतिशत – डोमेन ज्ञान में योगदान का निर्धारण तथा विजन योजना के साथ संगठनात्मक ट्रेक रिकार्ड 20 प्रतिशत – साक्षात्कार निष्पादन

*श्रेणी एक + दो के तहत अपेक्षित न्यूनतम प्राप्ताँकों की प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी श्रेणी एक या दो से 10 अंक प्राप्त कर सकता है ।

नोटः जिन विश्वविद्यालय में छठा पीआरसी अवार्ड (परिशिष्ट दो देखें) लागू है । स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5 क्रमशः ए0जी0पी0 के 6000, 7000, 8000, 9000 तथा 10000 रुपये के वेतनमान के समकक्ष है ।

परिशिष्ट –तीन, तालिका– 5 (ख)

परिशिष्ट–तीन,'तालिका–चार' में यथा उपबंधित न्यूनतम ए0पी0आई0एस जिसे शारीरिक शिक्षा के कॉलेज निदेशक (वरिष्ठ वेतनमान)/शारीरिक शिक्षा के कॉलेज निदेशक (चयन ग्रेड) की पदोन्नति हेतु वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) पर लागू किया जाना है तथा चयन समितियों में विशेषज्ञ द्वारा मूल्याँकन का महत्व

क्रम सं0	मानदंड की श्रेणियाँ	प्रत्येक स्तर की मूल्याँकन अवधि के दौरान अपेक्षित न्यूनतम औसत, वार्षिक या संचयी ए0पी0आई0 अंक जिसका मूल्याँकन विशेषज्ञ निर्धारण हेतु महत्व के साथ निष्पादन आधारित मूल्याँकन प्रणाली पीबीएस के तहत किया गया ।		
एक.	शिक्षण विज्ञता मूल्याँकन संबंधी क्रियाकलाप (श्रेणी–1)	प्रति वर्ष 75	प्रति वर्ष 75	प्रति वर्ष 75
दो.	सह पाठ्येत्तर विस्तार तथा पेशेवर संबंधी क्रियाकलाप (श्रेणी–दो)	प्रति वर्ष 15	प्रति वर्ष 15	प्रति वर्ष 15
तीन.	श्रेणी एक और श्रेणी दो* के तहत न्यूनतम कुल औसत वार्षिक प्राप्ताँक	प्रति वर्ष 100	प्रति वर्ष 100	प्रति वर्ष 100
चार.	अनुसंधान तथा अकादमिक योगदान (श्रेणी–तीन)– न्यूनतम अपेक्षित वार्षिक प्राप्ताँक – जिनका संचयी रूप से मूल्याँकन किया जाएगा ।	प्रति वर्ष 5 (20 प्रति निर्धारण अवधि)	प्रति वर्ष 10 (50 प्रति निर्धारण अवधि)	प्रति वर्ष 15 (50 प्रति निर्धारण अवधि)

	विशेषज्ञ मूल्याँकन प्रणाली	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति
पाँच.	विशेषज्ञ मूल्याँकन में महत्वपूर्ण अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल महत्व=100। न्यूनतम अपेक्षित 50)	अलग से कोई प्वाइंट नहीं छानबीन समितियाँ ए0पी0आई0 प्राप्ताँकों का सत्यापन करेगी ।	अलग से कोई प्वाइंट नहीं छानबीन समितियाँ ए0पी0आई0 प्राप्ताँकों का सत्यापन करेगी ।	30 प्रतिशत– अनुसंधान मूल्याँकन 50 प्रतिशत – डोमेन ज्ञान का निर्धारण तथा खेलकूद में कौशल 20 प्रतिशत – साक्षात्कार निष्पादन

*श्रेणी एक + दो के तहत अपेक्षित न्यूनतम प्राप्ताँकों हेतु शिक्षक श्रेणी । या ।। से 10 अंक प्राप्त कर सकता है ।

नोटः जिन कालेजों में छठा पीआरसी अवार्ड (परिशिष्ट दो देखें) लागू है । स्टेज 1, 2, 3 और 4 क्रमशः ए0जी0पी0 के 6000, 7000, 8000 और 9000 रुपये के वेतनमान के समकक्ष है ।

44—249 GI/2010

परिशिष्ट – तीन, तालिका–5 (ग)

विश्वविद्यालय विभागों/कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा कर्मियों के प्रत्यक्ष भर्ती हेतु न्यूनतम ए0पी0आई0एस तथा अन्य मानदंड

(यू0जी0सी विनियमों में विनिर्धारित अन्य विशिष्ट अर्हता योग्यता के साथ विचार किया जाए)

श्रेणी की क्र0सं0	न्यूनतम मानदण्ड/मानक	शारीरिक षिक्षा के सहायक निदेशक/शारीरिक शिक्षा के महाविद्यालय निदेशक (प्रवेश स्तर–स्टेज 1)	विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के उपनिदेशक (स्टेज 4)	विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा निदेशक (स्टेज 5)
	ए0पी0आई0 प्राप्ताँक (अनुसंधान तथा अकादमिक योगदान श्रेणी--तीन)	––	300 अंकों की समेकित ए0पी0आई0 प्राप्ताँक संबंधी अपेक्षा	400 अंकों की समेकति ए0पी0आई0 प्राप्ताँक संबंधी अपेक्षा
	चयन समिति मानदण्ड महत्व (कुल महत्व –100)	घ) जीती गई चैंपियनशिप का ट्रेक रिकार्ड (30 प्रतिशत) ड़) खेलकूद तथा एथलेटिक कौशल (40 प्रतिशत) च) साक्षत्कार निष्पादन (30 प्रतिशत)	ज) अनुसंधान पत्र (3) मूल्याँकन 40 प्रतिशत झ) संगठनात्मक कौशल खेलकूद योजनाएँ 30 प्रतिशत) साक्षात्कार निष्पादनः 30 प्रतिशत	क) अनुसंधान पत्र (5) मूल्याँकन 50 प्रतिशत ख) संगठनात्मक ट्रेक विजन योजना (25 प्रतिशत) ग) साक्षत्कार निश्पादनः (25 प्रतिशत

नोटः वे विश्वविद्यालय/कॉलेज जहाँ छठा पीआरसी अवार्ड (परिशिष्ट दो देखें) लागू है । स्टेज 1, 4 और 5 क्रमशः यथा उपबंधित ए0जी0पी0 के 6000, 9000 तथा 10000 रुपये के वेतनमान के समकक्ष है ।

परिशिष्ट –तीन, तालिका– 6

विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा संवर्गों में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अकादमिक निष्पादन तथा सेवा अपेक्षाएँ

क्रम सं0	सीएएस के माध्यम से शारीरिक शिक्षा संवर्ग मे प्रोन्नति	सेवा अपेक्षा (एमएचआरडी) की अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्धारित	न्यूनतम अकादमिक निष्पादन अपेक्षाएँ तथा छानबीन/चयन मानदंड
1.	सहायक डी0पी0ई0/कॉलेज डी0पी0ई0 से सहायक डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान) (स्टेट 1 से 2)	सहायक डी0पी0ई0/कॉलेज डी0पी0ई0 जिसने स्टेज 1 में चार वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो साथ में पीएच0डी0 हो **अथवा** एमफिल के साथ 5 वर्ष की सेवा अथवा पीएच0डी0/एम0फिल0 के बिना छह वर्ष की सेवा	(चार) विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय डी0पी0ई0 संवर्ग हेतु परिशिष्ट तीन की तालिका पाँच (क) तथा कॉलेजों में संवर्ग हेतु परिशिष्ट तीन की तालिका पाँच (ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी0बी0ए0एस0 अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए0पी0आई0 अंक । (पाँच) 3/4 सप्ताह की अवधि का एक अभिविन्यास तथा एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम । (छह) पदोन्नति की सिफारिश करने हेतु छानबीन–सह–मूल्याँकन प्रक्रियाके लिए अलग से कोई साक्षात्कार अंक नहीं ।
2.	सहायक डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान) से उप डी0पी0ई0/सहायक. डी0पी0ई0 (चयन ग्रेड)/कॉलेज डी0पी0ई0 (चयन ग्रेड	सहायक डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान) कॉलेज डी0पी0ई0 (वरिष्ठ वेतनमान) जिसने स्टेज 2 में 5 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली ।	(चार) विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय डी0पी0ई0 संवर्ग हेतु परिशिष्ट तीन की तालिका पाँच (क) तथा कॉलेज में डी0पी0ई0 संवर्गों हेतु परिशिष्ट तीन की तालिका पाँच (ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी0बी0ए0एस0 अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए0पी0आई0 अंक ।

	(स्टेट 2 से 3)		(पाँच) साथ ही, निर्धारण अवधि के दौरान कम से कम 3–4 सप्ताह की अवधि के दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम किए गए हो । (छह) पदोन्नति की सिफारिश करने हेतु छानबीन सह मूल्याँकन प्रक्रियाके लिए अलग से कोई साक्षात्कार अंक नहीं ।
3	उप डी0पी0ई0 / सहायक डी0पी0ई0 (चयन ग्रेड) / कॉलेज डी0पी0ई0 (सहायक ग्रेड) से उप डी0पी0ई0 / सहायक डी0पी0ई0 (चयन ग्रेड) / कॉलेज डी0पी0ई0 (चयन ग्रेड) (स्टेज 3 से 4)	उप डी0पी0ई0 / सहायक डी0पी0ई0 (चयन ग्रेड) / कॉलेज डी0पी0ई0 (चयन ग्रेड) तथा साथ ही स्टेज 3 में तीन वर्ष की सेवा पूरी की गई हो	(एक) विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय डी0पी0ई0 संवर्ग हेतु परिशिष्ट तीन की तालिका पाँच (क) तथा कॉलेज में संवर्ग हेतु परिशिष्ट तीन की तालिका पाँच (ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी0बी0ए0एस0 अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए0पी0आई0 अंक । (दो) बारह वर्षों में कम से कम तीन प्रकाशन । एम0फिल0 धारकों के लिए कॉलेजों में पदोन्नतियों के लिए एक प्रकाशन की छूट पीएच0डी0 धारकों के लिए दो प्रकाशनों की छूट (तीन) टीमें बनाने / एथलीट तैयार करने का प्रमाण (चार) विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय डी0पी0ई0 संवर्ग हेतु परिशिष्ट तीन की तालिका पाँच (क) तथा कॉलेजों में संवर्ग हेतु परिशिष्ट तीन की तालिका पाँच (ख) विनियमों में यथा उपबंधित चयन प्रक्रियाँ
4	विश्वविद्यालय डी0पी0ई0 (स्टेज 5) (केवल विश्वविद्यालयों के लिए)	स्टेज 4 में तीन वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके विश्वविद्यालयों में उप डी0पी0ई0	(चार) विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय डी0पी0ई0 संवर्ग हेतु परिशिष्ट तीन की तालिका पाँच (क) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पी0बी0ए0एस0 अंकप्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करने हुए न्यूनतम

			ए0पी0आई0 अंक । (पाँच) दो निर्धारण अवधियों (छह वर्ष की) में कम से कम पाँच प्रकाशन । (छह) टीमें बनाने/एथलीट तैयार करने का प्रमाण (सात) विश्वविद्यालयों में डी0पी0ई0 के लिए परिशिष्ट तीन की तालिका पाँच (क) में इस विनियम में यथा उपबंधित चयन समिति प्रक्रियाँ

नोटः शिक्षकों के लिए सी0ए0एस0हेतु तालिका दो (क) तथा दो (ख) में दिया गया व्याख्यात्मक टिप्पण इस संवर्ग के लिए विनिर्धारित ए0पी0आई0 प्राप्ताँकों के अनुसार शारीरिक शिक्षा संवर्गों पर भी लागू है ।

नोटः विश्वविद्यालय/कॉलेज जहाँ लिए छठा पीआरसी (परिशिष्ट 2 देखे) लागू हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, और 5 क्रमशः 6000, 7000, 8000, 9000 तथा 10000 के ए0जी0पी0 वेतनमान के समकक्ष हैं ।

परिशिष्ट –तीन, तालिका– 7

पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) उप पुस्तकालयाध्यक्षों तथा सहायक पुस्तकालय अध्यक्षों/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्षों की वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस)/सीधी भर्ती हेतु निष्पादन आधारित मूल्याँकन प्रणाली (पीबीएस) को अंगीकार करने के लिए वि.अ.आ. द्वारा विकसित अकादमिक निष्पादन सूचक (ए0पी0आई0) तथा प्रस्तावित प्राप्ताँक

श्रेणी 1: पुस्तकालय सेवा के माध्यम से ज्ञान तथा सूचना का अर्जन, प्रबंधन तथा वितरण

क्रम सं0	क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम प्राप्ताँक
1	पुस्तकालय संसाधन प्रबंधन तथा किताबों, जनरल रिपोर्टों का रखरखाव; पुस्तकालय पाठक के लिए व्यवस्था सेवा; अनुसंधानकर्त्ताओं को साहित्य खोजने की सेवाएँ प्रदान करना तथा रिपोर्टों का विश्लेषण; मैनुअल, रिपोर्ट तथा संबंधित दस्तावेज तैयार करने के लिए अपेक्षित आगतों के साथ विश्वविद्यालय/कॉलेज के विभागों को सहायता उपलब्ध कराना; संस्थान की वेबसाईट को क्रियाकलाप संबंधी सूचना से अद्यतन कराने तथा संस्थागत न्यूजलैटर आदि निकालने में मदद देना ।	40
2	केटलॉग आटोमेशन, विज्ञता संसाधन अधिप्राप्ति कार्यकरण, सदस्यता रिकार्ड सहित परिचालन प्रचालन, सीरीयल सब्सक्रिप्शन प्रणाली, संदर्भ तथा सूचना सेवाएँ, पुस्तकालय सुरक्षा (आरएफआईडी, सीसीटीवी जैसी पद्धतियों पर आधारित प्रौद्योगिकी), पुस्तकालय प्रबंधन उपकरण (साफ्टवेयर), इंटरानेट प्रबंधन जैसी पुस्तकालय सेवाओं के उन्नयन के लिए आईसीटी तथा अन्य नई प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग ।	30
3	ई–संसाधनों का विकास, रखरखाव तथा प्रबंधन साथ ही इंटरानेट/इंटरनेट पर उनकी पहुँच, लाइब्रेरी संसाधनों का डिजीटाईजेशन, सूचना की ई–सुपुर्दगी आदि ।	25
4	उपयोगकर्त्ता जागरूकता तथा अनुदेशात्मक कार्यक्रम (अभिविन्यास व्याख्यान, लाइब्रेरी सेवाओं के उपयोग हेतु उपयोगकर्त्ता प्रशिक्षण जैसे ई–संसाधन, ओपेक ज्ञान संसाधन उपयोगकर्ता संवर्द्धन कार्यक्रम जैसे पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन, अन्य अन्योन्य क्रिया नवीनतम विज्ञता संसाधन आदि ।	20
5	अतिरिक्त सेवाएँ जैसे अवकाश दिवसों पर लाइब्रेरी सुविधाएँ प्रदान करना, शेल्फ आर्डर मेनटेंनेस, लाइब्रेरी उपयोगकर्ता पुस्तिका, बाह्य सदस्यता मानदण्ड के माध्यम से संस्थागत पुस्तकालय सुविधाएँ बाहरी व्यक्तियों को प्रदान करना ।	10
	कुल प्राप्ताँक	**125**
	अपेक्षित न्यूनतम ए0पी0आई0 प्राप्ताँक	**75**

श्रेणी II : सह–पाठ्येतर, विस्तार तथा पेशेवर विकास संबंधी क्रियाकलाप

क्रम सं0	गतिविधि का स्वरूप	अधिकतम अंक
1.	छात्र से संबंधित सह–पाठ्येत्तर, विस्तार तथा क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप (जैसे सांस्कृतिक आदान–प्रदान तथा पुस्तकालय सेवा कार्यक्रम) (बाह्य तथा आंतरिक कार्यक्रम): विभिन्न चैनलों के माध्यम से विस्तार, पुस्तकालय एवं साहित्यिक कार्य	20
2.	पुस्तकालयों से जुड़ी इकाइयों एवं संस्थानों के निगमात्मक जीवन एवं प्रबंधन में पुस्तकालय एवं प्रशासनिक समितियों एवं उत्तरदायित्वों में सहभागिता के माध्यम से योगदान।	15
3.	व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप (जैसे संगोष्ठियाँ, सम्मेलन, अल्पकालीन ई–लाईब्रेरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं आयोजन, बातचीत, व्याख्यान, संघों की सदस्यता, प्रचार–प्रसार तथा सामान्य अनुच्छेद जिन्हें नीचे दर्शायी गई श्रेणी–III में शामिल नहीं किया गया।	15
	अपेक्षित न्यूनतम ए0पी0आई0 अंक	**15**

श्रेणी III : अनुसंधान तथा अकादमिक योगदान

क्रम सं0	ए0पी0आई0	क्रियाकलाप	अधिकतम अंक
		संदर्भित जरनल	15 प्रति प्रकाशन
III (क)	प्रकाशित अनुसंधान (जर्नल)	आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. नंबर वाले गैर संदर्भित परंतु मान्यताप्राप्त तथा जाने माने जनरल तथा पत्रिकाएँ	10 प्रति प्रकाशन
		सम्मेलन कार्यवाहियों आदि में पूर्ण पत्र (सार सम्मिलित नहीं किए जाएँगे)	10 प्रति प्रकाशन
III (ख)	अनुसंधान प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय, अनुच्छेद संदर्भित से अलग)	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें जिनमें प्रतिष्ठित अभिजात्य द्वारा पुनरीक्षण प्रणाली हो।	50 प्रति एकमात्र लेखक संपादित पुस्तक में 10 प्रति अध्याय
		राष्ट्रीय/केन्द्र/राज्य सरकार स्तरों वाले प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. अंक वाली	25 प्रति एकमात्र लेखक संपादित पुस्तक में 5 प्रति अध्याय

		अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा, आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. अंक वाली विभिन्न विषयों पर पुस्तकें	15 प्रति एकमात्र लेखक संपादित पुस्तक में 5 प्रति अध्याय
		अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित एवं संपादित, ज्ञान आधारित खण्डों में निहित अध्याय	10 प्रति अध्याय
		राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टरी के नम्बरों सहित आईएसबीएन/आईएसएसएन नंबरों के साथ भारतीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा ज्ञान आधारित खण्डों में अध्याय	5 प्रति अध्याय
III (ग)			
III (ग) (1)	पूर्ण की गई/चालू प्रायोजित परियोजनाएँ	(क) ऐसी वृहद् परियोजनाओं में निवेशित राशियाँ जिसमें रुपये 30.00 लाख से अधिक के अनुदान को जुटाया गया है।	20 प्रति परियोजना
		(ख) ऐसी वृहद् परियोजनाओं में निवेशित राशियाँ जिसमें रुपये 5.00 लाख से अधिक 30.0 लाख तक के अनुदान को जुटाया गया है।	15 प्रति परियोजना
		(ख) ऐसी लघु परियोजनाओं में (निवेशित राशियाँ जिसमें रुपये 50,000.00 से अधिक 5.00 लाख तक के अनुदान को जुटाया गया है।	10 प्रति परियोजना
III (ग) (2)	पूर्ण की गई / चालू परामर्शी परियोजनाएँ	कम से कम 10.00 लाख रुपये की धनराशि जुटाई गई है।	रुपये 10 लाख एवं रुपये 2 लाख, प्रति 10 परियोजना पर क्रमशः
III (ग) (3)	पूर्ण की गई परियोजनाएँ: गुणवत्ता मूल्यॉकन	पूर्ण की गई परियोजना रिपोर्ट (वित्तपोषण एजेन्सी द्वारा स्वीकृत)	20 प्रति वृहद परियोजना तथा 10 प्रति लघु परियोजना
III (ग) (4)	परियोजनाएँ परिणाम/उत्पाद	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/उत्पाद/प्रक्रिया	राष्ट्रीय पेटेंट आदि के लिए 30 प्रति निष्कर्ष या परिणाम तथा अंतर्राष्ट्रीय

			स्तर के लिए 50 प्रति
III (घ)			
III (घ) (1)	एम0फिल0	केवल प्रदान की गई डिग्री	3 प्रत्येक अभ्यर्थी
III (घ) (2)	पीएच0डी0	प्रदत्त डिग्री	10 प्रत्येक अभ्यर्थी
		प्रस्तुत किए गए शोध प्रबंध	7 प्रत्येक अभ्यर्थी
III (ड़)			
III (ड़) (1)	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम विधितंत्र, कार्यशालाएँ प्रशिक्षण, अध्यापन-- प्रशिक्षण, मूल्याँकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, कंप्यूटर से जुड़े निपुणता विकास कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (अधिकतम 30 अंक)	जिसकी अवधि दो सप्ताह से कम न हो।	20 प्रति
		एक सप्ताह की अवधि	10 प्रति
III (ड़) (2)	सम्मेलनों/संगोष्ठियों /कार्यशालाओं आदि में प्रस्तुत पत्र	निम्नलिखित में अनुसंधान पत्र (मौखिक/पोस्टर) में भागीदारी तथा प्रस्तुतिकरण :	
		अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	प्रति
		राष्ट्रीय	प्रति
		क्षेत्रीय/राज्य स्तर	प्रति
		स्थानीय –विश्वविद्यालय/ कॉलेज स्तर	प्रति 3
III (ड़) (4)	सम्मेलनों/ परिचर्चाओं में आमंत्रित व्याख्यान प्रस्तुतीकरण	अंतर्राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 10
		राष्ट्रीय स्तर	5

* यदि किसी सम्मेलन/संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया कोई प्रपत्र कार्यवाहियों के रूप में प्रकाशित हो गया है तो इसके अंक, प्रकाशन (III(क)) हेतु उपार्जित माने जाएँगें न कि प्रस्तुतीकरण (III(ड़)) (ii) के तहत्।

नोट :

1. संयुक्त प्रकाशनों हेतु ए.पी.आई. की निम्नलिखित तरीके से गणना की जाएगी: संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की संबद्ध श्रेणी हेतु कुल प्राप्तांक, प्रथम/प्रधान लेखक एवं पत्राचार करने वाले लेखक/पर्यवेक्षक/शिक्षक का मार्गदर्शक, कुल अंकों के समान रूप से 60 प्रतिशत के भागीदार होंगे तथा शेष 40 प्रतिशत अंक, अन्य सभी लेखकों द्वारा समान रूप से बांट लिए जाएँगे।

परिशिष्ट – III, तालिका – VIII (क)

वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) के तहत विशेषज्ञ मूल्याँकन अंकों तथा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के कर्मचारिवृंद की प्रोन्नति हेतु लागू किए जाने वाले

परिशिष्ट III, तालिका VII में उपबंधित न्यूनतम ए.पी.आई.

		सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष से सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) (स्टेज 1 से 2)	उप पुस्तकालय अध्यक्ष/सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष (चयन ग्रेड) (स्टेज 2 से 3)	उप पुस्तकालय अध्यक्ष/सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष (चयन ग्रेड) (स्टेज 3 से 4)	पुस्तकालय अध्यक्ष (केवल विश्वविद्यालय) (स्टेज 4 से 5)
I	पुस्तकालय सेवाओं के माध्यम से ज्ञान तथा सूचना का अर्जन, प्रबंधन तथा वितरण (श्रेणी I)	प्रतिवर्ष 75	प्रतिवर्ष 75	प्रतिवर्ष 75	प्रतिवर्ष 75
II	विस्तार व पेशेवर संबंधी क्रियाकलाप (श्रेणी II)	प्रतिवर्ष 15	प्रतिवर्ष 15	प्रतिवर्ष 15	प्रतिवर्ष 15
III	श्रेणी I तथा II* के तहत न्यूनतम कुल औसत वार्षिक प्राप्ताँक	प्रतिवर्ष 100	प्रतिवर्ष 100	प्रतिवर्ष 100	प्रतिवर्ष 100
IV	अनुसंधान तथा अकादमिक योगदान (श्रेणी III) –संचयी आधार पर न्यूनतम वार्षिक प्राप्ताँक जिनका	प्रतिवर्ष 10 (प्रत्येक मूल्याँकन अवधि	प्रतिवर्ष 20 (प्रत्येक मूल्याँकन	प्रतिवर्ष 30 (प्रत्येक मूल्याँकन अवधि में 90)	प्रतिवर्ष 40 (प्रत्येक मूल्याँकन अवधि

	मूल्याँकन किया जाना है	में 40)	अवधि में 100)		में 120)
	विशेषज्ञ मूल्याँकन प्रणाली	**छानबीन समिति**	**छानबीन समिति**	**चयन समिति**	
V	**विशेषज्ञ मूल्याँकन में महत्व दिए जाने वाले प्वाईंट का प्रतिशत वितरण (कुल महत्व =100 न्यूनतम अपेक्षित 50)**	कोई अलग से प्वाईंट नहीं छानबीन समिति द्वारा ए.पी.आई. अंक का सत्यापन किया जाएगा	कोई अलग से प्वाईंट नहीं छानबीन समिति द्वारा ए.पी. आई. अंक का सत्यापन किया जाएगा	पुस्तकालय से संबंधित अनुसंधान पत्र पर मूल्याँकन – 30% पुस्तकालय आटोमेशन तथा व्यवस्था संबंधी कौशल पर डोमेन ज्ञान का मूल्याँकन –50% साक्षात्कार निष्पादन – 20%	पुस्तकालय प्रकाशन कार्य– 50% नवीन पुस्तकालय सेवाओं तथा डिजीटल लाइब्रेरी की व्यवस्था का मूल्याँकन –30% साक्षात्कार निष्पादन – 20%

*श्रेणी एक + दो के तहत अपेक्षित न्यूनतम प्राप्ताँकों की प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी श्रेणी एक या दो से 10 अंक प्राप्त कर सकता है ।

नोटः जिन विश्वविद्याालय में छठा पीआरसी अवार्ड (परिशिष्ट दो देखें) लागू है । स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5 क्रमशः ए0जी0पी0 के 6000, 7000, 8000, 9000 तथा 10000 रुपये के वेतनमान के समकक्ष है ।

परिशिष्ट – III, तालिका – VIII (ख)

वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) के तहत विशेषज्ञ मूल्याँकन हेतु अंक तथा पुस्तकालय के कर्मचारिवृंद की प्रोन्नति पर लागू होने वाले परिशिष्ट III तालिका VII में यथाउपबंधित ए0पी0आई0 के न्यूनतम वेटेज वाले प्वाईंट (डब्ल्यूपी)

		कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (स्टेज 1) से कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) (स्टेज 2)	कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) (स्टेज 2) से कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (चयन ग्रेड) (स्टेज 3)	कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (चयन ग्रेड) (स्टेज 4 से 5)
I	पुस्तकालय सेवाओं के माध्यम से ज्ञान तथा सूचना का अर्जन, प्रबंधन तथा वितरण (श्रेणी– I)	प्रतिवर्ष 75	प्रतिवर्ष 75	प्रतिवर्ष 75
II	विस्तार व पेशेवर संबंधी क्रियाकलाप (श्रेणी– II)	प्रतिवर्ष 15	प्रतिवर्ष 15	प्रतिवर्ष 15
III	श्रेणी I तथा II* के तहत न्यूनतम कुल औसत वार्षिक प्राप्ताँक	प्रतिवर्ष 100	प्रतिवर्ष 100	प्रतिवर्ष 100
IV	अनुसंधान तथा अकादमिक योगदान (श्रेणी– III) –संचयी आधार पर न्यूनतम वार्षिक प्राप्ताँक जिनका मूल्याँकन किया जाना है	प्रतिवर्ष 5 (प्रति मूल्याँकन अवधि 40)	प्रतिवर्ष 10 (प्रति मूल्याँकन अवधि 100)	प्रतिवर्ष 15 (प्रति मूल्याँकन अवधि 40)
	विशेषज्ञ मूल्याँकन प्रणाली	**छानबीन समिति**	**छानबीन समिति**	**चयन समिति**

V	**विशेषज्ञ मूल्याँकन में महत्व दिए जाने वाले प्वाईंट का प्रतिशत वितरण (कुल महत्व =100 न्यूनतम अपेक्षित 50)**	कोई अलग से प्वाईंट नहीं छानबीन समिति द्वारा ए.पी. आई. अंक का सत्यापन किया जाएगा	कोई अलग से प्वाईंट नहीं छानबीन समिति द्वारा ए.पी.आई. अंक का सत्यापन किया जाएगा	पुस्तकालय से संबंधित अनुसंधान पत्रों का मूल्याँकन – 30% पुस्तकालय आटोमेशन तथा व्यवस्था संबंधी कौशल पर डोमेन ज्ञान का मूल्याँकन –50% साक्षात्कार निष्पादन – 20%

*श्रेणी एक + दो के तहत अपेक्षित न्यूनतम प्राप्ताँकों की प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी श्रेणी एक या दो से 10 अंक प्राप्त कर सकता है ।

नोटः जिन विश्वविद्यालय में छठा पीआरसी अवार्ड (परिशिष्ट दो देखें) लागू है । स्टेज 1, 2, 3 और 4 क्रमशः ए0जी0पी0 के 6000, 7000, 8000 तथा 9000 रुपये के वेतनमान के समकक्ष है ।

परिशिष्ट – III, तालिका – VIII (ग)

विश्वविद्यालय विभागों/कालेजों में पुस्तकालय अध्यक्षों के पद की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम ए0पी0आई0एस तथा अन्य मानदण्ड

(यू0जी0सी विनियमों में विनिर्धारित अन्य विशिष्ट अर्हता योग्यता के साथ विचार किया जाए)

श्रेणी की क्र0सं0	न्यूनतम मानदण्ड/मानक	सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष/कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (स्टेज 1)	विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष (स्टेज 4)	पुस्तकालय अध्यक्ष (केवल विश्वविद्यालय) (स्टेज)
I	ए0पी0आई0 प्राप्ताँक (अनुसंधान तथा अकादमिक योगदान श्रेणी–तीन)	–	300 अंको की समेकित ए0पी0आई0 प्राप्ताँक अपेक्षा	400 अंकों की समेकित ए0पी0आई0 प्राप्ताँक अपेक्षा
II	चयन समिति मानदण्ड महत्व (कुल महत्व –100)	(क) व्याख्यान द्वारा प्रदर्शित कर शिक्षण/परिकलन तथा संप्रेषण कौशल (30 प्रतिशत) (ख) पुस्तकालय प्रबंधन कौशल का रिकार्ड (20 प्रतिशत) (ग) साक्षात्कार निष्पादन (50 प्रतिशत)	क) लाइब्रेरी संबंधी अनुसंधान/थीम पेपर (3 नम्बर) मूल्याँकनः (50 प्रतिशत) (ख) लाइब्रेरी आटोमशन कौशल तथा संगठनात्मक योजना (20 प्रतिशत) (ग) साक्षात्कार निष्पादन (30 प्रतिशत)	क) लाइब्रेरी अनुसंधान पत्र (पाँच) मूल्याँकन (60 प्रतिशत) (ख) नवीन पुस्तकालय सेवा तथा विजन योजना का व्यवस्थात्मक ट्रैक रिकार्ड (20 प्रतिशत) (ग) साक्षात्कार निष्पादन (20 प्रतिशत)

नोटः वे विश्वविद्याालय/कॉलेज जहाँ छठा पीआरसी अवार्ड (देखें, परिशिष्ट दो) लागू है । स्टेज 1, 4, 5 और 5 क्रमशः यथा उपबंधित ए0जी0पी0 के 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 तथा 12000 रुपये के वेतनमान के समकक्ष है ।

परिशिष्ट –III, तालिका –IX

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अकादमिक निष्पादन तथा सेवा अपेक्षाएँ

क्रम सं.	सी0ए0एस0के माध्यम से पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्गों की प्रोन्नति	सेवा अपेक्षा (मा.स.वि.म. की अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्धारित)	न्यूनतम अकादमिक निष्पादन अपेक्षाएँ तथा छानबीन/चयन मानदण्ड
1.	स. विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष/कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष से सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) (स्टेज 1 से 2)	सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष/कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (स्टेज 1) तथा पीएच0डी0 के साथ चार वर्षों की सेवा पूर्ण हो अथवा एम.फिल के साथ पाँच वर्ष अथवा बिना पी.एच.डी./एम. फिल के छह वर्ष की सेवा पूर्ण की हो ।	(i) विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के संवर्ग के लिए परिशिष्ट III की तालिका VIII(क) तथा कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग के लिए परिशिष्ट III की तालिका VIII(ख) में उपबंधित मानदण्ड के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी0बी0ए0एस0 प्राप्ताँक प्रोफार्मा का उपयोग कर न्यूनतम ए0पी0आई0 प्राप्ताँक दिए जाएँगे । (ii) 3/4 सप्ताह अवधि का एक अभिविन्यास तथा एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (iii) प्रोन्नति की संस्तुति करने के लिए छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया हेतु अलग से कोई साक्षात्कार प्वाईंट नहीं ।
2.	सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (वरिष्ठ	सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)	(i) विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के संवर्ग के लिए परिशिष्ट III की तालिका VIII(क) तथा

	वेतनमान) से सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष (चयन ग्रेड) (स्टेज 2 से 3)	जिसने स्टेज 2 में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।	कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग के लिए परिशिष्ट III की तालिका VIII(ख) में उपबंधित मानदण्ड के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी0बी0ए0एस0 प्राप्ताँक प्रोफार्मा का उपयोग कर न्यूनतम ए0पी0आई0 प्राप्ताँक दिए जाएँगे । (ii) साथ ही, निर्धारण अवधि के दौरान कम से कम 3–4 सप्ताह की अवधि के दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम किए गए हों । (iii) प्रोन्नति की संस्तुति करने के लिए छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया हेतु अलग से कोई साक्षात्कार प्वाईंट नहीं ।
3.	उप विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष/सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष (चयन ग्रेड)/कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (चयन ग्रेड) (स्टेज 3 से 4)	सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष (चयन ग्रेड)/कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष (चयन ग्रेड) जिसने स्टेज 3 में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।	(i) विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के संवर्ग के लिए परिशिष्ट III की तालिका VIII(क) तथा कालेज पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग के लिए परिशिष्ट III की तालिका VIII(ख) में उपबंधित मानदण्ड के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी0बी0ए0एस0 प्राप्ताँक प्रोफार्मा का उपयोग कर न्यूनतम ए0पी0आई0 प्राप्ताँक दिए जाएँगे । (ii) बारह वर्ष में तीन प्रकाशन । कालेज में एम.फिल धारकों को एक प्रकाशन तथा पी.एच.

			डी धारकों को दो प्रकाशनों की छूट दी जाएगी । (iii) साथ ही, लाइब्रेरी आटोमेशन/अकादमिक दस्तावेजीकरण हेतु विश्लेषणात्मक उपकरण विकास से एक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण । (iv) कालेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्गों के लिए परिशिष्ट III की तालिका VIII(ख) तथा विश्वविद्यालय में परिशिष्ट III की तालिका VIII(क) में तथा विनियम में यथानिर्दिष्ट चयन समिति की प्रक्रिया ।
4.	पुस्तकालय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय ग्रेड) (स्टेज 5)	विश्वविद्यालय में उप–पुस्तकालय अध्यक्ष जिसने स्टेज 4 में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।	(i) विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के संवर्ग के लिए परिशिष्ट III की तालिका VIII(क) में उपबंधित मानदण्ड के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी0बी0ए0एस0 प्राप्ताँक प्रोफार्मा का उपयोग कर न्यूनतम ए0पी0आई0 प्राप्ताँक दिए जाएँगे । आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम ए0पी0आई0 प्राप्ताँक पर दो मूल्याँकन अवधियों (स्टेज 3 और 4) में भी विचार किया जा सकता है । (ii) मौजूदा तथा पिछली मूल्याँकन अवधि के दौरान कम

			से कम 5 प्रकाशन । (iii) नवीन पुस्तकालय सेवा तथा प्रकाशित कार्य के प्रबंध का प्रमाण । (iv) विश्वविद्यालय में परिशिष्ट ।।। की तालिका VIII(क) में तथा विनियम में यथानिर्दिष्ट चयन समिति की प्रक्रिया ।

नोटः शिक्षकों के लिए सी0ए0एस0हेतु तालिका दो (क) तथा दो (ख) में दिया गया व्याख्यात्मक टिप्पण इस संवर्ग के लिए विनिर्धारित ए0पी0आई0 प्राप्ताँकों के अनुसार शारीरिक शिक्षा संवर्गों पर भी लागू है ।

नोटः विश्वविद्यालय/कॉलेज जहाँ छठा पीआरसी लागू है (परिशिष्ट 2 देखें), स्टेज 1, 2, 3, 4, और 5 क्रमशः 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 तथा 12000 के ए0जी0पी0 वेतनमान के समकक्ष हैं ।

अनुसूची 6.0.0 के खण्ड 6.0.2 का अनुलग्नक

.....विश्वविद्यालय

वार्षिक स्व मूल्यांकन

कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकन

सत्र/वर्ष.....

(प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाए)

(भाग–क सामान्य सूचना)

1. नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता का नाम/माता का नाम :
3. विभाग :
4. वर्तमान पद एवं वेतन ग्रेड :
5. पूर्व पदोन्नति की तिथि :
6. पत्र व्यवहार हेतु पता (पिन कोड सहित) :
7. स्थायी पता (पिन कोड सहित)

   फोन नं. :

   ई मेल :
8. यदि वर्ष के दौरान कोई डिग्री या शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है :
9. अकादमिक स्टाफ कालेज नवोन्मेषी/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिनमें वर्ष के दौरान भाग लिया गया :

पाठ्यक्रम का नाम/ ग्रीष्मकालीन स्कूल	स्थान	अवधि	प्रायोजक अभिकरण

भाग–ख : अकादमिक कार्य निष्पादन संकेतक

(कृपया इस खण्ड को भरने से पूर्व इस (पीबीएएस) प्रोफॉर्मा के ब्यौरेवार अनुदेशों को देख लें)

वर्ग : I. शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) व्याख्यान, संगोष्ठियाँ, अनुवर्ग, प्रायोगिक कक्षाएँ, संपर्क घंटे (सत्रवार ब्यौरा दें, जहाँ आवश्यक हो)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम / प्रश्न पत्र	स्तर	शिक्षण का माध्यम	प्रति सप्ताह आंबटित कक्षाओं की संख्या	प्रति दस्तावेजी रिकॉर्ड के अनुसार ली गई कक्षाओं / प्रायोगिक कक्षाओं की सं. का प्रतिशत

• व्याख्यान (एल), संगोष्ठी (एस), अनुवर्ग (टी), प्रायोगिक कक्षाएँ (पी), संपर्क घंटे (सी)

		API अंक
(क)	ली गई कक्षाएं (100 प्रतिशत कार्य निष्पादन पर अधिकतम 50 अंक तथा 80 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन पर अनुपातिक अंक जिससे निचले स्तर पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा)	
(ख)	यू.जी.सी. प्रतिमान के अतिरिक्त शिक्षण भार (अधिकतम अंक : 10)	

(II) पाठन / परामर्श प्राप्त अनुदेशात्मक सामग्री एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त ज्ञान संसाधन

क्र.सं.	पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र	परामर्श प्राप्त	विनिर्दिष्ट	उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधन
पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण संवर्धन के अनुसार तैयारी एवं विदित ज्ञान/अनुदेश पर आधारित API अंक, विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए (अधिकतम अंक : 20)				API अंक

(iii) सहभागितापूर्ण तथा नवोन्मेषी शिक्षण–अनुशिक्षण पद्धतियों का उपयोग, विषय–वस्तु, पाठ्यक्रम सुधार आदि को अद्यतन करना

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 20)	

(iv) परीक्षा ड्यूटी, सौंपी गई एवं निष्पादित की गई

क्र.स.	परीक्षा डयूटी का प्रकार	सौंपी गई ड्यूटी	कितने(प्रतिशत) निष्पादित की गई	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 25)			

वर्ग : II. सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

कृपया निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अपना योगदान दर्शायें :

क्र.सं	कार्यकलाप का प्रकार	औसत घंटे/सप्ताह	API अंक
	(i) विस्तार, सह पाठ्येत्तर एवं क्षेत्र आधारित कार्यकलाप		
	कुल (अधिकतम अंक : 20)		
	(ii) कारपोरेट जीवन में योगदान तथा संस्थान का प्रबंधन	वार्षिक/सत्रवार उत्तरदायित्व	API अंक
	कुल (अधिकतम अंक–15)		
	(iii) व्यावसायिक विकासगत गतिविधियाँ		
	कुल (अधिकतम अंक–15)		
	कुल (i+ii+iii) (अधिकतम अंक : 25)		

वर्ग : III. शोध, प्रकाशन एवं अकादमिक योगदान

(क) जर्नल्स में प्रकाशित पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	जर्नल	ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई? प्रभावी घटक, यदि कोई है	सह–लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(ख) (i) आलेख /अध्याय, पुस्तकों में प्रकाशित

क्र.सं.	पृ.सं.सहित शीर्षक	पुस्तक शीर्षक संपादक एवं प्रकाशक	ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई?	सह–लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(ii) सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र

क्र. सं.	पृ. सं. सहित शीर्षक	सम्मेलन प्रकाशन का ब्यौरा	ISSN/ ISBN सं.	सह लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(iii) एकल लेखक या संपादक के रूप में प्रकाशित पुस्तकें

क्र.सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक का प्रकार एवं कर्तृत्व	प्रकाशक एवं ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई?	सह–लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

III. (ग) चल रहीं एवं पूर्ण हो चुकीं शोध तथा परामर्शी परियोजनाएं

(ग) (i एवं ii) चल रहीं परामर्शी परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	अभिकरण	अवधि	गतिशील अनुदान राशि (लाख रू.में)	API अंक

(iii एवं iv) पूर्ण हुई परियोजनाएं / परामर्शी

क्र.सं.	नामांकन सं.	अभिकरण	अवधि	अनुदान / चल राशि (लाख रू. में)	निष्कर्ष रूप में पॉलिसी डाक्यूमेंट / पेटेंट का	API अंक

(घ) शोध मार्गदर्शन

क्र.सं.	अनुक्रमांक सं.	जमा किया गया शोध निबंध	प्रदत्त डिग्री	API अंक
एम. फिल या समान				
पी. एच. डी. या समान				

(ड.) (i) प्रशिक्षण पाठयक्रम, शिक्षण–अनुशिक्षण–मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (एक सप्ताह की अवधि से कम नहीं)

क्र. सं.	कार्यक्रम	अवधि	द्वारा आयोजित	API अंक

(ड.) (ii) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिचर्चाओं में प्रस्तुत किए गए पत्र

क्र.सं.	प्रस्तुत पत्र का शीर्षक	सम्मेलन / संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित	क्या अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य / प्रादेशिक / कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर हुए	API अंक

(ड.) (iii) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी आदि में आमंत्रित व्याख्यान एवं अध्यक्षता

क्र.सं.	व्याख्यान अकादमिक सत्र का शीर्षक	सम्मेलन / संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित की गई	क्या अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय है ?	API अंक

(iv) API अंकों का सार

	मानदण्ड	गत अकादमिक वर्ष	आकलन अवधि हेतु कुल API अंक	आकलन अवधि हेतु वार्षिक औसत API अंक
I	शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी गतिविधियाँ			
II	सह पाठ्येत्तर, विस्तार,			
	व्यावसायिक विकास आदि			
	कुल I+II			
III	शोध एवं अकादमिक योगदान			

भाग ग : अन्य संबंधित सूचना

कृपया किसी अन्य विश्वसनीय, महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त किए गए अवार्ड आदि का ब्यौरा दें जिसे पूर्व में नहीं दर्शाया गया है :

क्र.सं.	ब्यौरा (जहाँ कहीं आवश्यक हो, वर्ष, मूल्य आदि दर्शायें)

संलग्नकों की सूची : (कृपया प्रमाणपत्रों, मंजूरी आदेशों, पत्रों आदि की प्रतियाँ साथ नत्थी करें, जहाँ कहीं आवश्यक हो)

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यहाँ दी गई जानकारियाँ, विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं तथा विधिवत भरे गए PBAS प्रोफार्मा के साथ दस्तावेज नत्थी किए गए हैं।

संकाय के हस्ताक्षर
पद,स्थान एवं तिथि सहित

विभागाध्यक्ष/विद्यालय अध्यक्ष
/प्राचार्य के हस्ताक्षर

नोट : कैस पदोन्नति हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकित प्रोफॉर्मा, विधिवत भरा हुआ, की सभी संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जाँच की जायेगी तथा इसकी सूचना IQAC को प्रेषित की जायेगी।

PBAS प्रोफॉर्मा के भाग ख को भरने हेतु अनुदेश

प्रोफॉर्मा का भाग–ख, यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट–111, तालिका–1 पर आधारित है। इसको हाल ही में समाप्त हुए अकादमिक वर्ष हेतु भरा जायेगा।
प्रोफॉर्मा, इन तालिकाओं तथा स्व आकलन किए गए अंकों के आधार पर भरा जायेगा।
प्रत्येक वर्ग, यहाँ तक कि विभिन्न कार्यकलापों के पृथक–पृथक क्षेत्रों हेतु प्रदान किए गए या अग्रसारित किए गए अंकों को तालिका में दर्शाया गया है।
स्व मूल्यांकित प्राप्तांक अंक नीचे दर्शाये गए संकेतकों/कार्यकलापों पर आधारित होंगें। विश्वविद्यालय, उनके अनुभवों एवं अपेक्षाओं पर आधारित विस्तृत संकेतकों और संबंधित अंकों में परिशिष्ट III, तालिका I में वर्गों एवं उपवर्गों को दिए गए प्राप्तांकों में परिवर्तन किए बगैर, रूपांतरित कर सकते हैं।

नोट : स्व मूल्यांकन, विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जाँच तथा छानबीन–सह–जाँच समिति या चयन समिति पर निर्भर करता है, जैसा भी मामला हो।

श्रेणी : 1, शिक्षण, तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) (क)

व्याख्यान/प्रायोगिक कक्षाएँ/अनुशिक्षण, ली गई संपर्क कक्षाएं, जाँच योग्य रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिए। यदि किसी शिक्षक ने सौंपी गई कक्षाओं में से 80 प्रतिशत से कम कक्षाएं ली हैं उसे कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय, अवकाश की अवधि हेतु भत्ता प्रदान कर सकता है, जहाँ साधारणत : वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की गई है। **100 प्रतिशत कार्य निष्पादन होने पर अधिकतम अंक : 50**	अधिकतम अंक: 50

(ख)

यदि शिक्षक ने यू.जी.सी. प्रतिमान से हटकर कक्षाएं ली हैं, ऐसे में कक्षाओं/क्रेडिट के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे।	अधिकतम अंक :10

(ii)

सूचना/संज्ञान/ अनुदेश निर्धारित सामग्री सहित प्रति पाठ्य–विवरण के अनुसार पाठ्य–पुस्तक /नियमावली आदि), विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर पाठ्यचर्या संवर्धन **(100 प्रतिशत अनुपालन = 20 अंक)**	अधिकतम अंक :20

(iii) सहभागिता एवं नवोन्मेषी शिक्षण–अनुशिक्षण पद्धतियों, अद्यतन विषयवस्तु, पाठ्यक्रम संवर्धन आदि का उपयोग।

संकेतक /कार्यकलाप	अधिकतम अंक
पाठ्यक्रमों, पाठ्य विवरण की रूपरेखा को अद्यतन करना (एकल पाठ्यक्रम हेतु)	10
नवाचारी शिक्षण/अनुशिक्षण में प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, अद्यतन विषयवस्तु एवं पाठ्यक्रम सुधार।	10
क. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण सामग्री: प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
ख. अन्योन्यक्रिया पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 5 अंक ग. सहभागितापूर्ण अनुशिक्षण मॉड्यूल्स : प्रत्येक के लिए 5 अंक	10
विकासात्मक तथा विदित उपचारात्मक/ब्रिज पाठ्यक्रम तथा परामर्शी मॉडयूल्स (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
शारीरिक शिक्षा में विकासात्मक विदित विशेषज्ञतापूर्ण शिक्षण–अनुशिक्षण कार्यक्रम, पुस्तकालय; संगीत में नवाचारी सृजन एवं रचनात्मकता, कार्यनिष्पादन एवं दृश्यात्मक कला एवं अन्य पारंपरिक क्षेत्र (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक	10
विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर सहायक शिक्षण/वैब आधारित शिक्षण तथा ई–पुस्तकालय कौशल में प्रचलित कार्यक्रमों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन (क) कार्यशाला/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(iv) परीक्षा संबंधी कार्य

संकेतक	अधिकतम अंक:
कालेज/विश्वविद्यालय तथा सत्रीय/वार्षिक परीक्षा कार्य आबंटित ड्यूटी के अनुसार (निरीक्षण कार्य–10 अंक; उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन–5 अंक प्रश्नपत्र तैयार करना – 5,अंक) (100 % अनुपालन–20 अंक)	20
कालेज/विश्वविद्यालय परीक्षा/मूल्यांकन उत्तरदायित्व आबंटित किए गए अनुसार आंतरिक/निरंतर आकलन कार्य हेतु (100 % अनुपालन–10 अंक)	10
समन्वयन जैसे परीक्षा कार्य, या उड़नदस्ता ड्यूटी आदि (अधिकतम 5 या 10 अंक ड्यूटी की गंभीरता पर निर्भर (100 % अनुपालन=10 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा ख (iv)	25

श्रेणी : II सह–पाठ्येत्तर, विस्तार एवं व्यावसायिक विकास संबधी कार्यकलाप

(i) विस्तार तथा सह पाठ्येत्तर तथा स्थल आधारित कार्यकलाप

संस्थानात्मक सह पाठ्येत्तर कार्यकलाप; विद्यार्थियों हेतु जैसे स्थल अध्ययन/शैक्षिक दौरे, उद्योग स्थापना प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यकलाप (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
पद/नेतृत्व की भूमिका जो विस्तारित कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) NCC, NSO या कोई अन्य समानुरूप कार्यकलाप से संबद्ध संगठन में निभाई गई भूमिका (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 10 अंक)	10
विद्यार्थियों एवं स्टाफ संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम, परिसर, प्रकाशन (विभागीय स्तर, 2 अंक, संस्थागत स्तर पर 5 अंक)	10
सामुदायिक कार्य जैसे राष्ट्र संघटन, पर्यावरण लोकतंत्र समाजवाद, मानव अधिकार, शांति, वैज्ञानिक प्रकृति ; बाढ़ या सूखा राहत, छोटा परिवार मानदण्ड आदि (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(ii) संस्थान के निगमात्मक जीवन तथा प्रबंधन में योगदान

कालेजों/विश्वविद्यालयों के निगमात्मक जीवन में योगदान; बैठकों, प्रचलित व्याख्यानों, विषय संबंधी आयोजनों, कालेज पत्रिका तथा विश्वविद्यालय संस्करणों में आलेखों के माध्यम से (प्रत्येक के लिए 2 अंक)	10
संस्थानात्मक शासन उत्तरदायित्व जैसे उप–प्राचार्य, डीन, निदेशक, वार्डन, बर्सर, स्कूल अध्यक्ष, समन्वयक (प्रत्येक के लिए 10 अंक)	10
विभागीय या संस्थानात्मक प्रबंधन के किसी भी पहलू सहित संबद्ध समितियों में सहभागिता जैसे दाखिला समिति, परिसरीय विकास, पुस्तकालय समिति (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
छात्र कल्याण, परामर्श एवं अनुशासन हेतु समितियों हेतु उत्तरदायित्व या सहभागिता (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
सम्मेलन का संगठन/प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय (10 अंक) ; राष्ट्रीय/प्रादेशिक (5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

(iii) व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

संकेतक/कार्यकलाप	अधिकतम अंक
व्यवसाय संबंधी समितियों की सदस्यता राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क. राष्ट्रीय स्तर पर : प्रत्येक के लिए 3 अंक ख. स्थल स्तर पर : प्रत्येक के लिए 2 अंक	10
विषय संघ, सम्मेलन, संगोष्ठियों में बगैर पत्र प्रस्तुतिकरण के सहभागिता प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 2 अंक	10
शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यविवरण विकास, व्यावसायिक विकास, परीक्षा सुधार, संस्थानात्मक शासन में 1 सप्ताह से कम अवधि के अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सहभागिता (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 5 अंक)	10
शिक्षा पर राज्य/केन्द्रीय निकायों/समितियों में सदस्यता, सहभागिता, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय विकास (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों (जो वर्ग 3 में शामिल नहीं हैं) में आलेखों का प्रकाशन; रेडियो वार्ता, दूरदर्शन कार्यक्रम (प्रत्येक के लिए 1 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

वर्ग: III अनुसंधान, प्रकाशन तथा अकादमिक योगदान

इसको यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III तालिका 1, वर्ग III के अनुसार भरा जाएगा। जहां कहीं भी अनुसंधान योगदान संयुक्त रूप से किया गया है, ए पी आई अंकों को, तालिका–1 दर्शाये गए फार्मूले के अनुसार सहयोगियों के मध्य बाँट दिया जाएगा।

III. एपीआई अंकों का सारांश

वर्ग एवं के लिए एपीआई प्राप्तांकों को प्रगति अनुसार उत्तरोत्तर संचालित किया जायेगा जैसा कि यू.जी.सी. विनियम 2010 में दर्शाया गया है। यह समस्त प्रक्रिया 2010–11 के लिए निर्मित चयन समितियों के आकलन के साथ प्रारंभ होगी और इसी के अनुसार 2011–12 की 2 वर्ष की अवधि का वार्षिक औसत और आगे आने वाली अवधि का भी उसी प्रकार से आंकलन किया जाएगा। परंतु, जैसा कि विनियमों के अंतर्गत पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, श्रेणी III के लिए समस्त निर्धारण अवधि में प्राप्तांकों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा।

IV

इसी प्रकार पीबीएएस प्रोफॉर्मा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष/उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद जो कि यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III : तालिका–IV से IX में रेखांकित किए गए ए पी आई अंक पैटर्न पर आधारित है, इन संवर्गों द्वारा विकसित किया जायेगा।

अनुसूची 6.0.0 के खण्ड 6.0.2 का अनुलग्नक

.....विश्वविद्यालय

कैस के अंतर्गत पदोन्नति हेतु पीबीएएस प्रोफॉर्मा

भाग–क, सामान्य जानकारी एवं अकादमिक पृष्ठभूमि

1. नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता का नाम/माता का नाम :
3. विभाग :
4. वर्तमान पद :
5. पूर्व पदोन्नति की तिथि :
6. कैस के अन्तर्गत आप किस पद तथा वेतन ग्रेड के प्रार्थी हैं ?
7. पदोन्नति हेतु पात्रता की तिथि :
8. जन्म की तिथि एवं स्थान :
9. लिंग :
10. वैवाहिक स्तर :
11. राष्ट्रीयता :
12. क्या आप अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व. से
    संबंध रखते हैं, तो यहाँ लिखें :
13. पत्र व्यवहार हेतु पता (पिन कोड सहित) :
14. स्थायी पता (पिन कोड सहित)
    फोन नं. :
    ई मेल :

15. अकादमिक योग्यता (मैट्रिक से स्नातकोत्तर स्तर तक)

परीक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	विभाग/ कक्षा/ग्रेड	विषय
हाईस्कूल / मैट्रिक					
इंटरमीडिएट					
बी.ए./ बी.एस.सी./ बी.कॉम/बी.एम. यू.एस.					
एम.ए./ एम.एस.सी./ एम.कॉम/ एम.एम.यू.एस.					
अन्य परीक्षा, यदि कोई दी है					

16. शोध डिग्री/डिग्रियां

डिग्रियाँ	विषय	अवार्ड तिथि	विश्वविद्यालय
एम.फिल.			
पी.एच.डी./डी.फिल.			
डी.एस.सी./ डी.लिट्			

17. इस संस्थान में आने से पूर्व नियुक्तियाँ

पद	नियोजक का नाम	कार्यग्रहण की तिथि		ग्रेड सहित/ वेतन	छोड़ने का कारण
		कार्यग्रहण	छोड़ना		

18. इस संस्थान में नियुक्ति के पश्चात प्राप्त किए गए पद :

		कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि		
पद	विभाग	से	तक	ग्रेड

19. अध्यापन अनुभव की अवधि : स्नातकोत्तर कक्षाएँ (वर्षों में) : ☐
स्नातकपूर्व कक्षाएँ (वर्षों में) ☐

20. एम.फिल/पी.एच.डी. में व्यतीत किए वर्षों के अतिरिक्त शोध अनुभव, (वर्षों में) ☐

21. विषय/शाखा के अंतर्गत विशेषज्ञता का क्षेत्र
(क) .....
(ख) .....

22. अकादमिक स्टाफ कालेज अभिविन्यास /पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिनमें भाग लिया :

पाठ्यक्रम का नाम/ ग्रीष्मकालीन स्कूल	स्थान	अवधि	प्रायोजक अभिकरण

(कृपया इस खण्ड को भरने से पूर्व इस (पीबीएएस) प्रोफॉर्मा के ब्यौरेवार अनुदेशों को देख लें)

वर्ग : I. शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) व्याख्यान, संगोष्ठियाँ, अनुवर्ग, प्रायोगिक कक्षाएँ, संपर्क घंटे (सत्रवार ब्यौरा दें, जहाँ आवश्यक हों)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम/परीक्षापत्र	स्तर	शिक्षण का माध्यम	प्रति सप्ताह आंबटित घंटे	प्रति दस्तावेजी रिकॉर्ड के अनुसार ली गई कक्षाओं का प्रतिशत

• व्याख्यान (एल), संगोष्ठी (एस), अनुवर्ग (टी), प्रायोगिक कक्षाएँ (पी), संपर्क घंटे (सी)

		API अंक
(क)	ली गई कक्षाएं (100 प्रतिशत कार्य निष्पादन पर अधिकतम 50 अंक तथा 80 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन पर अनुपातिक अंक जिससे निचले स्तर पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा)	
(ख)	यू.जी.सी. प्रतिमान के अतिरिक्त शिक्षण भार (अधिकतम अंक : 10)	

(ii) पाठन /परामर्श प्राप्त अनुदेशात्मक सामग्री एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त ज्ञान संसाधन

क्र.सं.	पाठ्यक्रम /परीक्षापत्र	परामर्श प्राप्त	विनिर्दिष्ट	उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधन
पाठ्यविवरण एवं सिलेबस संवर्धन के अनुसार तैयारी एवं विदित ज्ञान/ अनुदेश पर आधारित API अंक, विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए (अधिकतम अंक : 20)				API अंक

(iii) सहभागितापूर्ण तथा नवोन्मेषी शिक्षण–अनुशिक्षण पद्धतियों का उपयोग, विषय–वस्तु, पाठ्यक्रम सुधार आदि को अद्यतन करना

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 20)	

(iv) परीक्षा ड्यूटी, सौंपी गई एवं निष्पादित की गई

क्र.स.	परीक्षा ड्यूटी का प्रकार	सौंपी गई ड्यूटी	कितने(प्रतिशत) निष्पादित की गई	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 25)			

वर्ग : II. सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

कृपया निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अपना योगदान दर्शायें :

क्र.सं	कार्यकलाप का प्रकार	औसत घंटे / सप्ताह	API अंक
	(i) विस्तार, सह पाठ्येत्तर एवं क्षेत्र आधारित कार्यकलाप		
	कुल (अधिकतम अंक : 20)		
	(ii) कारपोरेट जीवन में योगदान तथा संस्थान का प्रबंधन	वार्षिक / सत्रवार उत्तरदायित्व	API अंक
	कुल (अधिकतम अंक–15)		
	(iii) व्यावसायिक विकासगत गतिविधियाँ		
	कुल (अधिकतम अंक–15)		
	कुल (i+ii+iii) (अधिकतम अंक : 25)		

वर्ग : III. शोध, प्रकाशन एवं अकादमिक योगदान

(क) जर्नल्स में प्रकाशित पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	जर्नल	ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई? प्रभावी घटक, यदि कोई है	सह–लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(ख) (i) आलेख /अध्याय, पुस्तकों में प्रकाशित

क्र.सं.	पृ.सं.सहित शीर्षक	पुस्तक शीर्षक संपादक एवं प्रकाशक	ISSN/ ISBN सं.	समकक्ष की समीक्षा की गई।	सह–लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(ii) सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र

क्र. सं.	प. सं. सहित शीर्षक	सम्मेलन प्रकाशन का ब्यौरा	ISSN/ ISBN सं.	सह लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(iii) एकल लेखक या संपादक के रूप में प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक का प्रकार एवं कर्तृत्व	प्रकाशक एवं ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई	सह–लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं	API अंक

III. (ग) चल रहीं एवं पूर्ण हो चुकीं शोध तथा परामर्शी परियोजनाएं

(ग) (i एवं ii) चल रहीं परामर्शी परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	अभिकरण	अवधि	गतिशील अनुदान राशि (लाख रू.में)	API अंक

(iii एवं iv) पूर्ण हुईं परियोजनाएं / परामर्शी

क्र.सं.	नामांकन सं.	अभिकरण	अवधि	अनुदान / चल राशि (लाख रू. में)	निष्कर्ष रूप में पॉलिसी डाक्यूमेंट / पेटेंट का	API अंक

(घ) शोध मार्गदर्शन

क्र.सं.	अनुक्रमांक सं.	जमा किया गया शोध निबंध	प्रदत्त डिग्री	API अंक
एम. फिल या समान				
पी. एच. डी. या समान				

(ड.) (i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण–अनुशिक्षण–मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (एक सप्ताह की अवधि से कम नहीं)

क्र. सं.	कार्यक्रम	अवधि	द्वारा आयोजित	API अंक

(ड.) (ii) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिचर्चाओं में प्रस्तुत किए गए पत्र

क्र.सं.	प्रस्तुत पत्र का शीर्षक	सम्मेलन/ संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित	क्या अंतर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय/राज्य प्रादेशिक/कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर हुए	API अंक

(ड.) (iii) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी आदि में आमंत्रित व्याख्यान एवं अध्यक्षता

क्र.सं.	व्याख्यान अकादमिक सत्र का शीर्षक	सम्मेलन/ संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित की गई	क्या अंतर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय है ?	API अंक

(iv) API अंकों का सार

	मानदण्ड	गत अकादमिक वर्ष	आकलन अवधि हेतु कुल API अंक	आकलन अवधि हेतु वार्षिक औसत API अंक
I	शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी गतिविधियाँ			
II	सह पाठ्येत्तर, विस्तार,			
	व्यावसायिक विकास आदि			
	कुल I+II			
III	शोध एवं अकादमिक योगदान			

भाग ग : अन्य संबंधी सूचना

कृपया किसी अन्य विश्वसनीय, महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त किए गए अवार्ड आदि का ब्यौरा दें जिसे पूर्व में नहीं दर्शाया गया है :

क्र.सं.	ब्यौरा (जहाँ कहीं आवश्यक हो, वर्ष, मूल्य आदि दर्शायें)

संलग्नकों की सूची : (कृपया प्रमाणपत्रों, मंजूरी आदेशों, पत्रों आदि की प्रतियाँ साथ नत्थी करें, जहाँ कहीं आवश्यक हो)

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यहाँ दी गई जानकारियाँ, विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं तथा विधिवत भरे गए PBAS प्रोफार्मा के साथ दस्तावेज नत्थी किए गए हैं।

संकाय के पद,स्थान एवं तिथि सहित हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/विद्यालय अध्यक्ष
/प्राचार्य के हस्ताक्षर

नोट : कैस पदोन्नति हेतु एक अलग से PBAS प्रोफॉर्मा विधिवत भरा हुआ, सभी संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा विधिवत प्रमाणित जो कि आवश्यक रूप से जाँच, सह मूल्यांकन समिति या चयन समिति के समक्ष आकलन/प्रमाणन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

PBAS प्रोफॉर्मा के भाग ख को भरने हेतु अनुदेश

प्रोफॉर्मा का भाग–ख, यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट–111, तालिका 1 पर आधारित है।

ख (I), तालिका की श्रेणी I हेतु API प्राप्तांकों पर आधारित है। वर्ष 2009–10 हेतु विस्तृत सूचना या नवीनतम आकलन वर्ष उपलब्ध कराया जाएगा।

ख (II) तालिका की श्रेणी II पर आधारित है। वर्ष 2009–10 हेतु विस्तृत सूचना या नवीनतम आकलन वर्ष उपलब्ध कराया जाएगा।

ख (III) तालिका की श्रेणी III पर आधारित है। संपूर्ण आकलन अवधि हेतु विस्तृत सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रोफॉर्मा, इन तालिकाओं तथा स्व आकलन किए गए अंकों के आधार पर भरा जायेगा। प्रत्येक वर्ग, यहाँ तक कि विभिन्न कार्यकलापों के पृथक–पृथक क्षेत्रों तथा उनके API अंक, शिक्षकों को चयन/अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किए जाते हैं। अंकों की अधिकतम सीमा जो प्रत्येक वर्ग/क्षेत्र के तहत प्रदान या अग्रेषित की जा सकती है उसको यू.जी.सी. विनियमों की तालिका–1 में निर्दिष्ट किया गया है।

स्व मूल्यांकित अंक नीचे दर्शाये गए संकेतकों/कार्यकलापों पर आधारित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय, विस्तृत संकेतकों तथा संबंधित अंकों को जो उनके अनुभव तथा अपेक्षाओं पर आधारित हैं, परिशिष्ट III, तालिका I में वर्गों एवं उपवर्गों हेतु अपेक्षित समझे जाने वाले अंकों में बगैर परिवर्तन किए, परिवर्तित कर सकते हैं।

नोट : स्व मूल्यांकन, विश्वविद्यालय/कालेज की जाँच तथा छानबीन–सह–जाँच समिति या चयन समिति पर निर्भर करता है, जैसा भी मामला हो।

श्रेणी : 1, शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) (क)

व्याख्यान/संगोष्ठियाँ/प्रायोगिक कक्षाएँ/अनुशिक्षण, ली गई संपर्क कक्षाएं, प्रमाणन योग्य रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिएं। यदि किसी शिक्षक ने सौंपी गईं कक्षाओं में से 80 प्रतिशत से कम कक्षाएं ली हैं उसे कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय, अवकाश की अवधि हेतु भत्ता प्रदान कर सकता है जहाँ वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की गई है। **100 प्रतिशत कार्य निष्पादन होने पर अधिकतम अंक : 50**	अधिकतम अंक :50

(ख)

यदि शिक्षक ने यू.जी.सी. प्रतिमान से हटकर कक्षाएं ली हैं, ऐसे में कक्षाओं/क्रेडिट के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे।	अधिकतम अंक :10

(ii)

सूचना/संज्ञान/अनुदेश निर्धारित सामग्री सहित प्रति पाठ्य विवरण के अनुसार पाठ्य–पुस्तक/नियमावली आदि), विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर पाठ्यचर्या संवर्धन **(100 प्रतिशत अनुपालन = 20 अंक)**	अधिकतम अंक :20

(iii) सहभागिता एवं नवोन्मेषी शिक्षण–अनुशिक्षण पद्धतियों, अद्यतन विषय वस्तु, पाठ्यक्रम संवर्धन आदि का उपयोग

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
पाठ्यक्रमों, पाठ्य विवरण की रूपरेखा को अद्यतन करना (एकल पाठ्यक्रम हेतु)	10
सहभागितापूर्ण एवं नवाचारी शिक्षण / अनुशिक्षण प्रक्रिया प्रश्न आधारित अनुशिक्षण, मामला अध्ययन, समूह चर्चा आदि हेतु सामग्री सहित (क) अन्योन्यक्रिया पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 5 अंक (ख) सहभागितापूर्ण अनुशिक्षण मॉड्यूल : 5 अंक (ग) मामला अध्ययन : प्रत्येक के लिए 5 अंक	10
शिक्षण / अनुशिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, कंप्यूटर सहायक पद्धतियों सहित जैसे पॉवर प्वाइंट / मल्टीमीडिया / अनुरूपण / सॉफ्टवेयर आदि, (चॉक एवं बोर्ड के अतिरिक्त इनमें से किसी एक का उपयोग : 5 अंक)	10
विकासात्मक एवं विदित उपचारात्मक / ब्रिज पाठ्यक्रम (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
शारीरिक शिक्षा पुस्तकालय में विकासात्मक एवं विदित विशेषीकृत शिक्षण–अनुशिक्षण पाठ्यक्रम, संगीत, प्रदर्शन एवं दृश्य कलाओं एवं अन्य पारंपरिक विषयों में नवाचारी रचनाएं एवं सृजन (प्रत्येक कार्यकलाप हेतु : 5 अंक)	10
लोकप्रचलित कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन / कंप्यूटर सहयोगीकृत शिक्षण में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / विद्यार्थियों के लिए वैब आधारित अनुशिक्षण तथा ई–पुस्तकालय कौशल (क) कार्यशाला / प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 10 अंक (ख) लोक प्रचलित कार्यक्रम : प्रत्येक के लिए 5 अंक	10
अधिकतम पूर्णांक : सीमा	20

(iv) परीक्षा संबंधी कार्य

संकेतक	अधिकतम अंक:
कालेज / विश्वविद्यालय तथा सत्रीय / वार्षिक परीक्षा कार्य आबंटित ड्यूटी के अनुसार (निरीक्षण कार्य–10 अंक; उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन–5 अंक प्रश्नपत्र तैयार करना – 5,अंक) (100 % अनुपालन–20 अंक)	20
कालेज / विश्वविद्यालय परीक्षा / मूल्यांकन उत्तरदायित्व आबंटित किए गए अनुसार आंतरिक / निरंतर आकलन कार्य हेतु (100 % अनुपालन–10 अंक)	10

समन्वयन जैसे परीक्षा कार्य, या उड़नदस्ता ड्यूटी आदि (अधिकतम 5 या 10 अंक ड्यूटी की गंभीरता पर निर्भर (100 % अनुपालन=10 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा ख (iv)	25

श्रेणी : II सह–पाठ्येत्तर, विस्तार एवं व्यावसायिक विकास संबधी कार्यकलाप

(i) विस्तार तथा सह पाठ्येत्तर तथा स्थल आधारित कार्यकलाप

संस्थानात्मक सह पाठ्येत्तर कार्यकलाप; विद्यार्थियों हेतु जैसे स्थल अध्ययन / शैक्षिक दौरे, उद्योग स्थापना प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यकलाप (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
पद / नेतृत्व की भूमिका जो विस्तारित कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) NCC, NSO या कोई अन्य समानुरूप कार्यकलाप से संबद्ध संगठन में निभाई गई भूमिका (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 10 अंक)	10
विद्यार्थियों एवं स्ट्राफ संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम, परिसर, प्रकाशन (विभागीय स्तर, 2 अंक, संस्थागत स्तर पर 5 अंक)	10
सामुदायिक कार्य जैसे राष्ट्र संघटन, पर्यावरण लोकतंत्र समाजवाद, मानव अधिकार, शांति, वैज्ञानिक प्रकृति ; बाढ़ या सूखा राहत, छोटा परिवार मानदण्ड आदि (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(ii) संस्थान के निगमात्मक जीवन तथा प्रबंधन में योगदान

कालेजों / विश्वविद्यालयों के निगमात्मक जीवन में योगदान; बैठकों, प्रचलित व्याख्यानों, विषय संबंधी आयोजनों, कालेज पत्रिका तथा विश्वविद्यालय संस्करणों में आलेखों के माध्यम से (प्रत्येक के लिए 2 अंक)	10
संस्थानात्मक शासन उत्तरदायित्व जैसे उप–प्राचार्य, डीन, निदेशक, वार्डन, बर्सर, स्कूल अध्यक्ष, समन्वयक (प्रत्येक के लिए 10 अंक)	10
विभागीय या संस्थानात्मक प्रबंधन के किसी भी पहलू सहित संबद्ध समितियों में सहभागिता जैसे दाखिला समिति, परिसरीय विकास, पुस्तकालय समिति (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
छात्र कल्याण, परामर्श एवं अनुशासन हेतु समितियों हेतु उत्तरदायित्व या सहभागिता (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
सम्मेलन का संगठन / अध्यक्ष के रूप में प्रशिक्षण / सांस्थानिक सचिव / कोषाध्यक्ष : (क) अंतर्राष्ट्रीय (10 अंक) ; राष्ट्रीय / प्रादेशिक (5 अंक) (ख) आयोजन समिति के सदस्य के रूप में (प्रत्येक के लिए 1 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

(iii) व्यावसायिक विकास संबंधी कायेकलाप

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
व्यवसाय संबंधी समितियों की सदस्यता राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क. राष्ट्रीय स्तर पर : प्रत्येक के लिए 3 अंक ख. स्थल स्तर पर : प्रत्येक के लिए 2 अंक	10
विषय संघ, सम्मेलन, संगोष्ठियों में बगैर पत्र प्रस्तुतिकरण के सहभागिता प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 2 अंक	10
शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यविवरण विकास, व्यावसायिक विकास, परीक्षा सुधार, संस्थानात्मक शासन में 1 सप्ताह से कम अवधि के अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सहभागिता (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 5 अंक)	10
शिक्षा पर राज्य / केन्द्रीय निकायों / समितियों में सदस्यता, सहभागिता, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय विकास (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों (जो वर्ग 3 में शामिल नहीं हैं) में आलेखों का प्रकाशन; रेडियो वार्ता, दूरदर्शन कार्यक्रम (प्रत्येक के लिए 1 अंक)	10
अधिकतम पूणांक सीमा	15

वर्ग: III अनुसंधान, प्रकाशन तथा अकादमिक योगदान

इसको यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III तालिका 1, वर्ग III के अनुसार भरा जाएगा। जहां कहीं भी अनुसंधान योगदान संयुक्त रूप से किया गया है, ए पी आई अंकों को, तालिका–1 दर्शाये गए फार्मूले के अनुसार सहयोगियों के मध्य बाँट दिया जाएगा।

ए पी आई अंकों का सारांश

वर्ग I एवं II के लिए ए पी आई प्राप्तांकों को प्रगति अनुसार उत्तरोत्तर संचालित किया जायेगा जैसा कि यू.जी.सी. विनियम 2010 में दर्शाया गया है। यह समस्त प्रक्रिया 2010–11 के लिए निर्मित चयन समितियों के आकलन के साथ प्रारंभ होगी और इसी के अनुसार 2011–12 की 2 वर्ष की अवधि का वार्षिक औसत और आगे आने वाली अवधि का भी उसी प्रकार से आंकलन किया जाएगा। परंतु, जैसा कि विनियमों के अंतर्गत पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, श्रेणी III के लिए समस्त निर्धारण अवधि में प्राप्तांकों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा।

IV

इसी प्रकार पीबीएस प्रोफॉर्मा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष / उप–पुस्तकालयाध्यक्ष / सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद / उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद जो कि यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III : तालिका–IV से IX में रेखांकित किए गए एपीआई अंक पैटर्न पर आधारित है, इन संवर्गों द्वारा विकसित किया जायेगा।